

6.1 वाणिज्य बैंक व्यापक तौर पर विविध प्रकार के ऐसे कार्यकलाप करते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे जमाकर्ताओं के लिए जोखिमों को इकट्ठा कर उनका अंतर्लयन करते हैं तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को निवेश और कार्यशील पूँजीगत निधियों का एक स्थिर स्रोत उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, वे सुचारु रूप से कार्यरत एक ऐसी भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराते हैं जो वित्तीय और वास्तविक संसाधनों को उनके अधिकतम प्रतिफल देनेवाले उपयोग के लिए अपेक्षाकृत मुक्त रूप से प्रवाहमान होने देती है। वे अस्थायी कठिनाई की स्थिति में अर्थव्यवस्था में किसी भी क्षेत्र के लिए चलनिधि का एक समर्थन (बैंकअप) स्रोत भी हैं। बैंक विशेष रूप से छोटे उधारकर्ताओं के लिए निधियों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो बाह्य वित्त के अन्य स्रोतों तक प्रायः सीमित पहुँच रखते हैं। वाणिज्य बैंकों के तीन प्रमुख परस्पर संबद्ध कार्य हैं जमा राशियाँ रखना; उधार देने और निवेश करने के कार्यकलापों के द्वारा ऋण का निर्माण; तथा विभिन्न उत्पादक गतिविधियों के लिए निधियों के भुगतान और अंतरण हेतु एक व्यवस्था उपलब्ध कराना। इस प्रकार ऋण प्रदान करना अथवा उधार देना किसी भी वाणिज्य बैंक का प्रधान कार्य है।

6.2 बैंकिंग सिद्धांत के प्रारंभिक समय से ही, जमा राशियों और उधार देने के बीच के अंतर को अल्पतम के रूप में देखा गया, जो अनिश्चित नकदी प्रवाहों को पूरा करने के लिए आवश्यक नकदी शेषराशियों एवं वैध मुद्रा अथवा केंद्रीय बैंक की शेषराशियों में धारित अपेक्षित प्रारक्षित निधियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) की प्रक्रिया से प्राप्त विनियामक सिक्का-हलाई मुनाफे (सेन्यरिज) के साथ संबद्ध है (मीड, 1934)। उधार देना न केवल बैंकों की आय का प्राथमिक स्रोत है, बल्कि वह समूची अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादक गतिविधि के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था करता है। ऐतिहासिक तौर पर अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंकों द्वारा अदा की गई भूमिका को समझने की जड़ें समष्टि-आर्थिक सिद्धांत में रही हैं। कीन्स (1930) तथा पेसेक और सेविंग (1967) ने तर्क किया कि वाणिज्य बैंक समष्टि-अर्थव्यवस्था के केंद्र में हैं क्योंकि वे बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच वित्तीय मध्यवर्तियों के रूप में कार्य करते हैं।

6.3 भारत में बैंक पारंपरिक रूप से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण का प्रमुख स्रोत रहे हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के उधार की आवश्यकताओं का निधीयन भी उनकी प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा किया है। भारत में बैंकों के उधार देने और निवेश के परिचालन अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुए हैं। 1990 के दशक के प्रारंभ में वित्तीय क्षेत्र सुधार प्रारंभ करने से पहले बैंकों द्वारा उधार दिये जाने के कार्य को सख्ती से विनियमित किया

गया था और बैंकों से यह प्रत्याशित था कि वे अपने उधार कार्यों का पंक्तिबंधन (अलाइनमेंट) प्राथमिकताओं की योजना के लिए करें। बैंक उधार 1967-68 में अपनाये गये ऋण आयोजना दृष्टिकोण के अंतर्गत मौद्रिक नीति का प्रधान केंद्रबिंदु था। फिर भी, बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के चलते बैंकों के तुलन-पत्रों के संबंध में विभिन्न प्रतिबंध हटाये गये और प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण बड़े पैमाने पर समाप्त किये गये, यद्यपि यह सब एक चरणबद्ध तरीके से किया गया था। निदेशित निवेश भी एक उल्लेखनीय सीमा तक कम किये गये थे। नियंत्रित उधार दरों की प्रणाली भी समाप्त की गई थी तथा एक लचीले तरीके से परिचालन करने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए बैंकों के उधार पर विभिन्न अन्य प्रतिबंध भी क्रमशः हटाये गये थे। इससे बैंकों के उधार और निवेश कार्यों में संरचनागत रूपांतरण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। देश के समग्र समष्टि-आर्थिक निष्पादन पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में भारत में बैंकों के उधार और निवेश कार्यों का विस्तृत विवरण, विशेष रूप से पिछले डेढ़ दशक में व्याप्त वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण उपायों के आलोक में, प्रस्तुत किया गया है।

6.4 यह अध्याय दस खंडों में विभाजित है। खंड II बैंकों के उधार कार्यों के सैद्धांतिक समर्थन संबंधी साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा के साथ प्रारंभ होता है। इसमें बैंकों के संविभाग व्यवहार एवं ऋणों और निवेशों के रूप में आस्तियों के आबंटन का एक व्यापक विहंगावलोकन किया गया है। खंड III भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समग्र ऋण में विद्यमान प्रवृत्तियों पर संकेद्रित है। बैंकों के ऋण-जमा अनुपातों में निहित प्रवृत्तियों सहित, बैंकों द्वारा उधार संबंधी व्यवहार के प्रमुख संकेतकों का विश्लेषण किया गया है। कृषि को उधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के साथ, बैंकों द्वारा कृषि उधार में विद्यमान प्रवृत्तियाँ खंड IV में निर्दिष्ट की गई हैं। विभिन्न देशों में कृषि उधार की नीतियाँ कैसे विकसित हुई हैं, इसकी अंतर्दृष्टि के लिए कृषि को दिये जानेवाले अग्रिमों में विभिन्न देशों में विद्यमान ढाँचों की रूपरेखा भी इस खंड में प्रस्तुत की गई है। खंड V में लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) के क्षेत्र को उधार पर विशेष फोकस के साथ उद्योग को दिये जानेवाले उधार की प्रवृत्तियों को सम्मिलित किया गया है। इस खंड के अंतर्गत विभिन्न देशों में एसएमई को दिये जानेवाले उधार का विश्लेषण है और यह स्पष्ट किया गया है कि एसएमई को उधार देते समय कुछ देशों के बैंकों ने अपने सामने आनेवाले अवरोधों को कैसे पार किया है। खंड VI बुनियादी संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये गये उधार में विद्यमान प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना का वित्तपोषण करने में विभिन्न देशों में प्राप्त अनुभवों को भी शामिल किया गया है। खंड VII में फुटकर ऋणों में तीव्र वृद्धि और उससे संबंधित विभिन्न विषय सम्मिलित हैं। खंड VIII में बैंकों के निवेश व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। खंड

IX में एक अग्रवर्ती युक्ति के रूप में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को पर्याप्त और समय पर ऋण सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं। खंड X विचार-विमर्श के मुख्य बिंदुओं का समाहार करता है।

II. बैंकों के उधार कार्य - सैद्धांतिक समर्थन

6.5 बैंकिंग पर उपलब्ध साहित्य विभिन्न सिद्धांतों की जानकारी देता है जो बैंकों के उधार कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये सिद्धांत वाणिज्य बैंकों के विकास के साथ ही कालक्रम में विकसित हुए हैं। फिर भी, इनमें से ज्यादातर सिद्धांत ऋणयोग्य निधियों के निर्माताओं के रूप में वाणिज्य बैंकों तथा उक्त निधियों के दलालों के रूप में अन्य निजी वित्तीय उद्यमों के बीच रुढ़िगत भिन्नता पर आधारित हैं। वाणिज्य बैंक निम्नतर ब्याज दर पर उधार ले सकते हैं और उच्चतर ब्याज दरों पर उधार दे सकते हैं। वे बाजार को कुछ प्राथमिक प्रतिभूतियों से मुक्त करते हैं तथा दूसरों की अप्रत्यक्ष प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों को स्थानापन्न करते हैं जिनकी गुणवत्ता उच्चतर मूल्य रखती है। प्राथमिक और अप्रत्यक्ष प्रतिभूतियों पर आय के बीच का अंतर उन विशेष सेवाओं के लिए मध्यवर्तियों की क्षतिपूर्ति है जो वे उपलब्ध कराते हैं।

6.6 ऋण का सबसे पहला सिद्धांत ऋण का वाणिज्यिक ऋण सिद्धांत है जिसे 'वास्तविक बिल सिद्धांत' भी कहा जाता है। यह सिद्धांत इंग्लैंड में 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ। व्यापारियों को दिये जानेवाले बैंक उधार ने पारंपरिक तौर पर वाणिज्यिक बिलों की भुनाई का रूप ले लिया। इस सिद्धांत के अनुसार वाणिज्य बैंकों की अर्जक आस्तियां अनिवार्यतः अल्पकालीन और स्वयं परिसमापनशील ऋण होनी चाहिए जो व्यवसायों को उनकी स्टॉक संबंधी आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए दिये गये हों। यह दृढ़तापूर्वक विश्वास किया गया कि इस प्रकार के ऋणों का वित्तपोषण करने के द्वारा बैंक अधिकांश अर्थसुलभ आस्तियां अपने अधिकार में रख सकते हैं जिससे बैंक अपनी माँग जमाराशियों की बाध्यताएँ आसानी से पूरी कर सकेंगे। वास्तव में, 'वाणिज्य बैंक' शब्द अपने उद्भव के लिए वाणिज्यिक ऋण सिद्धांत का ऋणी है क्योंकि बैंकिंग वाणिज्य के वित्तपोषण से संबंधित था (रूसाकिस, 1997)। इस सिद्धांत की कुछ सीमाओं के बावजूद व्यवहार में कई बैंक अभी भी अन्य प्रकार के ऋणों के बजाय अल्पावधि के स्वयं परिसमापनशील ऋणों को वरीयता देते हैं।

6.7 बैंक उधार का एक और प्रमुख सिद्धांत अंतरणीयता सिद्धांत है जो यह समझता है कि बैंक की आस्तियां अंतरणीय हैं अर्थात् आसानी से विपणनयोग्य हैं और अधिकांश आस्तियों की चलनिधि का अनुरक्षण पर्याप्त रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए जो प्रतिभूतियाँ आसानी से नकदी में परिवर्तित की जा सकती हैं उनके पास अधिक मात्रा में तरलता होती है। सारांश में अंतरणीयता सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि 'कितनी जल्दी' आस्तियां नकदी में परिवर्तित की जा सकती हैं। यह सिद्धांत सबसे पहले एच. जी. मौल्टन द्वारा 1918 में प्रस्तुत किया गया था। विश्व भर में जो वाणिज्य बैंक सरकारी (सॉवरिन) बांडों के स्टॉक रखते हैं

जो कि वर्तमान बैंकिंग में एक सामान्य प्रथा है, वे जाने-अनजाने इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं।

6.8 प्रत्याशित आय सिद्धांत (प्रोक्नोव, 1949) के अनुसार कोई भी बैंक अपनी चलनिधि बनाये रख सकता है यदि ऋण की चुकौतियाँ निधियों के उपयोग अथवा प्रस्तावित समर्थक जमानत (कॉलेटरल) के बजाय उधारकर्ता की प्रत्याशित आय के आधार पर नियत की जाती हैं। इस सिद्धांत का मूलभूत तर्क यह है कि बैंकों को केवल समर्थक जमानत की अपेक्षा उधारकर्ता की आय अर्जन क्षमता अथवा नकदी प्रवाह तथा कर्ज चुकौती की आवश्यकताओं की व्याप्ति पर निर्भर रहना चाहिए। कर्ज चुकौती की व्याप्ति सम्मिलित नकदी प्रवाह के अनुमानों के आधार पर निर्धारित की जाती है जो सामान्यतः वित्तपोषित किये जा रहे ऋण की गुणवत्ता का एक विश्वसनीय संकेत प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक युग के बैंकिंग के व्यवहार में पहले के दोनों सिद्धांतों की तुलना में अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

6.9 देयता प्रबंध सिद्धांत के अनुसार किसी बैंक के लिए परंपरागत चलनिधि मानकों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है यदि वह चलनिधि की आवश्यकता होने पर बाजार में जाकर निधियों के लिए बोली लगा सकता है। कोई भी बैंक अपनी चलनिधि की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए अतिरिक्त देयताएँ निर्मित कर सकता है, तथा बैंकों के पास अपनी चलनिधि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक मार्ग हैं जैसे अन्य उपायों के साथ-साथ जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करना, केंद्रीय बैंक से उधार लेना और पूँजी बाजार से उधार लेना। उक्त देयता प्रबंध सिद्धांत वाणिज्य बैंकिंग के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण में एक प्रमुख उपलब्धि है।

6.10 बैंकों के उधार कार्य व्यष्टि स्तर पर ऊपर की चर्चा में उल्लिखित सिद्धांतों में वर्णित कुछ विचारों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। फिर भी, उधार की मात्रा और उसके लक्ष्य-समूह का निर्धारण उस वित्तीय प्रणाली द्वारा किया जाता है जिसे कोई देश अपनाता है अर्थात् बाजार आधारित वित्तीय प्रणाली अथवा बैंक आधारित वित्तीय प्रणाली। संवृद्धि (ग्रोथ) की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसकी व्यापक चर्चा इस विषय पर उपलब्ध साहित्य में की गई है, वित्तीय प्रणाली का वह प्रकार है जो संवृद्धि के लिए सर्वाधिक सहायक है। इस दृष्टिकोण से ध्यान देने पर औद्योगिक वित्त की अधिकांश प्रणालियों को पूर्वोक्त दोनों स्पष्ट प्रणालियों में समूहीकृत किया जा सकता है। एक ओर 'बाजार-आधारित वित्त' है जहाँ बैंकिंग उद्योग की अपेक्षा वित्तीय बाजार एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। परिदृश्य (स्पेक्ट्रम) की दूसरी ओर 'बैंक-आधारित वित्त' का मॉडल है, जिसमें बचत की राशियाँ प्रधानतः बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे वित्तीय मध्यवर्तियों के माध्यम से अपने उत्पादक प्रयोजनों की दिशा में प्रवाहित होती हैं तथा निधियाँ जुटाने के लिए पूँजी बाजार कम महत्वपूर्ण है। ज्यादातर औद्योगिक वित्तपोषण प्रणालियाँ आर्थिक इतिहास की अपनी स्वयं की विशिष्ट परिस्थितियों से अंतर्जात रूप में विकसित हुई हैं - तथा सफल या विफल होने का उनका अपना वृत्तांत है। बाजार-

आधारित प्रणाली अपेक्षाकृत अवैयक्तिक है क्योंकि निधियों के स्रोत वास्तव में म्युचुअल फंडों, पेंशन निधियों अथवा बीमा निधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अत्यंत लघु घरेलू बचतकर्ता हो सकते हैं। बैंक-आधारित प्रणालियाँ अधिक संबंध-आधारित हैं क्योंकि उधारदाता थोड़े-से हैं और बड़े हैं। बैंक-आधारित प्रणालियाँ उन देशों में अधिक मजबूत होने की प्रवृत्ति दर्शाती हैं जहाँ सरकारों ने औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है जैसे 19वीं शताब्दी में जर्मनी, तथा 20वीं शताब्दी में जापान, पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और भारत (मोहन, 2004)।

6.11 जब से भारत ने अपनी संवृद्धि के लिए विकास योजनाओं का विकल्प चुना, तब से बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाओं की भूमिका और महत्व ने उत्कर्ष प्राप्त किया। अनुसंधान ने भी भारत में वित्त और संवृद्धि के बीच अंतर-सहबद्धता की पुष्टि की है। भारतीय संवृद्धि की प्रक्रिया अवश्य 'वित्त द्वारा प्रेरित' रही है जिससे वित्तीय क्षेत्र में विस्तार ने पूँजी-संचयन को बढ़ावा देने में समर्थक भूमिका अदा की, जिसने फिर उच्चतर संवृद्धि को जन्म दिया (रेड्डी, 2006)।

बैंकों का संविभाग व्यवहार

6.12 वाणिज्य बैंक आस्तियों का एक संविभाग धारित करते हैं तथा देयताओं की विशिष्टताओं और वितरण के होते हुए वे अपनी आस्तियों के संविभाग की संरचना ऐसे तरीके से करने का प्रयास करते हैं जिससे दबावों के अधीन अधिकतम प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। बैंकों के पास चार श्रेणियों की आस्तियाँ होती हैं, यथा- हाथ में नकदी और केंद्रीय बैंक के पास जमाराशियाँ; बैंकिंग प्रणाली में आस्तियाँ; सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश; तथा ऋण और अग्रिम। मात्रात्मक दृष्टि से उधार और निवेश बैंकों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्जक आस्तियाँ हैं। ऋणों और निवेश की मात्रा और संरचना बैंकों के संविभाग व्यवहार द्वारा निर्धारित की जाती है जो फिर सामान्यतः बाजार की ब्याज दरों के वर्तमान और प्रत्याशित स्तरों, ऋण की माँग और नकदी की माँग तथा केंद्रीय बैंकों की कार्रवाइयों द्वारा निर्धारित होती है। वाणिज्य बैंकों के संविभाग व्यवहार का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को बैंक ऋण एवं ऋण की लागत और उपलब्धता में परिमाणों और परिवर्तनों के लिए एक सार्थक व्याख्यात्मक घटक है।

बैंक उधार के निर्धारक तत्व

6.13 बैंक उधार के निर्धारक तत्वों के संबंध में साहित्य विभिन्न धारणाएँ प्रस्तुत करता है। एक धारणा के अनुसार माँग से संबंधित तत्व बैंक उधार को निर्धारित करते हैं जबकि अन्य दृष्टिकोण आपूर्ति संबंधी तत्वों की प्रधानता को स्वीकार करता है। यह सिद्धांत कि बैंक ऋणों के लिए माँग बैंक संविभाग व्यवहार को निर्धारित करती है, कभी-कभी निभाव सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसी प्रकार यह सिद्धांत कि बाजार की शक्तियों के प्रति वाणिज्य बैंकों की प्रतिक्रियाएँ उनके संविभाग

व्यवहार को निर्धारित करती हैं, लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। निभाव सिद्धांत के अनुसार बैंक उधार बैंकों के संविभाग व्यवहार का प्रमुख निर्धारक तत्व है। 'निभाव' शब्द के उपयोग का अर्थ यह होता है कि इस प्रकार के ऋणों के लिए माँग मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक से उधार, अधिक प्रारक्षित निधियों की धारिताओं, तथा ऋणों और निवेशों के बीच अर्जक आस्तियों के विभाजन के संबंध में बैंक व्यवहार को निर्धारित करती है। इस प्रकार ब्याज दरों और आर्थिक गतिविधि के रूप में ऐसे आर्थिक परिवर्तनी कारकों (वेरियबल्स) के प्रति ऋणों के लिए माँग की प्रतिक्रिया उपर्युक्त तुलन-पत्र खातों के संबंध में बैंक व्यवहार को भी निर्धारित करेगी (बायड तथा गेट्लेरे, 1993)। निभाव सिद्धांत के अंतर्गत बैंक व्यवहार मुख्य रूप से ऋणों के लिए ग्राहकों की माँग को प्रतिबिंबित करता है। उदाहरण के लिए, बैंकों से ऋणों के लिए माँग (इस प्रकार की अर्जक आस्ति की आपूर्ति) में वृद्धि, जमाराशियों के दबाव के अधीन, निवेशों और अधिक प्रारक्षित निधियों में कमी करने तथा केंद्रीय बैंक से एवं बैंकों के वित्तीय मध्यस्थता का प्रमुख आधार होते हुए बैंकिंग क्षेत्र से उधार में बढ़ोतरी के द्वारा पूरी की जाएगी।

6.14 लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत का अर्थ यह है कि बाजार की शक्तियों के प्रति वाणिज्य बैंकों की प्रतिक्रियाएँ उनके संविभाग व्यवहार को निर्धारित करती हैं। यदि वाणिज्य बैंक द्वारा धारित आस्तियों का वर्तमान वितरण अपेक्षित वितरण नहीं है, तो बैंक कुछ आस्तियों की अपनी धारिताएं बढ़ाने और अन्य आस्तियों की अपनी धारिताएँ कम करने के द्वारा आस्तियों के अपने संविभाग को समायोजित करने का प्रयास करेगा। अपनी आस्तियों के संविभाग को दो अर्जक आस्तियों अर्थात् ऋणों और निवेश के बीच आबंटित करने का वाणिज्य बैंक का निर्णय सामान्यतः वाणिज्य बैंक की माँग और मीयादी जमाराशियों के आधार पर मौजूदा कानूनी प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंकों की अधिकतर देयताओं की *विधितः* और *वस्तुतः* स्थिति के होते हुए तथा इस स्थिति के होते हुए कि कोई भी एकल बैंक भावी जमाराशियों की उपलब्धताओं, ऋण की माँगों, ब्याज दरों और मौद्रिक प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाइयों की भविष्यवाणी निश्चितता के साथ नहीं कर सकता, वाणिज्य बैंक चलनिधि के स्टॉक के रूप में विद्यमान अपने आस्ति संविभाग के एक अंश को उपर्युक्त कारकों में परिवर्तनों का सामना करने के लिए सुरक्षित भंडार के रूप में कार्य करने के लिए रखना चाहते हैं। व्यवहार में, ऋण के उतार-चढ़ाव के संबंध में माँग अथवा पूर्ति की प्रधानता को सिद्ध करना कठिन है क्योंकि ज्यादातर समय उक्त दोनों ही कारक एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं।

6.15 एक दृष्टिकोण के अनुसार फर्मों और घर-परिवारों की माँग बैंक ऋण का अंतर्निहित निर्धारक तत्व है। इस धारणा के अनुसार संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋण उस विशिष्ट समय पर प्रचलित माँग की स्थितियों के अनुरूप समायोजन कर लेता है। कोटैरेली और अन्य, (2003) ने यह विचार प्रस्तुत किया कि केंद्रीय और पूर्वी यूरोप में हाल में उधार में जो तेजी आई, वह अपने उद्गम के लिए समष्टि-आर्थिक अविनियमन के बाद उक्त क्षेत्र में आइएस आपूर्ति वक्र में घटित ऊर्ध्वमुखी अंतरण की ऋणी

है। इसी प्रकार 1997-98 के वित्तीय संकटों के बाद पूर्वी एशिया में बैंक उधार में आई गिरावट ऋण बाजार से बैंकों के हट जाने की अपेक्षा बैंक ऋणों के लिए माँग में गिरावट के कारण थी (घोष और घोष, 1999)।

6.16 वास्तविक व्यवसाय-चक्र साहित्य भी यह दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि बैंक ऋण के लिए माँग चक्रीय के अत्यधिक अनुकूल (प्रोसाइक्लिकल) है। औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग में तेजी के अनेक वृत्तांतों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि इनके उद्गम का श्रेय व्यापार की शर्तों (टर्म्स ऑफ ट्रेड) में सुधार से उत्पन्न उपभोग में तेजी को दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निवेश और ऋण की माँग में परिणामी वृद्धि के साथ एक सकारात्मक प्रौद्योगिकीगत आघात भी एक कारक हो सकता है। मोन्टिएल (2000) ने 1960 और 1995 के बीच औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग में आई तेजी के अनेक वृत्तांतों का परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश देशों में व्यापार की शर्तों में सुधार ने उपभोग में तेजी को प्रेरित किया जिसके परिणामस्वरूप बाद में बैंकों द्वारा उधार में तीव्र वृद्धि हुई।

6.17 एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह है कि बैंक उधार में उतार-चढ़ाव आपूर्ति संबंधी गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हैं जैसे उधार देने में बैंक की क्षमता और इच्छा में परिवर्तन। जिस सीमा तक कुछ फर्में पूँजी बाजार तक पहुँचने में अत्यधिक बाह्य प्रीमियम का सामना करती हैं अथवा ऐसे बाजार सुविकसित नहीं हैं, वे बैंक उधार पर अत्यधिक निर्भर हैं। दूसरों ने यह तर्क दिया है कि बैंक ऋण वास्तव में विशेष है क्योंकि वह नवोन्मेष को प्रेरित कर सकता है, खास तौर से उन उद्योगों में जिनकी पहुँच बाह्य वित्तपोषण तक नहीं है; (राजन और जिंगालेस, 1998)। इस प्रकार ऐसा कोई भी आघात - पूँजीगत अंतर्वाहों में वृद्धि अथवा अधिक सुगम मौद्रिक नीति - जो बैंक की उधार क्षमता में नरमी लाता है, अर्थव्यवस्था में संवर्धित ऋण आपूर्ति को प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा, ऐसे आघात उधार देने के लिए बैंक की क्षमता पर एक अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने का प्रयास करते हुए आस्तियों की कीमतों और तुलन-पत्रों को प्रभावित कर सकते हैं (मोहन्ती और अन्य, 2006)।

6.18 अपर्याप्त रूप से विनियमित और पर्यवेक्षित बैंकों के समक्ष वित्तीय उदारीकरण तथा अनुचित प्रोत्साहन संरचनाओं से भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में उछाल एवं गिरावट वाले ऋण-चक्रों में वृद्धि होती है (हेर्नांडेज और लैंडरेट्श, 2002; बार्थ और अन्य, 2002)। प्रायः ऋण में तेजी से पहले मजबूत पूँजीगत प्रवाहों और आस्तियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि (ओवरहीटिंग) को देखा गया है। फिर भी, जब आस्तियों की कीमतें गिर जाती हैं, तब बैंकों की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि होती है। बैंक जोखिम से विमुख होते हैं जिसके कारण ऋण की कमी उत्पन्न होती है क्योंकि बैंक अपना उधार देना कम कर देते हैं। बैंक उधार तक पहुँच भी बैंक उधार के संकेंद्रण के स्तर, विद्यमान विनियामक व्यवस्था और विदेशी बैंकों की उपस्थिति से निर्धारित की जाती है। बैंक द्वारा धारित पूँजी का

स्तर भी नये ऋण प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक की इच्छा को निर्धारित करता है (बेर्नाक और लाउन, 1991)।

6.19 हाल के कुछ अध्ययनों के अनुसार उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ऋणदाताओं के अधिकार और ऋण सूचना केंद्रों का आविर्भाव भी बैंकों द्वारा दिये जानेवाले उधार में सुधार के लिए समर्थक वातावरण बना सकते हैं। मूलभूत तर्क यह है कि बेहतर निजी संपत्ति अधिकारों और ऋण जोखिम अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) व्यवस्थाओं (विशेषतः सुचारु रूप से कार्यरत ऋण केंद्रों अथवा ऋण रजिस्ट्री प्रणालियों) से युक्त देश इस प्रकार की संस्थाओं से रहित देशों की अपेक्षा जीडीपी की तुलना में ऋण का उच्चतर अनुपात प्राप्त कर सकते हैं (मोहन्ती और अन्य, 2006)।

6.20 सारांश के तौर पर बैंकों के उधार व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए समय-समय पर विभिन्न सिद्धांत विकसित हुए हैं। वाणिज्य ऋण सिद्धांत के अनुसार, जो ऋण के संबंध में सबसे पहला सिद्धांत है, बैंकों की अर्जक आस्तियां अल्पकालिक और स्वयं परिसमापनशील ऋणों के रूप में होंगी। अंतरणीयता सिद्धांत के अनुसार, मुख्य विचार यह है कि आस्तियों को नकदी के रूप में कितनी जल्दी परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्याशित आय का सिद्धांत यह मानता है कि बैंक अपनी चलनिधि का अनुरक्षण तब कर सकता है यदि ऋण की चुकौतियों का निर्धारण उधारकर्ता की प्रत्याशित आय के आधार पर किया जाता है। देयता प्रबंध सिद्धांत के अनुसार किसी बैंक के लिए पारंपरिक चलनिधि मानकों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है यदि वह चलनिधि की आवश्यकता होने की स्थिति में बाजार में जाकर निधियों के लिए बोली लगा सकता है। बैंकों के उधार कार्य उक्त सिद्धांतों द्वारा सुझाये गये रूप में कुछ विचारों के आधार पर व्यष्टि स्तर पर निर्धारित किये जाते हैं। तथापि, उधार की समग्र मात्रा और लक्ष्य-समूह का निर्धारण उस वित्तीय प्रणाली द्वारा किया जाता है जिसे कोई देश अपनाता है अर्थात् बाजार आधारित वित्तीय प्रणाली अथवा बैंक आधारित वित्तीय प्रणाली।

6.21 बैंक उधार दोनों आपूर्ति संबंधी और माँग संबंधी कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपूर्ति की ओर बैंकों का संविभाग व्यवहार उनके उधार को निर्धारित करता है। वाणिज्य बैंक जोखिम-प्रतिलाभ बोधों और देयताओं के वितरण के आधार पर आस्तियों का संविभाग धारित करते हैं ताकि सर्वाधिक प्रतिफल अर्जित किया जा सके। ऋण और निवेश बैंकों के आस्ति संविभाग में दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण अर्जक आस्तियां हैं तथा उनकी संरचना का निर्धारण बैंकों के संविभाग व्यवहार द्वारा किया जाता है जो क्रमशः या तो निभाव सिद्धांत पर आधारित है जहाँ उधार बैंकों के संविभाग का मुख्य निर्धारक तत्व है या लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत पर। पूँजीगत अंतर्वाहों में वृद्धि अथवा एक अपेक्षाकृत अधिक सुगम मौद्रिक नीति भी अर्थव्यवस्था में ऋण की आपूर्ति में वृद्धि को प्रेरित कर सकती है। उधार देने के लिए बैंकों की इच्छा भी प्रचलित विनियामक व्यवस्था से प्रभावित हो सकती है तथा इस बात का भी प्रभाव उस पर रह सकता है कि क्या वे सभी नये लाभप्रद ऋण प्रस्तावों को सँभालने के लिए पर्याप्त पूँजी धारित करते हैं।

III. भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के उधार कार्य नीतिगत गतिविधियाँ

6.22 भारत में 1990 के दशक के प्रारंभ में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के प्रवर्तन से पहले बैंकिंग क्षेत्र के उधार कार्य अत्यधिक विनियमित थे। ये ब्याज दरों की एक नियंत्रित संरचना, प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं के रूप में पूर्वक्रय (प्री-एम्पान्स) के उच्च स्तरों, तथा कुछ क्षेत्रों को ऋण आबंटन से संबंधित थे। संवेदनशील पण्यों और क्षेत्रों के संबंध में अलग-अलग ऋण सीमाएं और मार्जिन की अपेक्षाएँ विद्यमान थीं। एक प्रारंभिक सीमा (श्रेयोल्ड) से अधिक ऋण की मंजूरी के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षाएँ थीं। वाणिज्य बैंकों से यह भी अपेक्षित था कि वे मुख्य रूप से अल्पावधि/कार्यशील पूँजीगत निधियों की अपेक्षाएँ पूरी करें। इस स्थिति के होते हुए विभिन्न आस्ति वर्गों के बीच संसाधनों के आबंटन के लिए बैंकों के पास अधिक विकल्प नहीं होता था।

6.23 वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के प्रारंभ होने से एक वित्तीय रूप से दमित व्यवस्था से एक उदारीकृत व्यवस्था की ओर प्रस्थान करने में सुविधा हुई। बैंकों को अपने कारोबारों में नवीनता लाने और उनका विस्तार करने के लिए स्वतंत्रता दी गई। उधार संबंधी ब्याज दरों को मुक्त किया गया ताकि बैंक अपने उत्पादों का मूल्य-निर्धारण उन्मुक्त रूप से कर सकें। ब्याज दरों के अविनियमन ने संसाधन आबंटन की प्रक्रिया को अधिकाधिक कुशलता प्रदान की (बॉक्स VI.1)। बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का उद्देश्य परिचालनगत लचीलेपन, सुधारित वित्तीय सक्षमता और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के माध्यम से संसाधनों के आबंटन संबंधी कौशल में सुधार लाने के अंतिम लक्ष्य के साथ एक विविधीकृत, कुशल और प्रतियोगी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देना था (मोहन, 2005)। विनियमित व्यवस्था के चरणबद्ध रूप में समाप्त कर दिये जाने के साथ ही, बैंकों ने कारोबारों का विस्तार करने के लिए नये-नये मार्ग तलाशना प्रारंभ किया।

6.24 बैंकों द्वारा संविभागों का विविधीकरण और आस्ति समायोजन अब अधिकतर जोखिम-प्रतिलाभ के विचारों के आधार पर किए जाते हैं। भारत में बैंकों ने उदारीकरण-पूर्व चरण में निभाव सिद्धांत का अनुसरण किया। तथापि, उदारीकरण के बाद के चरण में बैंकों के संविभाग व्यवहार पर लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत हावी रहा है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के उधार-कार्यों की प्रवृत्तियाँ

6.25 भारत में कई अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तरह वाणिज्य बैंक उधार की आपूर्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किया गया कुल ऋण 1980 के दशक में 17.2 प्रतिशत और 1990 के दशक में 16.0 प्रतिशत बढ़ा (सारणी 6.1)।

6.26 1990 के दशक के प्रारंभ से लेकर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण ने तीन सुस्पष्ट चरण देखे। पहले चरण (1990-91 से 1995-96 तक) में बैंक ऋण में वृद्धि ने 8 प्रतिशत और 29 प्रतिशत के बीच घट-बढ़ के साथ वृद्धि दर का अनियत व्यवहार दिखाया। दूसरे चरण (1996-97 से 2001-02 तक) में बैंक ऋण की वृद्धि में तेजी से गिरावट आई और वह 10 और 18 प्रतिशत के दायरे में रही। तीसरे चरण (2002-03 से 2006-07 तक) में ऋण में वृद्धि सामान्यतः अधिक बनी रही (चार्ट VI.1)।

6.27 दूसरे चरण के दौरान ऋण में अवमंदन माँग और आपूर्ति दोनों की ओर कई कारणों से था। आपूर्ति की ओर, 1990 के दशक के प्रारंभ में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने से बैंक सतर्क हो गए थे। मानदंडों को लागू करने से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास बड़े पैमाने पर सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) (मार्च 1997 की समाप्ति पर उनके सकल अग्रिमों का 15.7 प्रतिशत) की मौजूदगी का पता चला। अतः बैंक अपने ऋण संविभाग का विस्तार करने के बारे में सावधानी बरतने लगे। प्रतिगमन विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि मीयादी जमाराशियों और उधार ब्याज दर के साथ-साथ आस्ति की गुणवत्ता ऋण का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है।¹ विशेष रूप से अनर्जक आस्तियों के अपेक्षाकृत उच्च स्तर का तीव्र प्रभाव कमजोर बैंकों पर पड़ा। ऋण प्रदान करने की बैंकों की क्षमता भी पूँजी पर्याप्तता अनुपात (मार्च 1996 की समाप्ति पर 8.7 प्रतिशत) में उपलब्ध कम गुंजाइश (हेडरूम) के कारण क्षीण हो गई थी। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों पर जोखिम-समायोजित प्रतिफलों को अधिक आकर्षक पाया। अतः एसएलआर के रूप में सांविधिक पूर्वक्रय अधिकार (प्री-एम्पान)

¹ मासिक आंकड़ों के आधार पर अप्रैल 1996 और मार्च 2006 के बीच की अवधि के लिए खाद्येतर ऋण (एनएफसी) और जमाराशियों, विशिष्ट रूप से मीयादी जमाराशियों (टीडी) के स्तर, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) दर द्वारा प्राप्त रूप में ब्याज दरों, उत्पादन अंतर (ओजी), बैंकों की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और बीएसई सेन्सेक्स द्वारा प्राप्त रूप में आस्ति कीमतों के बीच संबंध पर एक प्रायोगिक अभ्यास किया गया। उत्पादन अंतर (आउटपुट गैप) की गणना एचपी-फिल्टर का उपयोग करते हुए किया गया तथा समीकरण का अनुमान प्रथम अंतर के रूप में किया गया।

$$\text{डीएनएफसी} = 20922.50 + 0.71\text{डीटीडी} - 891.11\text{सीपी} + 0.18\text{ओजी} - 0.20\text{जीएनपीए} + 2.00\text{डीबीएसई}$$

$$(9.6)^* \quad (-3.5)^* \quad (3.4)^* \quad (-2.2)^* \quad (1.1)$$

$$\text{समायोजित आर स्क्वेअर} = 0.49 \quad \text{डी.डब्ल्यू.} = 2.12$$

कोष्ठक में आंकड़े टी-मूल्य हैं तथा * 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को सूचित करता है।

परिणाम निर्दिष्ट करते हैं कि मीयादी जमाराशियाँ, उधार संबंधी ब्याज दर और अनर्जक आस्तियाँ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण को निर्धारित करनेवाले महत्वपूर्ण कारक थे। खाद्येतर ऋण के उपयोग (ऑफटेक) के स्वरूप को चक्रिय के अनुकूल (प्रो-साइक्लिकल) के तौर पर देखा गया क्योंकि ऋण अग्रिम सकारात्मक तौर पर उत्पादन अंतर से संबंधित थे।

बॉक्स VI.1 बैंकों के उधार कार्य : प्रमुख नीतिगत पहलें

1990 के दशक के प्रारंभ से ही बैंकों को उनके उधार और निवेश कार्यों में लचीलापन प्रदान करने के लिए कई नीतिगत उपाय शुरू किये गये हैं।

उधार संबंधी ब्याज दरें

वाणिज्य बैंकों की उधार संबंधी ब्याज दरें अक्टूबर 1994 में अविनियमित की गई थीं और बैंकों से अपनी मूल उधार दरें (पीएलआर) घोषित करने की अपेक्षा की गई थी। बैंकों की उधार ब्याज दरों में पारदर्शिता की आवश्यकता पूरी करने एवं ऋणों के कीमत-निर्धारण में निहित जटिलता को कम करने के लिए 29 अप्रैल 2003 को रिजर्व बैंक द्वारा आधार (बेंचमार्क) मूल उधार दर (बीपीएलआर) की संकल्पना लागू की गई थी। बैंक अब संबंधित बीपीएलआर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों को इस बात की भी अनुमति दी गई थी कि वे एक पारदर्शी तरीके से बाजार बेंचमार्क से संबद्ध अस्थिर दर वाले ऋण उत्पाद प्रस्तावित करें।

बैंकों द्वारा मीयादी उधार

बैंकों द्वारा दिये जानेवाले मीयादी ऋणों के संबंध में विभिन्न प्रतिबंध 1997 तक क्रमशः समाप्त किये गये थे। 1991 में आर्थिक सुधार प्रारंभ करने से पहले प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से यह आशा की जाती थी कि वे छोटी परियोजनाओं के लिए मीयादी ऋण राज्य स्तरीय संस्थाओं से सहभागिता के साथ प्रदान करें, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं था। तथापि, बड़ी परियोजनाओं के लिए उन्हें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) के साथ अनिवार्यतः सहभागिता करने की अनुमति इस शर्त के अधीन थी कि बैंकिंग प्रणाली का अंश बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से मीयादी ऋण सहायता के 25 प्रतिशत तक सीमित होगा तथा बैंकिंग प्रणाली से कुल मीयादी वित्त 75 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकेगा।

एक्सपोजर की सीमाएँ

ऋण के संकेंद्रण से बचने के लिए भारत में व्यक्ति और समूह उधारकर्ताओं को बैंकों के एक्सपोजर पर विनियामक सीमाएँ निर्धारित की गई थीं। लागू होनेवाली सीमा एकल उधारकर्ता के मामले में पूँजीगत निधियों का 15 प्रतिशत है और उधारकर्ताओं के समूह के मामले में 40 प्रतिशत। किसी समूह के उधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोजर बैंक की पूँजीगत निधियों के 40 प्रतिशत के निर्धारित एक्सपोजर मानदंड से अतिरिक्त 10 प्रतिशत (अर्थात् 50 प्रतिशत तक) बढ़ सकता है बशर्ते कि अतिरिक्त ऋण एक्सपोजर बुनियादी संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की परियोजनाओं को ऋण देने के कारण हो। एकल उधारकर्ता को ऋण एक्सपोजर बैंक की पूँजीगत निधियों के 15 प्रतिशत के एक्सपोजर मानदंड से अतिरिक्त 5 प्रतिशत (अर्थात् 20 प्रतिशत तक) बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक एक उधारकर्ता को असाधारण परिस्थितियों में अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपनी पूँजीगत निधियों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

वर्षों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए शर्त अक्षुण्ण रखी गई है यद्यपि कुछ नई मर्दे शामिल करते हुए उसकी सीमा और परिभाषा को परिष्कृत किया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी मानदंड अप्रैल 2007 में संशोधित किये गये थे। संशोधित मानदंडों के अनुसार समाज/अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जो जनसंख्या के बड़े खंडों को प्रभावित करते हैं, कमजोर वर्ग तथा ऐसे क्षेत्र जो गहन रोजगार वाले हैं जैसे कृषि एवं व्यष्टि और छोटे उद्यम, संशोधित दिशानिर्देशों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में रखे गये हैं जो 30 अप्रैल 2007 से लागू हैं। कृषि, लघु उद्यम, व्यष्टि ऋण, फुटकर व्यापार, शैक्षणिक ऋण और 20 लाख रुपये तक के आवास ऋण वे स्थूल श्रेणियाँ हैं जिन्हें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया है।

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का प्रबंध

बैंकों की उच्च स्तर की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) ने ऋणदात्री संस्थाओं की अपनी निधियों का पुनर्निवेश (रीसाइव्लिंग) करने की क्षमता को सीमित करने के अलावा, उनकी लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हुए उन्हें कमजोर कर दिया। अतः रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की पिछली बकाया राशियों की वसूली कर उनकी अनर्जक आस्तियों को कम करने के लिए अनेक संस्थागत उपाय किये। ये थे ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), लोक अदालतें, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ और कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्था (सीडीआर) तंत्र। वाणिज्य बैंकों के क्षेत्रीय और प्रधान कार्यालय के स्तरों पर निपटान परामर्शदात्री समितियाँ (एसएसी) भी गठित की गईं। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति हित लागू करने के लिए वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक नोटिस भी जारी कर सकते हैं। साथ ही, बैंकों (प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्गठन कंपनियों को छोड़कर) को अनर्जक आस्तियों की बिक्री/खरीद करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं को अपनी एनपीए संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रतिभूतिकरण बाजार का विकास

प्रतिभूतिकरण बाजार का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 1 फरवरी 2006 को बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देश जारी किये।

ऋण सूचना ब्यूरो

ऋण बाजार के सुचारु रूप से कार्य संचालन के लिए उधारकर्ता द्वारा पहले से प्राप्त ऋण सुविधाओं से संबंधित ब्यूरो और उसकी चुकौती का पिछला रिकार्ड उपलब्ध करानेवाली व्यापक ऋण सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋण के इतिहास का अभाव अपेक्षाकृत कम ऋण-पात्रता रखनेवाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण की उपलब्धता को प्रभावित करनेवाला एक महत्वपूर्ण उपादान है। ऋण के इतिहास के उपलब्ध न होने की स्थिति में ऋण का कीमत-निर्धारण मनमाना हो सकता है, ज्ञात ऋण जोखिम अधिक हो सकता है तथा हानिकर चयन और नैतिक संकट संभव है। तदनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना के प्रकटीकरण के लिए एक योजना 1994 में लागू की गई। ऋण मामलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान को सुसाध्य बनाने के लिए एक ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सिबिल) 2000 में स्थापित किया गया जिसने चूक करनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचना के प्रसार के कार्य रिजर्व बैंक से अपने अधिकार में लिये। ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम 2005 में बनाया गया ताकि ऋण सूचना कंपनियों की स्थापना की जा सके।

सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी उपबंध

वर्तमान में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को यथाविद्यमान निवल माँग और मीयादी देयता के 25 प्रतिशत का एकसमान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखें। सांविधिक चलनिधि अनुपात की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पात्र आस्तियों को नकदी, स्वर्ण अथवा भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में धारित किया जा सकता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में संशोधन किये जाने के परिणामस्वरूप एसएलआर के लिए 25 प्रतिशत की न्यूनतम दर हटाई गई है तथा रिजर्व बैंक को एसएलआर हेतु पात्र आस्तियाँ निर्धारित करने के लिए भी अधिकार दिया गया है। फिर भी, वर्तमान समष्टि-आर्थिक और मौद्रिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसएलआर में अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सारणी 6.1 : बैंक ऋण की क्षेत्र-वार वृद्धि दर

(प्रतिशत)

अवधि	कृषि	उद्योग	परिवहन परिचालक	व्यावसायिक सेवाएँ	वैयक्तिक ऋण	व्यापार	वित्त	एसएमई	कुल बैंक ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81 से 1989-90	18.1	17.4	13.6	20.7	25.3	11.8	29.2	20.7	17.2
1990-91 से 1999-00	10.6	15.4	9.4	16.8	22.7	17.3	25.6	8.1	16.0
2000-01 से 2006-07	26.0	19.5	18.2	35.3	35.5	16.2	28.1	10.7	22.9
जापन : अप्रैल-मार्च									
2000-01	13.3	10.6	7.7	31.3	27.7	25.0	21.0	3.3	17.0
2001-02	23.7	14.9	7.1	44.0	25.1	12.7	42.2	-3.6	21.8
2002-03	18.6	14.1	0.9	22.4	38.1	3.2	34.6	14.9	15.2
2003-04	26.7	8.1	18.7	29.5	57.2	-2.5	16.4	0.4	16.4
2004-05	29.2	33.5	22.8	25.8	42.9	27.8	24.3	22.8	30.9
2005-06	38.8	26.7	72.9	48.1	38.0	15.9	29.8	17.3	31.4
2006-07	33.3	31.0	9.9	48.4	22.7	36.4	30.3	23.0	28.6

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक।


को कम करने के बावजूद बैंकों ने निर्धारित अपेक्षाओं से काफी अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना जारी रखा। मार्च 1996 की समाप्ति पर एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश 31.5 प्रतिशत की निर्धारित अपेक्षा की तुलना में उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 36.9 प्रतिशत थे। एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश मार्च 2002 की समाप्ति तक लगभग उसी स्तर (36.7 प्रतिशत) पर जारी रहे, भले ही एसएलआर को उल्लेखनीय रूप में 25 प्रतिशत तक नीचे लाया गया था (भा.रि.बैं., 2007ए)।

6.28 माँग की ओर भी, कंपनी क्षेत्र द्वारा ऋण की माँग में गिरावट के लिए अनेक कारकों का अंशदान रहा। सुधारों के प्रारंभिक चरण में औद्योगिक क्षेत्र ने कुछ क्षेत्रों, विशेषतः सीमेंट और इस्पात में क्षमता में भारी विस्तार

को देखा। फिर भी, चूँकि मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गये थे तथा आयात प्रशुल्क कम किये गये थे, अतः कंपनी क्षेत्र ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना किया। इस प्रकार कंपनी क्षेत्र का फोकस क्षमता के विस्तार से पुनर्संरचना की ओर अंतरित हुआ तथा औद्योगिक क्षेत्र उल्लेखनीय रूप में मंद हो गया। औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर पिछले तीन वर्षों के 9.4 प्रतिशत की तुलना में 1996-97 से 2001-02 तक की अवधि के दौरान 5.2 प्रतिशत थी। इसने कंपनी क्षेत्र द्वारा ऋण के लिए माँग को प्रभावित किया। बढ़ी हुई प्रतियोगिता ने भी कंपनियों को अपने तुलन-पत्रों की पुनर्संरचना करने के लिए विवश कर दिया जिससे उन्होंने प्रतिधारित आमदनी पर अपनी निर्भरता को बढ़ाया और अपने उधार को कम कर दिया। यह ऋण-इक्विटी अनुपात से स्पष्ट था जो 1990-91 से 1994-95 तक के 85.5 प्रतिशत के औसत से घटकर 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि में 65.2 प्रतिशत हो गया (भा.रि.बैं., 2007ए)।


6.29 यद्यपि रिजर्व बैंक ने इस अवधि (1996-97 से 2001-02 तक) के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और नीतिगत दरों अर्थात् बैंक दर और रिवर्स रिपो दर (तत्कालीन रिपो दर) को कम करने के द्वारा अनुकूल (अकॉमोडेटिव) मौद्रिक नीति का अनुसरण किया, तथापि ऋण का उठाव नहीं बढ़ा। एक ओर सांकेतिक ब्याज दरों की अधोमुखी अवरुद्धता और दूसरी ओर गिरती हुई मुद्रास्फीति दर ने वास्तविक ब्याज दरों में उल्लेखनीय वृद्धि को प्रेरित किया। बैंकों की औसत वास्तविक उधार ब्याज दरें 1990-91 से 1995-96 तक की अवधि के 6.5 प्रतिशत की तुलना में 1996-97 से 2001-02 तक की अवधि में बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गई (मोहन, 2003)। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋण के विस्तार में मंदी के लिए इसका भी अंशदान रहा है।

6.30 तीसरे चरण (2002-03 से 2006-07 तक) में ऋण की वृद्धि सामान्यतः उच्च रही। मई 2002 से ऋण की तीव्र वृद्धि का स्वल्प



संरचनात्मक तौर पर ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से भिन्न रहा है। विशेष रूप से ऋण का विस्तार 2004-05 से 2006-07 तक लगातार तीन वर्षों के लिए लगभग 30 प्रतिशत की तेज गति से हुआ। उक्त ऋण-विस्तार का स्वरूप भी चक्रिय के अनुकूल (प्रो-साइक्लिकल) था जो इस बात का द्योतक है कि हाल के वर्षों में दर्ज की गई आय की मजबूत वृद्धि का भी ऋण की वृद्धि में उल्लेखनीय रूप में अंशदान रहा (भा.रि.बैं., 2007ए)। आस्ति की गुणवत्ता में सुधार एक प्रमुख अंशदायी कारक था। चूँकि बैंकों की सकल/निवल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में अधिक युक्तियुक्त स्तरों तक कमी आई, अतः ऋण की वृद्धि ने गति पकड़ी (चार्ट VI.2)।


6.31 ऋण की वृद्धि में गति लाने में जिन अन्य प्रमुख तत्वों का अंशदान रहा, वे थे आर्थिक संवृद्धि में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति के अनुमानों में संतुलन, वास्तविक ब्याज दरों में गिरावट, घर-परिवारों की बढ़ती हुई आमदनी तथा निजी क्षेत्र के नये बैंकों के प्रवेश से बढ़ी हुई प्रतियोगिता। साथ ही, हाल के वर्षों में बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि का श्रेय एक निम्न आधार से हुई वित्तीय वृद्धि, आपूर्ति संबंधी लचीलेपन में संरचनागत अंतरणों, ऋण बाजारों की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी तथा कृषि एवं छोटे और मझोले उद्यम जैसे क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए की गई नीतिगत पहलों को दी जा सकती है। इस चरण के दौरान फुटकर ऋण, विशेष रूप से आवास ऋण, ऋण की माँग के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है जैसा कि खंड VII में स्पष्ट किया गया है। बैंकों ने भी बुनियादी संरचना के क्षेत्र में अपना एक्सपोजर बढ़ाया जिसका ब्योरा खंड VI में दिया गया है।



6.32 जीडीपी की तुलना में ऋण के अनुपात में वृद्धि वित्तीय वृद्धि में बढ़ोतरी को निर्दिष्ट करती है। फिर भी, ऋण की तीव्र वृद्धि से कुछ जोखिम उत्पन्न हो सकती हैं। ऋण के तीव्र विस्तार को देखते हुए रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2006 में निर्दिष्ट किया कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनी क्षेत्र के बांडों/डिबेंचरों/शेयरों एवं वाणिज्यिक पत्र (सीपी) में निवेशों सहित, खाद्येतर बैंक ऋण की वृद्धि में अनुसंधान किया जाएगा ताकि वह 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि से कम होकर 2006-07 के दौरान लगभग 20 प्रतिशत रह जाए। इसे ध्यान में रखते हुए ऋण वृद्धि में संतुलन लाने के लिए मौद्रिक उपाय किये गये। साथ ही, कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए बढ़ाई गई जोखिम भार और प्रावधानीकरण की अपेक्षा के रूप में विवेकपूर्ण उपाय भी लागू किये गये। वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) से संबंधित एक्सपोजरों पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत तथा इसे आगे और बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया। उद्यम के लिए पूँजी की निधियों में बैंकों के कुल एक्सपोजर को उनके पूँजी बाजार एक्सपोजर के भाग के रूप में शामिल किया गया तथा उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे इस प्रकार के एक्सपोजरों के लिए 150 प्रतिशत का जोखिम भार नियत करें। स्थावर संपदा, बकाया क्रेडिट कार्ड की प्राप्य राशियों, पूँजी बाजार एक्सपोजर के रूप में अर्हताप्राप्त ऋणों और अग्रिमों तथा आवासीय गृहनिर्माण ऋणों को छोड़कर अन्य वैयक्तिक ऋणों को शामिल करनेवाले क्षेत्रों को मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधानीकरण की अपेक्षा 31 जनवरी 2007 को बढ़ाकर 2.00 प्रतिशत कर दी गई। आवासीय गृहनिर्माण ऋण के संबंध में प्रावधानीकरण की अपेक्षा 20 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए मौजूदा 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.00 प्रतिशत कर दी गई। मौद्रिक उपायों में रिपो दर को सितंबर 2004 के 6.00 प्रतिशत से मार्च 2007 तक चरणों में 150 आधार अंक बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत करना शामिल था। इसके अलावा, सीआरआर को मार्च 2004 के 4.50 प्रतिशत से चरणों में 150 आधार अंक बढ़ाकर मार्च 2007 तक 6.00 प्रतिशत किया गया।² रिजर्व बैंक ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को मानक परिसंपत्ति श्रेणी में बैंकों के एक्सपोजर के लिए प्रावधानीकरण की अपेक्षा को पहले के 0.4 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 2.00 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा, इस प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंकों के एक्सपोजर के लिए जोखिम भार पहले के 100 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 125 प्रतिशत किया गया। बैंकों को जमाकर्ताओं या अन्य पक्षकारों को एनआर(ई)आरए और एफसीएनआर(बी) जमा राशियों की जमानत पर 20 लाख रुपये से अधिक के नये ऋण प्रदान करने से निषिद्ध किया गया।


6.33 बुनियादी संरचना के वित्तपोषण सहित आवास ऋणों ने कुल ऋण में से मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के अंश में तीव्र वृद्धि को प्रेरित

² रिपो दर को मार्च 2007 के 7.50 प्रतिशत से विभिन्न चरणों में आगे 150 आधार अंक और बढ़ाकर जुलाई 2008 तक 9.00 प्रतिशत किया गया। सीआरआर में मार्च 2007 के 6.00 प्रतिशत से विभिन्न चरणों में 275 आधार अंक की बढ़ोतरी करते हुए जुलाई 2008 में उसे 8.75 प्रतिशत कर दिया गया। सीआरआर में आगे 25 आधार अंक की वृद्धि करके उसे 30 अगस्त 2008 से 9.00 प्रतिशत किया जाना है।



किया (चार्ट VI.3)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण में दीर्घावधि ऋणों का अंश मार्च 2000 की समाप्ति पर विद्यमान 21.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 34.3 प्रतिशत तथा मार्च 2007 के अंत में और बढ़कर 48.2 प्रतिशत हो गया। मध्यावधि ऋणों का अंश भी 2000 के 8.4 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2007 में 12.6 प्रतिशत हो गया।

6.34 बैंक समूह-वार विश्लेषण से विदित होता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि समग्र ऋण वृद्धि से सुसंगत रूप में अधिक थी। समय-समय पर इसने व्यापक घट-बढ़ भी दिखाई (चार्ट VI.4)।




6.35 बैंक ऋण (बकाया) जो मार्च 1991 के अंत में जीडीपी का 20.4 प्रतिशत था, बढ़कर मार्च 2000 के अंत में 22.3 प्रतिशत हुआ तथा मार्च 2007 के अंत में 46.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट VI.5)।

6.36 वृद्धि के होने के बावजूद, भारत में जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात विकसित और कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम था (सारणी 6.2)।

ऋण-जमा अनुपात (सीडीआर)

6.37 ऋण-जमा अनुपात जुटाई गई जमाराशियों से बैंकों द्वारा निधीकृत ऋण आस्तियों के अनुपात को सूचित करता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमा अनुपात (सीडीआर) ने 2000-01 से ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता की प्रवृत्ति दर्शायी। उक्त अनुपात जो मार्च 1994 के अंत में 48.4 प्रतिशत था, मार्च 2002 के अंत तक बढ़कर 53.2 प्रतिशत हुआ तथा मार्च 2007 के अंत तक और बढ़कर 73.0 प्रतिशत हो गया। हाल के वर्षों में ऋण के उच्चतर अनुपात का वित्तपोषण एक तरह से 1990 के दशक के बीच बैंकों द्वारा निर्मित अधिक एसएलआर प्रतिभूति संविभाग द्वारा संभव हुआ। 1991-2007 की अवधि के दौरान बैंक-समूह वार ऋण-जमा अनुपात के विश्लेषण से यह विदित होता है कि सभी बैंक समूहों के ऋण-जमा अनुपात ने 2001-02 से समग्र ऋण में वृद्धि के अनुरूप ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता की प्रवृत्ति दर्शायी। विभिन्न बैंक समूहों का अनुपात मार्च 2007 की समाप्ति पर लगभग 73 प्रतिशत की ओर अभिमुख हुआ, केवल विदेशी बैंक समूह को छोड़कर जिसने अन्य बैंक समूहों की तुलना में 1995-96 से उल्लेखनीय रूप में उच्चतर ऋण-जमा अनुपात बनाये रखा। विदेशी बैंकों के संबंध में उक्त अनुपात मार्च 2007 के अंत में लगभग 84 प्रतिशत था (चार्ट VI.6)।



सारणी 6.2 : बैंकिंग क्षेत्र का ऋण-जीडीपी अनुपात - चयनित देश

(जीडीपी की तुलना में प्रतिशत)

देश	1960	1970	1980	1981-85*	1986-90*	1991-95*	1996-00*	2001-06*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अर्जेंटीना	21.7	25.2	33.0	43.0	47.1	25.1	32.2	44.1
आस्ट्रेलिया	41.6	39.0	39.0	39.1	56.8	73.2	84.7	103.6
बेल्जियम	33.0	38.4	53.6	61.6	69.0	130.8	139.1	109.9
ब्राजील	30.8	36.8	43.0	50.7	156.5	110.2	68.1	75.0
कनाडा	28.6	47.9	84.8	92.4	97.0	115.0	119.4	205.0
फ्रांस	58.8	79.4	112.6	110.3	94.6	101.4	102.2	107.6
चीन	53.6	60.2	81.2	92.6	109.2	138.6
भारत	7.1	9.2	17.6	18.3	20.1	19.9	21.2	33.5@
इंडोनेशिया	..	10.7	8.2	13.7	31.2	48.5	59.3	48.9
आयरलैंड	28.9	35.2	39.3	54.5	54.8	56.5	93.9	134.9
इटली	..	86.3	89.0	85.7	85.6	96.8	92.1	103.7
जापान	60.3	136.3	191.3	212.8	251.6	274.7	298.6	300.1
रूसी महासंघ	27.7	32.1	24.6
सिंगापुर	..	24.8	52.4	87.5	83.1	73.9	90.3	82.8
दक्षिण अफ्रीका	..	88.6	76.4	88.2	94.8	118.5	144.5	157.7
श्रीलंका	20.1	30.2	50.0	45.2	42.4	33.4	39.0	43.7
स्वीडन	52.7	78.8	90.6	104.0	117.9	125.8	99.0	114.4
युनाइटेड किंगडम	44.7	49.5	36.6	48.4	98.8	117.2	126.4	156.5
अमरीका	105.5	118.0	120.2	126.5	150.4	163.6	195.3	216.1
विश्व	75.8	88.4	95.2	108.3	132.6	142.8	155.4	163.3

.. : उपलब्ध नहीं .

* : औसत.

@ : 2001 से 2007 तक की अवधि के औसत से संबंधित है।


टिप्पणी : आंकड़े कैलेंडर वर्ष से संबंधित हैं। भारत के मामले में आंकड़े मार्च के अंत से संबंधित हैं।

स्रोत : 1. विश्व बैंक ऑनलाइन डेटाबेस।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की पुस्तिका, 2006-07।


ऋण का क्षेत्रीय अभिनियोजन

6.38 1990 के दशक के दौरान एवं वर्तमान दशक में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बैंक उधार पर आर्थिक सुधारों और विकसित हो



रही आर्थिक संरचना का गहरा प्रभाव रहा। बैंकों द्वारा कृषि को उधार में वृद्धि 1980 के दशक की तुलना में 1990 के दशक में कम होकर लगभग आधी रह गई। फिर भी, कृषि को ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा किये गये संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप कृषि को ऋण में वृद्धि में 2003-04 से उल्लेखनीय रूप में तेजी आई। औद्योगिक क्षेत्र को बैंक उधार में भी 1990 के दशक में अवमंदन रहा, यद्यपि वह मामूली था। फिर भी उसमें वर्तमान दशक में सुधार आया। घरेलू क्षेत्र को ऋण में वृद्धि ने चालू दशक में तेजी से गति पकड़ी (देखें सारणी 6.1)।

6.39 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किये गये समग्र ऋण में वैयक्तिक ऋणों का अंश मार्च 1990 के अंत के 6.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 22.3 प्रतिशत हो गया (चार्ट VI.7 और सारणी 6.3)। परिणामस्वरूप ऋण के अन्य घटकों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। बैंक ऋण में कृषि क्षेत्र का अंश 1990 के दशक में घट गया, पर उसमें मार्च 2002 की समाप्ति से सुधार आया। उद्योग एवं छोटे और मझौले उद्यम क्षेत्रों के अंश में भी गिरावट आई। विभिन्न क्षेत्रों को बैंक ऋण का विस्तृत विश्लेषण आगामी खंडों में निर्दिष्ट किया गया है।



IV. कृषि को उधार

6.40 किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मुख्य प्रेरक पर्याप्त ऋण की उपलब्धता है। कृषि के मामले में यह केवल ऋण की उपलब्धता मात्र नहीं है, बल्कि पर्याप्त संस्थागत ऋण तक पहुँच भी है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि में संलग्न अधिकांश व्यक्ति सीमांत और छोटे कृषक की श्रेणियों में आते हैं। इसे देखते हुए महाजनों जैसे ऋण के अनौपचारिक

स्रोतों को प्रतिस्थापित करने एवं कृषि क्षेत्र को समय पर ऋण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यनीति (स्ट्रैटजी) कृषि को ऋण के संस्थागत स्रोतों की भूमिका को मजबूत करने की रही है। इसके अलावा, चूँकि कृषि अभी भी लगातार मानसून पर निर्भर है (जैसा कि कृषि उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों से स्पष्ट है), अतः इसे एक अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है (बॉक्स VI.2)।

6.41 कृषि सहित अत्यधिक जोखिम वाले कार्यकलापों की आवश्यकताएँ पूरी करने के प्रति बैंकों की अनिच्छा देखी गई है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र को ऋण निर्दिष्ट करने के लिए कुछ नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की गई। कृषि वित्त का नीतिगत ढाँचा कृषि को संसाधनों की सुचारु रूप से उपलब्धता के लिए समर्थक वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से कई वर्षों से विकसित हुआ है। कृषि को पर्याप्त संस्थागत ऋण की आवश्यकता बहुत पहले ही 1936 और 1937 में नीति के दायरे में आ गई थी जब अध्ययनों ने यह दर्शाया था कि कृषि के लिए वित्त पूर्णतः महाजनों पर निर्भर है तथा सहकारी संस्थाओं और अन्य एजेंसियों की भूमिका इसमें नगण्य है। अतः 1935 और 1950 के बीच की अवधि में रिजर्व बैंक का फोकस सहकारी ऋण आंदोलन को पुनः अनुप्राणित करने पर रहा था। राष्ट्रीय नीति में ग्रामीण ऋण के वितरण में वाणिज्य बैंकों की संवर्धित भूमिका जुलाई 1966 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति (अध्यक्ष : श्री बी. वेंकटप्पय्या) की सिफारिशों के परिणामस्वरूप प्रारंभ हुई। 1969 में (और 1980 में) प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद एवं 1969 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की संकल्पना जिसे 1972 में औपचारिक

सारणी 6.3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का वितरण (कुल ऋण में अंश)

(प्रतिशत)

गतिविधि	मार्च के अंत में										
	1980	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. कृषि	15.7	15.9	11.8	9.9	9.6	9.8	10.0	10.9	10.8	11.4	11.8
1. प्रत्यक्ष वित्त	12.2	13.8	10.2	8.4	8.1	7.2	7.8	8.0	8.2	8.2	8.8
2. परोक्ष वित्त	3.5	2.1	1.7	1.5	1.5	2.5	2.2	3.0	2.6	3.2	3.0
ii. उद्योग	48.8	48.7	45.6	46.5	43.9	41.4	41.0	38.0	38.8	37.4	38.1
iii. परिवहन परिचालक	4.6	3.2	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.3	1.2	1.6	1.3
iv. व्यावसायिक और अन्य सेवाएँ	2.2	3.0	2.3	3.2	3.6	4.2	4.5	5.0	4.8	5.4	6.2
v. वैयक्तिक ऋण	3.4	6.4	9.0	11.2	12.2	12.6	15.1	20.3	22.2	23.3	22.3
1. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण	0.1	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
2. आवास के लिए ऋण	1.1	2.4	2.8	4.0	4.7	5.0	6.5	9.7	11.0	12.0	11.8
vi. व्यापार	19.7	13.9	17.1	15.6	16.6	15.4	13.8	11.5	11.2	9.9	10.5
vii. वित्त	1.0	2.1	3.8	4.8	4.9	5.7	6.7	6.7	6.4	6.3	6.4
viii. अन्य सभी	8.1	6.8	8.5	7.1	7.5	9.5	7.7	6.2	4.6	4.7	3.3
कुल बैंक ऋण	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ज्ञापन :											
छोटे और मझौले उद्यम	12.0	12.4	10.8	8.2	7.2	5.7	5.7	4.9	4.6	4.1	3.9

स्रोत: भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक।

बॉक्स VI.2 कृषि को उधार से संबद्ध जोखिमें

किसानों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा सम्मुखीकृत जोखिम का स्वरूप और उसकी सघनता कृषि की प्रणाली के प्रकार, कृषि उत्पादन, मौसम की स्थितियों एवं प्रचलित आर्थिक और कृषि संबंधी नीतियों के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। कृषि को उधार देते समय वित्तीय संस्थाएँ जिन जोखिमों का सामना करती हैं वे मुख्य रूप से अत्यधिक ब्याज और चलनिधि जोखिम, पुनर्वित्त जोखिम और ऋण जोखिम से संबंधित हैं।

ऋण जोखिम दीर्घावधि कृषि उधार में बढ़ जाती है क्योंकि दीर्घकालिक समय सीमाओं में कीमतों, लागतों, बाजार की माँग और तकनीकी प्रगति का अनुमान अधिक कठिन हो जाता है तथा प्रणालीगत जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। तदनुसार, ऋण के मूल्यांकन में निहित त्रुटि का मार्जिन ऋण की परिपक्वता अवधि के प्रति अनुपातिक तौर पर बढ़ जाता है। अधिक राशियों और अधिक अवधियों की स्थिति के परिणामस्वरूप भी नैतिक संकट की जोखिमें बढ़ जाती हैं।

मीयादी ऋणों के संबंध में कोई भी चूक ऋणदाता के संविभाग की गुणवत्ता पर अधिकाधिक प्रभाव डालती है। इसके कारण ऋण हानि प्रावधानीकरण के लिए लागतें अपेक्षाकृत अधिक हो सकती हैं तथा पूँजी बाजार में बैंक का रेटिंग प्रभावित हो सकता है जिससे निधियों की लागतें बढ़ सकती हैं। संविभाग जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए ऋणदाता अपने संविभाग में कृषि मीयादी ऋणों के अंश को सीमित करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस जोखिम की तीव्रता अधिक हो जाती है यदि प्रणालीगत जोखिमों का प्रबंध करने के लिए साधन, जैसे फसल बीमा, सिंचाई या कीमत जोखिम प्रबंध उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

एक परंपरागत बैंक प्रथा जो ऋणदाता को उधारकर्ता की संभावित चूक से सुरक्षा देती है, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) या बंधक जैसी ऋण की समर्थक जमानत (कॉलेटरल) की अपेक्षा है। ऋण की समर्थक जमानत का उपयोग बैंक संभावित ग्राहकों का अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) करने (ग्राहक संबंधी जानकारी के अभाव में प्रतिस्थापन के रूप में) तथा ऋण की चूक होने की स्थिति में ऋण की संविदाओं को प्रवर्तित और प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। बैंकों के लिए पारंपरिक समर्थक ऋणाधार (कॉलेटरल) का वरीयताप्राप्त रूप स्थावर संपत्ति (रियल प्रॉपर्टी) पर बंधक है जिसके लिए भूमि संबंधी स्पष्ट स्वत्वाधिकार और बंधक पंजीकरण की आवश्यकता होती है। चूंकि सामान्यतः स्पष्ट और सुरक्षित भू-स्वत्वाधिकार का अभाव रहता है, अतः बैंक कृषि को उधार देने में अतिरिक्त जोखिम का सामना करते हैं।

किसी भी निश्चित शाखा में संविभागों की विपुलता के 2-3 कृषि उत्पादों तक सीमित रहते हुए, कृषि को दिए गए उधार में उप-क्षेत्रों के बहुत संकीर्ण दायरे पर अत्यधिक निर्भर होने की प्रवृत्ति दिखती है। थोड़े-से कृषि उत्पादों के

बीच संविभाग जितना अधिक संकेंद्रित होता है, बाजार जोखिम और उद्योग में परिवर्तनों के प्रति समूचा संविभाग उतना ही अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा, चूंकि ग्रामीण जमाकर्ताओं के आर्थिक कार्यकलाप एक जैसे अथवा परस्पर संबद्ध होते हैं, अतः 'उत्पादन जोखिमों' किसी निश्चित समुदाय में सहपरिवर्ती होने की प्रवृत्ति दर्शाती है तथा जमा स्वीकार करनेवाली संस्था को अंतरित हो सकती है। उदाहरण के लिए अन्य बातों के बीच भारी मात्रा में फसलों के नष्ट होने और पशुओं के बीमार होने की स्थिति में ऋणदात्री संस्था एक ही समय ऋण की अधिकतर माँग के साथ ही, बड़े पैमाने पर जमाराशियों के आहरणों की अत्यधिक जोखिमों से घिर जाती है।

विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र द्वारा अनुभव की जा रही एक सर्वाधिक सामान्य जोखिम, शहरी उद्यमों की वस्तुओं और सेवाओं, जिनमें स्थानीय बाजार रखने की प्रवृत्ति होती है, जो कमजोर होने के बावजूद कम अस्थिर होते हैं, की अपेक्षा, शेष विश्व में समष्टि-आर्थिक कारकों के प्रति अंतिम उत्पादों की कीमतों की अतिसंवेदनशीलता है।

कृषि को उधार में उच्चतर जोखिमों की उपस्थिति संकटकारक होती है। यह समझा जाता है कि अधिकांश विकासशील देशों में अब तक फसल अथवा ऋण बीमा के साथ प्रयोग बहुत संतोषजनक नहीं रहे हैं। वास्तव में कई किसान यह महसूस करते हैं कि जहाँ अनिवार्य बीमा का सहारा लिया गया है, वहाँ इससे संस्थागत स्रोतों से उधार का बोझ बढ़ ही गया है तथा एक बार लेनदेन लागतों को जोड़ने पर समग्र लागतों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होती है। संभवतः यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि यदि बीमा के कुछ तत्व प्रारंभ से सक्षम नहीं हैं, तो ऋण प्रदान करना अधिक जोखिमपूर्ण हो जाता है और इसलिए निरुद्ध हो जाता है (रेड्डी, 2005)।

संदर्भ :

- कोफी एलिजाबेथ, 1998। "एग्रिकल्चरल फाइनेंस : गेटिंग द पॉलिसीज राइट"। एग्रिकल्चरल फाइनेंस रीविजिटेड नं. 2, एफएक्यू, जून।
- गिचलर, थॉर्सटन, 1999। "सोर्स ऑफ फंड्स फॉर एग्रिकल्चरल लेंडिंग"। एग्रिकल्चरल फाइनेंस रीविजिटेड नं. 4, एफएक्यू, दिसंबर।
- रेड्डी, वाइ.वी., 2005। "बैंकिंग सेक्टर रिफार्म्स इन इंडिया : एन ओवरव्यू"। भा.रि.बैं. बुलेटिन, जून।

रूप दिया गया, को लागू करने के साथ वाणिज्य बैंकों की भूमिका और व्यापक हो गई (बॉक्स VI.3)। ग्रामीण बैंकों संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष : श्री एम. नरसिंहम) की सिफारिशों के अनुसार "बहु एजेंसी दृष्टिकोण" में तीसरा संस्थागत स्तर (टीयर) गठित करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) स्थापित किये गये। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसरण में एक विशेषीकृत संस्था 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' (नाबार्ड) 1982 में स्थापित की गई। इसने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी) के समूचे कार्य तथा राज्य सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से संबंधित रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त कार्यों को अपने अधिकार में लिया।

6.42 1960 के दशक के मध्य से किसानों के परिवारों को संस्थागत वित्त ने काफी प्रगति की है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराये गये अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षणों (एआइडीआइएस) के आधार पर संस्थागत स्रोतों से किसान परिवारों के उधार का अंश 1951 के 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 66.3 प्रतिशत हो गया, परंतु 2002 में घटकर 61.1 प्रतिशत रह गया। 1991 और 2002 के बीच किसान परिवारों द्वारा विशेष रूप से गैर-संस्थागत स्रोतों से प्राप्त उधारों में तेजी से वृद्धि हुई। घरेलू ऋणग्रस्तता में वृद्धि काफी हद तक उपभोग और इसी प्रकार के अन्य व्ययों के कारण थी। अतः यह संभव है कि गैर-संस्थागत स्रोतों के प्रति किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि अंशतः उपभोग व्ययों के कारण भी थी, जिसका

बॉक्स VI.3

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य : संशोधित मार्गदर्शी निदेश

भारत में बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के निर्धारणों का आरंभ 1967-68 की ऋण नीति में देखा जा सकता है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि वाणिज्य बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों अर्थात् कृषि, निर्यातों और लघु उद्योगों के वित्तपोषण में अपनी संबद्धता को अत्यावश्यकता के तौर पर बढ़ाना चाहिए। तथापि, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की संकल्पना को मई 1971 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिमों से संबंधित सांख्यिकी पर अनौपचारिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 1972 में औपचारिक रूप दिया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की सूचना देने के लिए एक संशोधित विवरणी निर्धारित की तथा फरवरी 1972 में इस संबंध में कुछ मार्गदर्शी निदेश जारी किये गये थे जिनके द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शामिल की जानेवाली मदों के दायरे को निर्दिष्ट किया गया था। इनमें से अधिकांश मामलों में मार्गदर्शी निदेशों ने केवल शामिल किये जानेवाले अग्रिमों का सामान्य ब्योरा निर्दिष्ट किया तथा केवल लघु उद्योग एवं सड़क और जल परिवहन परिचालकों के मामले को छोड़कर जहाँ मूल निवेशों के मूल्य पर उच्चतम सीमाएँ निर्धारित की गई थीं, कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तब से लेकर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के विस्तार और सीमा में अनेक परिवर्तन किये गये हैं तथा इस क्षेत्र के दायरे में कई नये क्षेत्र और सेक्टर लाये गये हैं।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अप्रैल 2007 में संशोधित मानदंडों के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की परिभाषा को युक्तसंगत बनाते हुए उसमें केवल जनसंख्या के बड़े वर्गों को प्रभावित करनेवाले क्षेत्रों, कमजोर वर्गों तथा कृषि जैसे रोजगार-प्रधान क्षेत्रों और अत्यंत लघु व लघु उद्यमों को शामिल किया गया। संशोधित मानदंडों के अंतर्गत स्थूल क्षेत्रों में कृषि (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों), लघु उद्यम (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), आवश्यक पण्यों में फुटकर व्यापार और उपभोक्ता सहकारी भंडार, व्यष्टि ऋण, शैक्षणिक ऋण एवं आवास ऋण शामिल हैं।

संशोधित मानदंडों के अंतर्गत, देशी और विदेशी बैंकों के लिए क्रमशः 40 प्रतिशत और 32 प्रतिशत पर निर्धारित समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों एवं अन्य उप-लक्ष्यों को अपरिवर्तित रखा गया है। फिर भी अब इनकी गणना निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के स्थान पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलन-पत्र में शामिल न किये गये एक्सपोजरों की राशि के समकक्ष ऋण, जो भी अधिक हो, के प्रतिशत के रूप में की जाती है। एएनबीसी में एनबीसी और एचटीएम श्रेणी में धारित गैर-एसएलआर बांडों में बैंकों द्वारा किये गये निवेश शामिल हैं।

कृषक व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत इस बात पर विचार किये बिना कि उन्होंने उत्पाद निर्मित करने के लिए फसल ऋण लिये अथवा नहीं, 12 महीने से अनधिक अवधि के लिए कृषि उत्पाद (गोदाम रसीदों सहित) की

गिरवी/दृष्टिबंधक के आधार पर 10 लाख रुपये तक के अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। देशी बैंकों के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य में से, समायोजित निवल बैंक ऋण अथवा तुलन-पत्र में शामिल न किये गये निवेश की राशि के समकक्ष ऋण, जो भी अधिक हो, के 18 प्रतिशत का उप-लक्ष्य कृषि क्षेत्र को उधार देने के लिए नियत किया गया है। कृषि को उधार देने के 18 प्रतिशत के लक्ष्य में बैंकों द्वारा किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात् अन्य एजेंसियों के माध्यम से या अप्रत्यक्ष वित्त द्वारा प्रदान किया गया वित्त शामिल है। तथापि, कृषि को दिया जानेवाला अप्रत्यक्ष ऋण, समायोजित निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत अथवा कृषि को समग्र ऋण के 25 प्रतिशत (जो 18 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के अंतर्गत बैंकों द्वारा किये गये निष्पादन की गणना के लिए प्रयुक्त है) से अधिक नहीं होना चाहिए। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के मानदंडों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष संस्थागत ऋण में कृषि के प्रयोजनों के लिए भूमि की खरीद हेतु लघु और सीमांत कृषकों के लिए मंजूर किये गये ऋण शामिल हैं। गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त व्यथित किसान उचित संपार्श्विक और सामूहिक जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

संशोधित मार्गदर्शी निदेशों के अंतर्गत विशेष रूप से कृषि को दिये जानेवाले छोटे ऋणों के प्रति 'क्राउडिंग आउट' के प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से कीमती (बिग टिकट) ऋणों/अग्रिमों की राशि के केवल एक-तिहाई भाग को ही प्रत्यक्ष कृषि के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति है। जहाँ बैंक अधिकांशतः गैर-निधीकृत व्यवसाय (डेरिवेटिव्स) में अपनी संलग्नता के कारण 'शून्य' अथवा नगण्य निवल बैंक ऋण (एनबीसी) की सूचना देते हैं, वहाँ उन स्थितियों का समाधान करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों को उनके तुलन-पत्र में शामिल न किये गये व्यवसाय के समकक्ष ऋण के साथ संबद्ध किया गया है।

यदि देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य (एएनबीसी का 40 प्रतिशत अथवा तुलन-पत्र में शामिल न किये गये एक्सपोजर की राशि का समकक्ष ऋण, इनमें से जो भी अधिक हो) और/या कृषि लक्ष्य (एएनबीसी का 18 प्रतिशत अथवा तुलन-पत्र में शामिल न किये गये एक्सपोजर की समकक्ष राशि का ऋण, इनमें से जो भी अधिक हो) प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में नाबार्ड के पास स्थापित ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) या अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास स्थित निधियों में अंशदान के लिए राशियों का आबंटन किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य/उप-लक्ष्यों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में कमी रखनेवाले विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे लघु उद्यम विकास निधि (एसईडीएफ) में अंशदान करें, जिसके संबंध में आवश्यक संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा व्यवस्थित है।

वित्तपोषण संस्थागत स्रोतों से आसानी से नहीं किया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप, किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता में गैर-संस्थागत स्रोतों का अंश 1991 और 2002 के बीच बढ़ गया, भले ही संस्थागत स्रोतों के प्रति किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता में 1981-91 की तुलना में 1991-2002 के बीच उच्चतर दर से वृद्धि हुई (सारणी 6.4)।

6.43 बैंकों द्वारा प्रस्तुत³ कृषि ऋण के प्रत्यक्ष⁴ संस्थागत स्रोतों की सांख्यिकीय विवरणियों के अनुसार सहकारी संस्थाओं का अंश जो 1980-81 में बकाया प्रत्यक्ष संस्थागत कृषि ऋण के 57 प्रतिशत का सबसे अधिक अंश था, घटकर 2001-02 में 32 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का अंश (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) जो

3 भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका, 2006-07 में दिये गये आंकड़ों के आधार पर।

4 सहकारी संस्थाओं, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) जैसी संस्थाओं और राज्य सरकारों द्वारा हिताधिकारी/उधारकर्ता को सीधे दिया गया कृषि ऋण।

सारणी 6.4 : विभिन्न स्रोतों से किसान परिवारों का उधार[#]

श्रेणी	(प्रतिशत)						
	1951	1961	1971	1981	1991	2002	
1	2	3	4	5	6	7	
1. गैर-संस्थागत	92.7	81.3	68.3	36.8	30.6	38.9	(10.0) (19.4)
जिसमें से:							
साहूकार	69.7	49.2	36.1	16.1	17.5	26.8	(13.0) (21.6)
2. संस्थागत	7.3	18.7	31.7	63.2	66.3	61.1	(12.6) (15.6)
जिसमें से:							
वाणिज्य बैंक	0.9	0.6	2.4	28.8	35.2	26.3	(14.4) (13.2)
3. अविनिर्दिष्ट	-	-	-	-	3.1	-	
कुल (1+2+3)	100	100	100	100	100	100	(12.1) (16.5)

: उधार से आशय बकाया नकदी ऋणों से है।


टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े चक्रवृद्धि वार्षिक संवृद्धि दरों (सीएजीआर) को सूचित करते हैं। स्तंभ 6 1981-1991 की अवधि के लिए सीएजीआर को सूचित करता है, जबकि स्तंभ 7 1991-2002 की अवधि के लिए सीएजीआर को सूचित करता है।

स्रोत : 1. मोहन (2006)।

2. अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, विभिन्न अंक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ)।


1980-81 में कृषि को दिये गये बकाया प्रत्यक्ष संस्थागत ऋण का 43 प्रतिशत था, बढ़कर 2001-02 में 68 प्रतिशत हो गया और इस प्रकार वह प्रत्यक्ष संस्थागत कृषि ऋण के सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा। फिर भी, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल बकाया ऋण में कृषि ऋण के अंश ने 1990 के दशक में और वर्तमान दशक के प्रारंभ में तीव्र गिरावट दर्शायी। सकल खाद्येतर ऋण में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये गये प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का अंश मार्च 1987 के अंत में विद्यमान 18.4 प्रतिशत के चरम स्तर से गिरकर मार्च 1991 के अंत में 14.8 प्रतिशत रहा तथा आगे और घटकर मार्च 2001 के अंत में 12.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट VI.8)।

6.44 हाल के वर्षों में कृषि को दिये जानेवाले ऋण में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के अंश में उल्लेखनीय सुधार रहा है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल बकाया ऋण में कृषि ऋण का अंश मार्च 2002 के अंत में विद्यमान 9.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 11.8 प्रतिशत हो गया, यद्यपि वह 1990 के दशक के प्रारंभ में प्राप्त स्तर से अभी भी नीचे था। इस उन्नति का श्रेय कृषि को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किये गये नीतिगत उपायों को दिया जा सकता है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, देश के कई भागों में कृषि संबंधी संकट के




चलते अत्यावधि ऋणों की मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के रूप में पुनर्व्यवस्था, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक लक्ष्य, तथा 2004-05 से प्रारंभ करके तीन वर्ष के अंदर ऋण की उपलब्धता को दुगुनी करने के लिए बैंकों को निदेश शामिल थे (भा.रि.बैं., 2007ए)। 18 जून 2004 को भारत सरकार द्वारा घोषित कृषि के लिए व्यापक ऋण नीति के भाग के रूप में प्रति वर्ष 30 प्रतिशत की दर से ऋण को बढ़ाते हुए तीन वर्ष के अंदर कृषि ऋण को दुगुना करना अपेक्षित था। वित्तीय समावेशन के अनुसार 100 किसान/शाखा की दर से वित्त प्रदान करते हुए तथा वर्ष में 50 लाख नये किसानों को वित्त उपलब्ध कराते हुए वाणिज्य बैंकों द्वारा किसानों की व्याप्ति (कवरेज) को बढ़ाने की ओर नीतिगत प्रयास किये गये। इसके परिणामस्वरूप, कृषि को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण में वृद्धि जो 1990 के दशक में 10.6 प्रतिशत के निम्न स्तर पर थी, त्वरित गति से बढ़कर 2000-01 से 2006-07 तक की अवधि के दौरान 26.0 प्रतिशत हो गई। कृषि को बैंक ऋण की वृद्धि में 2003-04 से उल्लेखनीय रूप से गति आई तथा वह 2001-02 के 23.7 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 के दौरान 29.2 प्रतिशत हुई तथा आगे और बढ़कर 2005-06 के दौरान 38.8 प्रतिशत हो गई, परंतु 2006-07 में इसमें 33.3 प्रतिशत तक नरमी आई (देखें सारणी 6.1)। इस बढ़ोतरी की एक मुख्य विशेषता कृषि क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में अप्रत्यक्ष वित्त के अंश में तीव्र वृद्धि⁵ थी जो मार्च 2001 के अंत में स्थित 16.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 25.5 प्रतिशत हो गई थी

⁵ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए प्रदत्त अप्रत्यक्ष वित्त में भंडारण और बाजार प्रांगणों (मार्केट यार्डों) के लिए तथा अन्य कृषि से संबद्ध कार्यकलापों को स्थापित करने के लिए प्रदान किये गये ऋण शामिल हैं। प्रत्यक्ष वित्त जो उधारकर्ता को सीधे जारी किया जाता है, के असमान अप्रत्यक्ष वित्त के मामले में यह सामान्यतः किसी अन्य एजेंसी/माध्यम/स्तर द्वारा दिया जाता है।



(चार्ट VI.9)। अप्रत्यक्ष वित्त में वृद्धि संभवतः कृषि क्षेत्र को अप्रत्यक्ष बैंक वित्त के अंतर्गत सम्मिलित की गई मदों के दायरे को बढ़ाने के कारण थी।

6.45 कृषि को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप कृषि जीडीपी के प्रतिशत के



रूप में संस्थागत स्रोतों से कृषि को ऋण (ऋण गहनता) 2000-01 में विद्यमान 11.3 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 2006-07 में 31 प्रतिशत हो गया। कुल जीडीपी में संस्थागत स्रोतों से कृषि ऋण का अंश (चालू बाजार कीमतों पर उपादान लागत पर) भी 2000-01 में विद्यमान 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 5.4 प्रतिशत हो गया (चार्ट VI.10)। कृषि क्षेत्र की ऋण गहनता में इस वृद्धि का एक उल्लेखनीय पहलू यह था कि यह ऐसे समय घटित हो रहा था जब जीडीपी के अनुपात के रूप में कृषि द्वारा संवर्धित मूल्य में गिरावट आ रही थी (मोहन, 2006)।


अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण : बैंक समूह-वार

6.46 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण का बैंक समूह-वार वितरण यह संकेत करता है कि मार्च 2007 की समाप्ति पर कृषि को दिये गये बकाया बैंक ऋण के आधे से अधिक (52.9 प्रतिशत) का अंशदान राष्ट्रीयकृत बैंक समूह का था और लगभग एक चौथाई अंश (24.4 प्रतिशत) स्टेट बैंक समूह का था। इस प्रकार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने मिलकर कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण के तीन-चौथाई हिस्से से अधिक (77.3 प्रतिशत) का अंशदान किया। वर्षों से जबकि भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के अंश में गिरावट रही, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के अंश में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिनकी स्थापना प्राथमिक रूप से विशेष रूप से कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, का अंश मार्च 2000 के अंत में विद्यमान लगभग 13.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 की समाप्ति पर 11.4 प्रतिशत हो गया। निजी क्षेत्र के बैंकों के अंश में 2000-2007 की अवधि के दौरान मामूली वृद्धि देखी गई (चार्ट VI.11)।


अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण : ऋणों के प्रकार के अनुसार

6.47 खाते के प्रकार के आधार पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को दिये गये ऋण की प्रवृत्ति यह प्रकट करती है कि कृषि को प्रदत्त कुल बकाया ऋण में दीर्घावधि ऋणों के अंश⁶ में 1990 के दशक के प्रारंभ से तेजी से गिरावट हुई। यह समग्र बैंक ऋण में विद्यमान ढाँचे के विपरीत है जिसमें कुल बैंक ऋण में दीर्घावधि ऋणों के अंश में तेजी से वृद्धि हुई। कृषि को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त बकाया ऋण में कृषि को दीर्घावधि ऋणों के अंश में मार्च 1991 के अंत में विद्यमान 76.3 प्रतिशत से तेजी से गिरावट हुई और वह मार्च 1996 के अंत में 59.3 प्रतिशत और मार्च 2005 के अंत में 40.7 प्रतिशत तथा आगे और घटकर मार्च 2006 की समाप्ति पर 34.7 प्रतिशत रहा तथा इसके पश्चात् इसमें सुधार हुआ और मार्च 2007 के अंत में बढ़कर यह 39.8 प्रतिशत रहा।


6 भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों में मीयादी ऋणों को मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के रूप में विभाजित किया गया है। जबकि मध्यावधि ऋण 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत ऋण हैं, दीर्घावधि ऋण 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत ऋण होते हैं।



6.48 दूसरी ओर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये कुल कृषि ऋण में अल्पावधि ऋण का अंश⁷ मार्च 2002 के अंत से उल्लेखनीय रूप में बढ़ा जबकि मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के अंश में गिरावट हुई (चार्ट VI.12)। अल्पावधि ऋण के अंश में 2002 से वृद्धि का कारण



बहुत हद तक अल्पावधि अप्रत्यक्ष वित्त में तीव्र वृद्धि है। कृषि को अल्पावधि अप्रत्यक्ष वित्त मार्च 1991 की समाप्ति पर विद्यमान 165 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2006 की समाप्ति पर 23,829 करोड़ रुपये हो गया तथा इसके बाद यह घटकर मार्च 2007 के अंत में 18,714 करोड़ रुपये रहा (चार्ट VI.13)। इसके परिणामस्वरूप, कृषि को प्रदत्त अल्पावधि ऋण में कृषि को दिये गये अल्पावधि अप्रत्यक्ष ऋण का अंश मार्च 2001 की समाप्ति पर विद्यमान 16.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 की समाप्ति पर 58.4 प्रतिशत रहा तथा इसके बाद यह घटकर मार्च 2007 के अंत में 45.9 प्रतिशत हो गया। मीयादी ऋणों के अंश में गिरावट का कारण आपूर्ति और माँग दोनों से संबंधित दबाव हो सकते हैं। माँग की ओर, निवेश हेतु ऋण के लिए माँग संभवतः जोतों (लैंड होल्डिंग्स) के औसत आकार में कमी के कारण प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुई है। 1991-92 और 2003 के बीच परिचालनगत जोतों की संख्या लगभग 93 मिलियन से बढ़कर 101 मिलियन हो गई, जबकि परिचालित क्षेत्र लगभग 125 मिलियन हेक्टेअर से घटकर लगभग 108 मिलियन हेक्टेअर रह गया जिसके परिणामस्वरूप औसत परिचालित क्षेत्र 1991-92 के 1.34 हेक्टेअर से घटकर 2003 में 1.06 हेक्टेअर हो गया⁸। आपूर्ति की ओर, बैंकों की रुचि भी अल्पावधि ऋण में अधिक हो सकती है क्योंकि इसमें ऋण जोखिम कम है, इसके लिए कम पर्यवेक्षण और कम निगरानी लागतों की आवश्यकता होती है तथा इससे एक बेहतर आस्ति-देयता प्रबंध सुसाध्य होता है (गोलेइट, 2007)।



7 अल्पावधि ऋण में नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, माँग ऋण, पैकिंग ऋण, खरीदे और भुनाये गये निर्यात व्यापार बिल, जमानत पर प्रदत्त निर्यात व्यापार बिल, निर्यात नकदी प्रोत्साहनों और शुल्क वापसी दावों की जमानत पर अग्रिम, खरीदे और भुनाये गये देशी बिल (व्यापार और अन्य), आयात बिलों की जमानत पर अग्रिम तथा खरीदे गये विदेशी मुद्रा चेक/यात्री चेक/माँग ड्राफ्ट/तार अंतरण/डाक अंतरण शामिल हैं।

8 कृषि ऋणग्रस्तता पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, 2007।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण : जोत के आकार के अनुसार



6.49 कृषि को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थिति प्रदान करने में अंतर्निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ऋण विशिष्ट रूप से छोटे और सीमांत कृषकों को उपलब्ध हो जिनसे कृषि की श्रम-शक्ति का बड़ा भाग बनता है। जोत के आकार के अनुसार कृषि को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों से संबंधित आंकड़ों से यह विदित हुआ कि कुल कृषि ऋणों में सीमांत कृषकों (2.5 एकड़ तक जोत रखनेवाले) का अंश 1980-81 और 2004-05 के बीच मोटे तौर पर एक ही स्तर पर रहा। छोटे किसानों (2.5 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक जोत रखनेवाले) का अंश 1980-81 के 16.6 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 तक 26.2 प्रतिशत हो गया तथा उसके बाद मोटे तौर पर उसी स्तर पर बना रहा जबकि बड़े किसानों (5 एकड़ से अधिक जोत रखनेवाले) का अंश 1980-81 के 58.5 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 46.2 प्रतिशत हो गया और उसके बाद मोटे तौर पर उसी स्तर पर बना रहा (चार्ट VI.14)। इस प्रकार उस स्थिति में भी जब छोटे और सीमांत किसानों को ऋण की समग्र राशि 1990 और 2005 के बीच दस गुनी से भी अधिक बढ़ गई, कुल कृषि ऋणों में उनके अंश ने कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं दर्शाया।



6.50 ऋण खातों की संख्या के तौर पर कृषि ऋण खातों की कुल संख्या में सीमांत कृषकों का अंश 1980-81 के 51.7 प्रतिशत से घटकर 1995-96 में 37.4 प्रतिशत हुआ, परंतु उसके बाद 2004-05 में 44 प्रतिशत तक उसमें सुधार आया (चार्ट VI.15)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण : कृषि को छोटे ऋण

6.51 कृषि के लिए छोटे ऋण (मार्च 1999 से लागू छोटे ऋणों के लिए संशोधित अधिकतम सीमा के अनुसार 2 लाख रुपये तक के उधार खातों को शामिल करते हुए), जो मार्च 2000 की समाप्ति पर कृषि उधार खातों की कुल संख्या का लगभग 99 प्रतिशत थे, मामूली तौर पर घटकर मार्च 2007 के अंत में 95.1 प्रतिशत हुए। छोटे ऋणों की श्रेणी का आगे और विश्लेषण करने पर यह विदित होता है कि कृषि उधार खातों की कुल संख्या में 25,000 रुपये से कम की ऋण सीमा वाले छोटे उधार खातों का अंश मार्च 2000 की समाप्ति पर विद्यमान 85.4 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 की समाप्ति पर 55.9 प्रतिशत रह गया। फिर भी, कृषि खातों की कुल संख्या में 25,000 रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक की ऋण सीमा से युक्त छोटे उधार खातों का अंश मार्च 2000 के अंत में विद्यमान 13.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 39.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट VI.16)।

6.52 कुल कृषि ऋण में 2 लाख रुपये तक के छोटे उधार खातों के संबंध में बकाया कृषि ऋण का अंश मार्च 1992 के अंत में स्थित 80.9 प्रतिशत से घटकर मार्च 2000 के अंत में 67.6 प्रतिशत हुआ तथा इसमें आगे और कमी आई और यह मार्च 2007 के अंत में 42.6 प्रतिशत रह गया। यह प्राथमिक तौर पर 25,000 रुपये और उससे कम राशि के ऋण सीमा आकार वर्ग के छोटे उधार खातों के संबंध में बकाया कृषि ऋण के अंश में उल्लेखनीय गिरावट के कारण था (चार्ट VI.17)।





6.53 खातों की संख्या और बकाया राशि के तौर पर कृषि संबंधी छोटे उधार खातों (जिनमें 2 लाख रुपये के ऋण सीमा आकार तक के खाते शामिल हैं) के अंश में गिरावट आंशिक तौर पर मुद्रास्फीति के प्रभावों के कारण थी। ऋण सीमा आकार के वर्ग सांकेतिक (नॉमिनल) तौर पर व्यक्त किये गये हैं तथा कालांतर में मुद्रास्फीति के कारण इस बात की संभावना है कि ऋण सीमा आकार के इन वर्गों के मूल्य में वास्तविक तौर पर गिरावट आ जाए। 'छोटे उधार खातों के सर्वेक्षण' के आधार पर 2001-2006 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति के लिए छोटे उधार खातों के अंतर्गत ऋण सीमा आकार के वर्गों को⁹ समायोजित करने के बाद कृषि उधार खातों की कुल संख्या में कृषि संबंधी छोटे उधार खातों की संख्या के अंश में गिरावट बनी रही, यद्यपि इस गिरावट की सीमा कुछ-कुछ निम्नतर थी। 25,000 रुपये और उससे कम (जो कृषि संबंधी अधिकांश छोटे उधार खातों के विषय में ऋण सीमा का आकार है) की ऋण सीमा से युक्त छोटे उधार खातों की संख्या का अंश मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने के बाद घट गया। फिर भी, उक्त गिरावट मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए समायोजन करने पर कम ही पायी गई। कृषि के प्रति कुल बकाया ऋण में कृषि संबंधी छोटे उधार खातों के अंतर्गत बकाया राशि के अंश में भी मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए समायोजित करने के बाद गिरावट देखी गई यद्यपि वह मुद्रास्फीति के लिए समायोजित न करने की स्थिति की तुलना में कम ही थी (सारणी 6.5 और चार्ट VI.18)।

कृषि को उधार देने में विभिन्न देशों के अनुभव

6.54 2007 में किये गये नमूना अध्ययन में न्यूजीलैंड एकमात्र देश पाया गया जिसमें वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण में कृषि ऋण का अंश भारत की तुलना में अधिक था (सारणी 6.6)। जिन देशों की समीक्षा की गई थी उनमें से भारत में कृषि क्षेत्र में वाणिज्य बैंक ऋण की गहनता (अर्थात् कृषिगत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वाणिज्य बैंकों का कृषि ऋण) पूर्वी एशिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान उक्त ऋण की मात्रा के समान थी। तथापि, कृषि संबंधी ऋण की गहनता न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, यूके और अमरीका जैसे देशों में उल्लेखनीय रूप में अधिक थी (सारणी 6.7)। यह मुख्य रूप से इन देशों में कृषि के वाणिज्यीकरण के उच्चतर स्तर के कारण संभव था जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकीय कोटि-उन्नयन के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के कार्यक्रमों के लिए तथा कृषि उत्पादों के लिए विपणन प्रणालियों के लिए भी संवर्धित ऋण की आवश्यकता थी।

6.55 सारांश रूप में, भारत में कुल कृषि ऋण में संस्थागत वित्त का अंश 1960 के दशक के मध्य से उल्लेखनीय रूप में बढ़ गया है (भारत सरकार, 2007बी)। 1970 के दशक में और 1980 के दशक के प्रारंभ में संस्थागत कृषि ऋण के लिए सहकारी बैंक प्रधान स्रोत थे, जबकि 1980 के दशक के मध्य से अनुसूचित वाणिज्य बैंक इसके लिए

⁹ 1. छोटे ऋण संबंधी ऋण सीमा आकार वर्गों को 1999-2000 को आधार वर्ष के रूप में लेकर जीडीपी अपस्फीतिकारक (डिफ्लेटर) का उपयोग करते हुए बढ़ाया गया। उदाहरण के लिए, 25,000 रुपये के ऋण सीमा आकार वर्ग के मामले में संशोधित आंकड़े 2001 के लिए 25,880 रुपये, 2004 के लिए 28,780 रुपये तथा 2006 के लिए 31,374 रुपये थे।
2. मुद्रास्फीति समायोजित छोटे ऋण संबंधी ऋण सीमा आकार वर्गों के अनुरूप ऋण खातों की संख्या और बकाया ऋण की स्थिति प्राप्त करने के लिए उपलब्ध आंकड़ों पर आनुक्रमिक अंतर्वेशन (लिनियर इंटरपोलेशन) लागू किया गया।


सारणी 6.5 : कृषि को छोटे उधार खाते (मार्च के अंत में)

ऋण सीमा का आकार	छोटे उधार खाते : खातों की संख्या (कृषि उधार खातों की कुल संख्या में अंश) (प्रतिशत)			छोटे उधार खाते : बकाया राशि (कृषि उधार खातों में बकाया कुल राशि में अंश) (प्रतिशत)		
	2001	2004	2006	2001	2004	2006
1	2	3	4	5	6	7
रु . 25,000 से कम	82.8 (83.2)	70.0 (72.3)	61.2 (66.4)	32.7 (33.1)	17.1 (18.8)	13.3 (16.1)
रु . 25,000-50,000	9.8 (9.6)	15.3 (14.1)	20.1 (17.4)	11.4 (11.3)	10.8 (10.5)	11.0 (10.4)
रु . 50,000-75,000	2.0 (1.9)	3.8 (4.2)	4.8 (5.8)	4.0 (3.9)	4.3 (5.5)	4.3 (6.5)
रु . 75,000-1,00,000	0.8 (0.8)	3.4 (2.4)	4.5 (2.4)	2.4 (2.4)	5.5 (4.3)	5.7 (3.8)
रु . 1,00,000-1,50,000	1.3 (1.4)	1.9 (2.5)	2.7 (3.3)	4.5 (5.3)	4.1 (6.2)	4.7 (6.6)
रु . 1,50,000-2,00,000	2.2 (2.0)	2.6 (1.7)	2.6 (1.2)	11.0 (10.1)	7.3 (5.6)	5.6 (4.2)
रु . 2 लाख से कम	98.8 (98.8)	97.1 (97.3)	95.9 (96.5)	66.0 (66.3)	49.2 (50.8)	44.8 (47.7)

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े मुद्रास्फीति के लिए समायोजित हैं ।
स्रोत : छोटे उधार खातों का सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, विभिन्न अंक ।

प्रमुख स्रोत के रूप में उभरे । किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता में संस्थागत ऋण का अंश 1991 और 2002 के बीच घट गया। यह मुख्य रूप से गैर-संस्थागत स्रोतों से उधार में तीव्र वृद्धि के कारण था। 1990 के दशक में संस्थागत स्रोतों से किसान परिवारों द्वारा उधार लगभग उसी दर से जारी रहा जैसा कि वह 1980 के दशक में

था। फिर भी, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को ऋण में वृद्धि में 2003-04 से उल्लेखनीय रूप में सुधार हुआ। परिणामस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल ऋण में कृषि को दिये गये ऋण का अंश हाल के वर्षों में बढ़ा । खाद्येतर बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि को दिये गये प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में भी बढ़ोतरी हुई। इसके परिणामस्वरूप, कृषि क्षेत्र के ऋण की प्रधानता में सुधार हुआ। तथापि, कुछ अशांत करनेवाले लक्षण भी देखे गये । पहला, कृषि को प्रदत्त कुल ऋण में दीर्घावधि ऋणों का अंश 1991 और 2006 के बीच प्रायः संगत रूप में कम हो गया; 2006 में उक्त अंश 1991 में उक्त अंश के आधे से कम था । दूसरा, किसानों को प्रत्यक्ष वित्त में तथा उनके द्वारा धारित कुल ऋण खातों में सीमांत किसानों के अंश ने अल्प गोचर सुधार दर्शाया । तीसरा, 2 लाख रुपये तक के ऋणों, जिन पर ब्याज दरें लगातार अंशतः विनियमित हैं, के अंश ने ऋण खातों और बकाया राशि दोनों में गिरावट देखी । तथापि, यह गिरावट मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने के बाद भी बनी हुई है हालांकि उक्त गिरावट मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने के बाद निम्नतर क्रम में है ।



कृषि को बैंक ऋण में निहित प्रश्न

6.56 कुल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण ने 1990 के दशक के प्रारंभ से लेकर 2000-01 तक निरंतर गिरावट दर्शाया। इस अवधि की एक विशेषता जीडीपी में कृषि के अंश में गिरावट भी थी । अतः कृषि ऋण निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक अधिक

सारणी 6.6 : कृषि क्षेत्र को वाणिज्य बैंक ऋण : चयनित देशों का सर्वेक्षण

(कुल ऋण का प्रतिशत)

देश	1991	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आस्ट्रेलिया	..	9.6	8.8	8.9	9.2	9.9	10.1	9.7	9.0	8.1
जर्मनी	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
भारत	15.0	11.8	9.9	9.6	9.8	10.0	10.9	10.8	11.4	11.8
इंडोनेशिया	7.5	6.6	7.3	6.8	6.1	5.6	5.8	5.3	5.7	5.6
मलेशिया	3.1	3.2	3.0	2.6	2.2	2.0	2.0	..
न्यूजीलैंड	8.4	10.0	9.1	9.8	10.8	11.8	11.5	12.1	12.4	12.6
थाईलैंड	7.0	4.0	2.7	2.5	2.3	2.1	2.1	2.0	1.9	1.6
युनाइटेड किंगडम	1.5	1.2	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
अमरीका*	1.6	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8

* : कुल ऋणों और पट्टों के प्रतिशत के रूप में बकाया गैर-स्थावर संपदा कृषि ऋण ।

.. : उपलब्ध नहीं ।

स्रोत : 1. संबंधित देशों की केंद्रीय बैंक वेबसाइटें ।

2. भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक ।

संगत उपाय ऋण की प्रधानता अर्थात् कृषिगत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण होगा। कृषि की ऋण-प्रधानता, जो 1950 के दशक के प्रारंभ और 1980 के दशक के बीच निरंतर बढ़ी, 1990 के दशक में कम हुई। तथापि, कृषि को बैंक ऋण में वृद्धि भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के कारण 2003-04 से उल्लेखनीय रूप में तेज हुई। परिणामस्वरूप, ऋण की मात्रा 2003-04 से लेकर तेजी से बढ़ने लगी। फिर भी, जहाँ तक कृषि के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण के मानदंडों का संबंध है, कृषि को ऋण की

उपलब्धता 1990 के दशक के प्रारंभ से कृषि के लिए नियत 18 प्रतिशत के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य से नीचे रही है। सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से केवल आठ और निजी क्षेत्र के 26 बैंकों में से तीन ने ही मार्च 2007 की समाप्ति पर कृषि को बकाया निवल ऋण का 18 प्रतिशत प्रदान करने का लक्ष्य पूरा किया (भा.रि.बैं., 2007बी)। वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों में विद्यमान कमियों की राशि नाबार्ड के पास रखी हुई ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) में जमा करना अपेक्षित है। आरआइडीएफ की तेरह

सारणी 6.7 : कृषि क्षेत्र की वाणिज्य बैंक ऋण प्रधानता* : चयनित देशों का सर्वेक्षण

(प्रतिशत)

देश	1991	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्ट्रेलिया	0.0	85.6	94.4	83.7	116.3	119.2	131.6	143.8	..
जर्मनी	14.2	15.8	16.0	14.1	17.3	18.4	17.3	21.8	22.9
भारत	12.3	9.5	10.2	11.5	13.1	16.1	18.0	23.2	29.0
इंडोनेशिया	18.5	19.9	9.0	7.9	7.6	7.9	9.8	10.1	10.5
मलेशिया	31.9	37.3	30.9	24.5	22.6	24.2	..
न्यूजीलैंड	101.2	145.5	136.7	143.6	206.0
थाईलैंड	39.9	39.7	27.1	22.4	20.9	16.5	16.5	15.6	13.3
युनाइटेड किंगडम	75.3	51.4	92.9	93.1	89.9	84.8	84.0	94.6	94.5
अमरीका^	33.2	36.3	41.8	42.2	46.2	36.8	32.4	36.4	..

* : ऋण की प्रधानता कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को उधार के रूप में परिभाषित है ।

^ : कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया वाणिज्य बैंकों के गैर-स्थावर संपदा कृषि ऋण ।

.. : उपलब्ध नहीं ।

स्रोत : 1. विश्व विकास संकेतक डाटाबेस ।

2. संबंधित देशों की केंद्रीय बैंक वेबसाइटें ।

3. भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक ।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की पुस्तिका, 2006-07 ।

वार्षिक श्रृंखलाओं ने अब तक 72,000 करोड़ रुपये तक राशि जमा की है (नाबार्ड, 2007)। 2008-09 के लिए केंद्र बजट में आरआइडीएफ की चौदहवीं श्रृंखला की मूल निधि (कॉर्पस) अर्थात् 14,000 करोड़ रुपये पर 2008-09 के लिए आरआइडीएफ-XIV की बजट-व्यवस्था की गई है।

6.57 यद्यपि हाल के वर्षों में संस्थागत ऋण की समग्र उपलब्धता बढ़ गई है, तथापि कृषि ऋण के वितरण में अभी भी ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो कृषि क्षेत्र में हो रहे संरचनात्मक रूप-परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। पहला, कृषि के लिए माँग के स्वरूप में परिवर्तन उभर रहा है क्योंकि कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक विविधीकरण हो रहा है तथा वित्त का अपेक्षित मान बढ़ रहा है। दूसरा, यद्यपि भारतीय कृषि का भारी अनुपात एक 'छोटे खेत' पर आधारित आर्थिक गतिविधि के रूप में जारी है, तथापि वह अधिकाधिक किसानों के स्वयं के संसाधनों पर आधारित जीवन-निर्वाह की खेती की प्रणाली से निविष्टि-आधारित सघन वाणिज्यिक खेती की ओर अंतरित हो रहा है। तथापि, वर्तमान में भारत में बैंकिंग प्रणाली अनाज जैसी पारंपरिक फसलों का वित्तपोषण करने की दिशा में अधिक गतिशील है। उसे विषम उत्पादन चक्रों के साथ कृषि के वाणिज्यीकरण की बदलती अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए अपने आपको नये स्वरूप में ढालने की आवश्यकता है। छँटाई, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और अंतिम गंतव्य स्थानों और बाजारों तक परिवहन की व्यवस्था जैसे सहायक कार्यकलापों के साथ-साथ डेरी, मत्स्य-ग्रहण और पशुधन, नकदी फसलें जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए माँग बढ़ गई है। मुख्य कार्यकलापों को नया रूप देनेवाले सेवा क्षेत्र के अन्य कार्यकलाप भी बढ़ रहे हैं। बैंकों का यह कर्तव्य बनता है कि यह सब देखते हुए वे कृषि-व्यवसाय के अलग स्वरूप और विभिन्न उत्पादों के लिए आपूर्ति की श्रृंखलाओं को स्वीकार करनेवाली नवोन्मेष योजनाएँ और उत्पाद बनाएँ। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि कृषि के वाणिज्यीकरण में बढ़ोतरी के चलते कार्यकुशलताओं का स्तर बढ़ाने तथा प्रवृत्तियों और मनःस्थितियों में परिवर्तन लाने के साथ ही, ऋण-निर्धारण और जोखिम प्रबंध प्रणालियों के नये-नये रूपों को लागू करने की आवश्यकता है। बैंकिंग प्रणाली को ग्रामीण वित्तीय बाजारों की तुलना में शहरी वित्तीय बाजारों के अधिक तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण की विशेषता के रूप में उपस्थित "वित्तीय द्विविधता" एवं आधुनिक कंप्यूटरों और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करनेवालों को इनका प्रयोग न करनेवालों से अलग करनेवाले "डिजिटल विभाजक" की समस्या का समाधान भी करना होगा। वित्तीय द्विविधता के परिणामस्वरूप संभव है कि बड़े किसान, कृषि-व्यवसाय और ग्रामीण उद्योग आधुनिक शहरी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सेवाएँ प्राप्त करें जबकि छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों को व्यक्ति-वित्त और वैयक्तिक बचत पर निर्भर रहना पड़ सकता है (मोहन, 2006)। कृषि क्षेत्र को प्रभावी ऋण-वितरण में लगभग ऐसे ही मुद्दों का सामना कई अन्य विकासशील देशों और विकसित देशों द्वारा भी किया जा रहा है (बॉक्स VI.4)।

कृषि क्षेत्र को ऋण में अंतरराष्ट्रीय अनुभव

6.58 मोटे तौर पर विभिन्न देशों में विद्यमान कृषि वित्त प्रणालियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् विकासात्मक मॉडल, मिश्रित बाजार मॉडल और बाजार उदार मॉडल (कोलमैन और ग्रान्ट, 1998)। विकासात्मक मॉडल के अंतर्गत कृषि वित्त की गतिविधियों में राज्य एक सक्रिय और प्रधान भूमिका अदा करता है। यह अन्य बातों के बीच दीर्घावधि ऋण प्रदान करने का रूप लेता है जहाँ वाणिज्य बैंक सहभागिता करने के प्रति अनिच्छुक रहते हैं। इस प्रयोजन के लिए विशेषीकृत निगमों की स्थापना की जाती है, ब्याज दरें कम प्रभारित की जाती हैं और कृषि को वित्तीय सहायता प्राप्त (सब्सिडाइज्ड) ऋण मुहैया कराये जाते हैं। मिश्रित बाजार मॉडल में कृषि के लिए मूलभूत संरचना के बाजार-आधारित प्रावधान के प्रति अभिमुखता रहती है, जबकि उसी समय राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए एक विशेष भूमिका रखी जाती है। इस प्रकार के मॉडल में, यद्यपि राज्य-समर्थित एजेंसियाँ विद्यमान रहती हैं, तथापि वे कृषि उत्पादकों की अपेक्षा अधिक व्यापक कृषि-खाद्य क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी करती हैं तथा वे वाणिज्य बैंकों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में कार्य करती हैं। अंततः एक बाजार उदार मॉडल में कृषि कार्य में रत किसानों और सीमांत उत्पादकों के लिए कोई विशिष्ट सहायता नहीं रहती तथा कृषि की ऋण आवश्यकताएँ अन्य क्षेत्रों की तरह बैंकिंग प्रणाली द्वारा पूरी की जाती हैं। अधिकांश देश उक्त तीनों मॉडलों में से किसी एक मॉडल का अथवा तीनों के मिश्रित रूप का अनुसरण करते हैं। तथापि, उधार की विशिष्ट प्रथाएँ विशिष्ट देश की आवश्यकताओं और विशेषताओं के अनुसार विकसित हुई हैं (बॉक्स VI.5)।

6.59 अधिकांश विकासशील देशों ने 1980 के दशक तक ज्यादातर 'आपूर्ति की ओर' अभिमुख निर्दिष्ट ऋण कार्यक्रम का अनुसरण किया। विकासशील देशों में कृषि ऋण वितरण व्यवस्थाओं की समीक्षा से यह विदित हुआ कि कृषि ऋण के प्रति आपूर्ति द्वारा प्रेरित दबाव के परिणाम अनेक कारणों से निराशाजनक थे। पहला, कृषि के लिए चलनिधि से भी अधिक तत्काल आवश्यकता लचीली सेवाओं की है, जो सामान्यतः अनौपचारिक उधारदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। दूसरा, छोटे किसानों की बचत की उल्लेखनीय संभाव्यता के अनुभवजन्य साक्ष्य के बावजूद कृषि ऋण बाजार विफल रहे जिसके लिए कानूनी और भौतिक बुनियादी संरचना में अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश, प्रवर्तन की व्यवस्थाएँ और पण्य जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थाएँ कारण हैं। तीसरा, ऋण के रूप में प्रदत्त धन के प्रतिमोच्य स्वरूप के परिणामस्वरूप प्रायः निधियों का उपयोग निवेश को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया जिससे उत्पादकता को बढ़ाने में ऋण की प्रभावात्मकता कम हुई। सफल ऋण कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण थे जो प्राथमिक तौर पर संस्था निर्माण तथा कानूनी और भौतिक बुनियादी संरचना के विकास के साथ ही, मजबूत ग्राम सहकारी प्रणालियों और सामाजिक संबद्धशीलता के कारण थे (यारोन, 1992; एफएओ, 1998; मेयेर और नागराजन, 2000)।

बॉक्स VI.4 कृषि ऋण में निहित समस्याएँ - विकासशील देशों का परिदृश्य

कृषि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से इस कारण से कि जनसंख्या का बड़ा अनुपात विकासशील देशों में कृषि में लिप्त है तथा इसके पीछे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यनीतिगत कारण भी है। कृषि कार्य और कृषि प्रबंध में विभिन्नता कृषिगत और ग्रामीण ऋणदाताओं के सामने चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करती है। यह सामान्य बात है कि खास तौर से विकासशील देशों में नीतिनिर्धारक कृषि-उधार में निहित अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए जूझते रहे हैं।

जिस मूलभूत चुनौती का सामना किया गया है वह यह है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रदत्त वित्त को बैंकों द्वारा एक वाणिज्यिक और व्यावसायिक अवसर के रूप में नहीं देखा गया है अथवा यहाँ तक कि इस विषय को औपचारिक वित्तीय प्रणालियों द्वारा भी इस रूप में नहीं लिया गया है। अतीत के असमान, वर्तमान में कृषि अधिकाधिक पूँजीप्रधान बन गई है जिसके लिए खेती पर निवेशों हेतु मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण के साथ कार्यशील पूँजी और मौसमी ऋणों तक पहुँच की आवश्यकता है तथा इसका आधुनिकीकरण एक मजबूत वित्तीय प्रणाली की सहायता के बिना नहीं हो सकता। यह उल्लेखनीय है कि औपचारिक ऋण तक सामान्यतः छोटे किसानों की भी पहुँच नहीं होती क्योंकि लेनदेन लागतों को कम करने के लिए तथा वहन करने योग्य लागत पर छोटे ग्राहकों को 'आवश्यकता-आधारित' (टेलर-मेड) उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रणाली नवोन्मेषयुक्त अथवा पर्याप्त रूप से कुशल नहीं है।

कृषि को ऋण की सुचारु उपलब्धता को बाधित करनेवाले दो प्रमुख कारक हैं प्रभावी ऋण वितरण प्रणालियों का अभाव और ग्रामीण जनता के पास पर्याप्त ऋण अवशोषण-क्षमता की कमी।

कृषि उधार में ऋण के वितरण और निगरानी के लिए लागत अत्यधिक पायी गई है तथा बैंकों ने अब तक तुलन-पत्र के आंकड़ों के दायरे के भीतर कृषि क्षेत्र में ऋण के वितरण और पर्यवेक्षण की लागत का प्रबंध करने के लिए कोई आसान समाधान नहीं पाया है। ग्राहकों और वित्तीय मध्यस्थों के बीच की दूरियाँ, परिवहन और संचार की कठिनाइयाँ, तथा कृषि का जोखिमपूर्ण स्वरूप जो प्राकृतिक विपदाओं के प्रति असुरक्षित है, इन लागतों को बढ़ाते हैं। चुनौती अभी भी किसान समुदाय के लिए बेहतर ढंग से उपयुक्त ऋण उत्पादों की व्यवस्था बनाने और वितरित करने की है। भूमि के स्वामित्व का अदृढ़ अंकन तथा न्यायालय की दुष्कर और महँगी प्रक्रियाएँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों के लिए पारंपरिक समर्थक जमानत उपलब्ध कराने की समस्याओं में वृद्धि करती हैं और इस प्रकार ग्रामीण ऋण की जोखिमों को और बढ़ाती

हैं। एक और प्रमुख समस्या जिसका सामना कृषि और ग्रामीण ऋण कर रहा है, यह है कि मानक ऋण कार्यक्रम छोटे किसानों की विविध आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं। वित्तीय सहायता प्राप्त (सब्सिडाइज्ड) ब्याज दरों ने सशक्त और प्रतिस्पर्धी ग्रामीण वित्तीय बाजारों के आविर्भाव को अवरुद्ध किया, ऋण की चुकौती में अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित किया, लागतों की पूर्ति करने से बैंकों को रोक दिया, तथा स्थानीय बचत संग्रहण को निरुत्साहित कर दिया। विभिन्न पुरानी कार्यविधियों की जटिलता और ऋण की व्यवस्था में आवश्यक संबंधित कागजी-कार्रवाई कृषि-उधार में विद्यमान एक और समस्या है।

ग्रामीण वित्तीय बाजार सफल होकर नहीं बढ़ सकते यदि उनके ग्राहकों के पास ऋण-पात्रता न हो। किसानों की कम अवशोषण क्षमता, ऋणों की चुकौती करने में असमर्थता, तथा बचत करने में असमर्थता क्योंकि उनकी आय निम्नस्तरीय है, इन सबके परिणामस्वरूप उनकी ऋण-पात्रता कम है। सूचना प्रौद्योगिकी में सुधारों के बावजूद बैंकों के पास संभावित ग्राहकों के ऋण-इतिहास, खेती पर निवेशों की व्यवहार्यता, किसानों की स्व-वित्तपोषण क्षमता और उनकी चुकौती क्षमता के संबंध में आवश्यक सूचना का अभाव है। सूचना के इन अत्यावश्यक खंडों का अभाव कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समय पर ऋण की पहुँच को बाधित करता है।

चूँकि विकासशील देशों में अधिकांश किसान या तो छोटे हैं या सीमांत, इसलिए उनके पास दोनों ऋणों और अग्रिमों की लागत और आकार के तौर पर अवशोषण क्षमता की कमी होती है जिनके संबंध में किरायाती आकार में बैंकों द्वारा कार्रवाई की जानी है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक वित्तीय लेनदेन - दोनों ऋणों और जमाराशियों के लिए - छोटे होते हैं, अतः संबद्ध धनराशि के प्रत्येक यूनिट की लेनदेन लागत आवश्यक रूप से बड़े लेनदेनों की तुलना में अधिक होती है। अधिकांश बैंकों के पास या तो जोखिम प्रबंध प्रणाली नहीं होती या उन्हें यह महसूस होता है कि विशेष रूप से कृषि के वित्तपोषण के मामले में ऐसी जोखिम प्रबंध प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं है।

संदर्भ :

कीलेन ब्रिगेट, मेयर रिचर्ड, हैनिंग आल्फ्रेड, बर्नेट जिल और फिकबिग मास्केल, 1999। "बेटर प्रैक्टिसेज इन एग्रिकल्चर लेंडिंग" *एग्रिकल्चरल फाइनेंस रीविजिटेड* सं. 3, एफएओ, दिसंबर।

भा.रि.बैं., 2004। "बैंकिंग प्रणाली से कृषि को ऋण की उपलब्धता और संबंधित कार्यकलापों पर परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट", जून।

तथापि, कई विकासशील देशों में निर्दिष्ट ऋण की अधारणीयता (नॉन-सस्टेनबिलिटी) के चलते 'माँग-केंद्रित दृष्टिकोण' - जहाँ विशिष्ट उत्पादों के माध्यम से किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत कृषकों की विशिष्ट ऋण आवश्यकताएँ पूरी करने पर अधिक बल दिया जाता है - को बैंकिंग की सक्षमता पर फोकस के साथ अपनाया गया है। उनमें से उल्लेखनीय हैं बैंक राक्यात इंडोनेशिया (बीआरआइ) और इंडोनेशिया में उसकी बीआरआइ-यूडी (यूनिट देसाई) प्रणाली तथा

थाईलैंड के बैंक फॉर एग्रिकल्चर एण्ड एग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्स (बीएएसी) की सफलता के वृत्तांत (बॉक्स VI.6)।

6.60 सारांश के रूप में, कृषि को संस्थागत ऋण ने 1960 के दशक के मध्य से काफी प्रगति की है। कृषि को कुल ऋण में संस्थागत कृषि ऋण का अंश 1961 के 18.7 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 66.3 प्रतिशत हो गया। विशेष रूप से कृषि को वाणिज्य बैंकों के ऋण में 1970 के दशक के प्रारंभ में और 1980 के दशक में तेजी से विस्तार हुआ। कृषि को वाणिज्य

बॉक्स VI.5 कृषि ऋण की प्रथाएँ : विभिन्न देशों के अनुभव

पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि ऋण बाजारों ने संरचनात्मक परिवर्तन का साक्षात्कार किया है। परंपरागत कृषि ऋण नीतियों के परिणाम से असंतोष और इन नीतियों में निहित असंगतियों तथा प्रभावी विकास प्रतिमान में केंद्रीय आयोजना से बाजार की शक्तियों पर निर्भर आयोजना की ओर परिवर्तन ने कई देशों में कृषि नीति के पुनर्निर्धारण को प्रेरित किया। अनेक विकासशील देशों में निदेशित ऋण कार्यक्रम अपनी सीमित पहुँच और धारणीयता के कारण चरणबद्ध रूप में बंद किये गये हैं और कई कृषि विकास बैंक समाप्त किये गये हैं। इसके अलावा, कृषि और ग्रामीण वित्त से राज्य तथा दाता और विकास एजेंसियों के हट जाने के साथ ही छोटे किसानों की कार्यशील पूँजीगत आवश्यकताओं के लिए मीयादी वित्त वितरित करने और बाजार के लिए अपने कृषि उत्पादों को बेहतर ढंग से अनुकूल बनाने के लिए छोटे किसानों को परस्पर संबद्ध ऋण व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान करनेवाले तंत्र अभिकल्पित करने की अत्यंत आवश्यकता उत्पन्न हुई।

ब्राजील, इंडोनेशिया, मेक्सिको और श्रीलंका जैसे कई देशों में 1990 के दशक से पहले के तीन दशकों के दौरान आपूर्ति-प्रेरित और निदेशित ऋण कार्यक्रम कृषि के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयुक्त प्रभावी उपकरण थे। केन्द्रीकृत रूप में आयोजित देशों में निदेशित ऋण इसी प्रकार कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एक प्रमुख उपकरण था। इन प्रयासों के पीछे निहित धारणा यही थी कि अनेक किसानों ने चलनिधि संबंधी ऐसे दबावों का सामना किया जिन्होंने खेती के लिए निवेश करने और अतिरिक्त आधुनिक निविष्टियों का प्रयोग करने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया। अतः यह सोचा गया कि उन्हें ऋण प्रदान करने के द्वारा इन दबावों को शिथिल करना कृषि निवेश को प्रोत्साहित करने, आधुनिक निविष्टियों का प्रयोग बढ़ाने तथा कृषि उत्पादन का संवर्धन करने का एक सरल तरीका होगा। सविसडियाँ निदेशित ऋण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं तथा संभवतः वे उसका विशिष्ट लक्षण हैं। ये सविसडियाँ रियायती ऋण का रूप ले सकती हैं। विश्व-भर में निदेशित ऋण से वित्तीय बाजार विकास की ओर अंतरण केवल आंशिक है।

कई देशों में सरकारों ने शहर-आधारित वाणिज्य बैंकों को प्रभावित करनेवाले विनियम लागू करते हुए कृषि में निवेश के लिए उपलब्ध धन की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास किया है। इन मामलों में कृषि ऋण में सामान्यतः संबद्ध न होनेवाले बैंकों से कानूनन यह अपेक्षित है कि वे अपने कुल ऋणों का एक नियत कोटा कृषि क्षेत्र को उधार दें। या तो उन्हें अपने संविभाग का यह नियत अंश सीधे उक्त क्षेत्र को आबंटित करना होगा या अप्रत्यक्ष रूप से

विशेषीकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराना होगा जो इन निधियों को आगे अंतिम उधारकर्ता को उधार देंगे। कुछ मामलों में वाणिज्य बैंकों की कमियाँ, जो अंतिम उधारकर्ता को सीधे अपेक्षित राशि उधार न दे सके हों, कृषि विकास बैंकों (उदा. अतीत में दि एग्रिकल्चरल बैंक ऑफ ईरान एवं थाईलैंड में दि बैंक ऑफ एग्रिकल्चर एण्ड एग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्स, बीएएसी) के संसाधनों का काफी भाग हैं। कई एशियाई देशों ने वाणिज्य बैंकों के लिए संविभाग आबंटन लक्ष्य स्थापित किये हैं। ईरान और फिलीपीन्स में कृषि क्षेत्र में ऋण आबंटनों का लक्ष्य 25 प्रतिशत और थाईलैंड में 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

कुछ विकासशील देशों, जैसे फिलीपीन्स, में निदेशित कृषि ऋण कार्यक्रम निरंतर एक सुदृढ़ भूमिका निभा रहे हैं। तथापि, चिली, एल सैल्वाडोर, इंडोनेशिया, पेरू और यूगांडा जैसे देशों में पुराने निदेशित ऋण दृष्टिकोण के थोड़े-से अवशेष बचे हैं। कई अन्य देशों में नये दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन कम पूर्ण रहे हैं। विशिष्ट रूपसे आंशिक परिवर्तनों में ब्याज-दर अविनियमन और सविसडियों में कमी तथा उधारदाताओं को रियायती निधियाँ उपलब्ध करानेवाले केंद्रीय बैंकों में अपेक्षाकृत कम सुविधाएँ निहित हैं।

1980 के दशक के उत्तरार्ध से दीर्घावधि में जारी रह सकनेवाली ग्रामीण वित्तीय प्रणालियों का विकास करने के उद्देश्य के साथ अधिक बाजार-उन्मुख पद्धति की दिशा में प्रधान रूप से आपूर्ति-निदेशित कार्यनीति के दृष्टिकोण से कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। तथापि, अक्सर विकास-अवधि के वर्षों में इसके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कृषि को संस्थागत ऋण में गिरावट आई क्योंकि छोटे किसान ग्राहकों की सेवा करने के लिए अधिकांश बैंकों के पास न तो ग्रामीण शाखा नेटवर्क था और न ही कृषि उधार की विशेषज्ञता। फलस्वरूप कृषि ऋण अभी भी अनौपचारिक, गैर-संस्थागत स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर है।

संदर्भ :

कोलमैन, डब्ल्यूडी और विन पी. ग्रान्ट, 1998। ‘पॉलिसी कन्वर्जन्स एण्ड पॉलिसी फीडबैक : एग्रिकल्चरल फाइनेंस पॉलिसीज इन ए ग्लोबलाइजिंग इरा’ - यूरोपियन जर्नल ऑफ पोलिटिकल रिसर्च, खंड 34, सं. 2, पृष्ठ 225-471।

किलेन ब्रिगेट, मेयर रिचर्ड, हैनिंग आलफ्रेड, बर्नेट जिल और फिकबिग माइकेल, 1999। ‘बेटर प्रैक्टिसेज इन एग्रिकल्चर लेंडिंग’, एग्रिकल्चरल फाइनेंस रीविजिटेड नं. 3, एफएक्यू, दिसंबर।

बैंकों के ऋण ने 1990 के दशक में मंद वृद्धि दर्शायी। फिर भी, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल बकाया ऋण में कृषि ऋण के अंश ने मार्च 2002 की समाप्ति से प्रारंभ करके सुधार दर्शाया तथा वह 2002 के 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में 10.9 प्रतिशत, 2006 में 11.4 प्रतिशत और 2007 में 11.8 प्रतिशत हो गया। कृषि ऋण को दुगुना करने की सरकार की नीति

के कार्यान्वयन और रिजर्व बैंक द्वारा की गई अनेक अन्य पहलुओं के कारण कृषि को बैंक ऋण में 2003-04 से तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसके परिणामस्वरूप, संस्थागत स्रोतों से कृषि की ऋण - प्रधानता 2000-01 के 11.3 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप में बढ़कर 2003-04 में 16.3 प्रतिशत तथा 2006-07 में आगे और बढ़कर 31.0 प्रतिशत हो गई।

बॉक्स VI.6 कृषि ऋण - सफल अनुभवों का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

बैंक राक्यात इंडोनेशिया (बीआरआइ) इंडोनेशिया में कृषि क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से स्थापित राज्य के स्वामित्व वाला विदेशी विनिमय वाणिज्य बैंक है। बीआरआइ की व्यापक देश में लगभग सर्वतोमुखी थी और उसकी व्यापक की गहराई बीआरआइ-यूनिट देसाई (यूडी) की स्थापना के साथ बढ़ गई जो 1984 में तथा चावल की खेती के लिए निदेशित ऋण की आपूर्ति करने के बिमास (लोक मार्गदर्शन) कार्यक्रम के उत्तराधिकारी के रूप में अस्तित्व में आया। सरकार के सक्रिय समर्थन के साथ उक्त बिमास कार्यक्रम शाखा यूनिटों की पुनर्संरचना बीआरआइ की यूनिट देसाई प्रणाली के रूप में की गई। प्रत्येक बीआरआइ-यूडी को स्व-निर्वाह के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए अधिदेश (मैन्डेट) दिया गया। बीआरआइ-यूडी ने सरकार से आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के रूप में किसी समर्थन के बिना वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम आधार पर इसे चलाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में केवल व्यष्टि और छोटे ग्राहकों की आवश्यकताएँ पूरी कीं। बीआरआइ-यूडी अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों के अंदर लाभप्रद बन गया और इस कारण से ग्रामीण वित्तीय मध्यस्थता में वैश्विक तौर पर अग्रणी बन गया (यारोन और अन्य, 1997)। बिमास व्यवस्था की यूनिट देसाई प्रणाली जिसका फोकस आवश्यक रूप से निदेशित कृषि ऋण पर रहा, को बीआरआइ के अंतर्गत एक व्यापक आधार वाली ग्रामीण ऋण संस्था के रूप में परिवर्तित किया गया जो परिचालनगत लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनात्मक उधार ब्याज-दरों के साथ तथा ग्रामीण निर्धन जनता को व्यापक दायरे में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए परिचालन करती थी (यारोन और अन्य, 1997)। बीआरआइ-यूडी का संगठन अपनी मूल संस्था बीआरआइ से काफी हद तक स्वायत्तता रखता है तथा वह अपने परिचालनों में बहुत अधिक विकेंद्रीकृत है। 1997 तक स्थिर समष्टि-आर्थिक वातावरण बीआरआइ-यूडी की तीव्र वृद्धि के लिए एक प्रमुख कारक है (मेयेर और नागराजन, 2000)। उच्च ब्याज-दर की नीति तथा जमाराशियों और ऋणों के बीच अत्यधिक स्प्रेड बीआरआइ-यूडी की सफलता में अन्य प्रमुख कारक हैं। इसने छोटे ऋणों और जमाराशियों संबंधी सेवा के प्रबंध की लागतें पूरी करने में बैंक की सहायता की और बाद में दैनिक परिचालनों के लिए सब्सिडी पर कम निर्भर होने के लिए बैंक को समर्थ बनाया। अतः यद्यपि बहुत छोटी जमाराशियाँ कोई ब्याज अर्जित नहीं कर सकतीं, तथापि अच्छी तरह अभिकल्पित और आकर्षक बचत उत्पादों की उपलब्धता बीआरआइ-यूडी द्वारा ग्रामीण निर्धन जनता के उच्चस्तरीय समावेशन में सहायक थे (यारोन और अन्य, 1997)।

थाईलैंड में दि बैंक फॉर एग्रिकल्चर एण्ड एग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्स (बीएएसी), एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था ग्रामीण कृषि वित्त संस्थाओं के बीच एक अग्रणी उदाहरण है। बीएएसी की स्थापना केवल कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी तथा इसने बैंक ऑफ को-ऑपरेटिव्स का स्थान ले लिया। बीएएसी दोनों प्रकार से प्रत्यक्षतः तथा कृषि सहकारी संस्थाओं

और कृषक संघों के माध्यम से बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। फिर भी, 1999 से बैंक की ब्याज दर नीति को सुधारने के लिए प्रयासों के एक भाग के रूप में बीएएसी ने ऋण के आकार का विचार किये बिना एक न्यूनतम उधार ब्याज दर लगाने की नीति का अनुसरण करना प्रारंभ किया तथा अच्छे कार्यनिष्पादन और पिछले रिकार्ड वाले उधारकर्ताओं को अधिमानी ब्याज दरें दी गई (बीएएसी, 2004)। जो वाणिज्य बैंक कृषि को अपनी निधियों के सांविधिक न्यूनतम 20 प्रतिशत उधार का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते, उनसे अपेक्षित है कि वे अपनी निधियाँ बीएएसी के पास रखें और इन निधियों के अनुरक्षण की प्राबंधिक लागत वाणिज्य बैंकों द्वारा वहन की जाती है।

1998 से बीएएसी बैंकिंग परिचालनों के विकेंद्रीकरण की नीति का अनुसरण करता रहा है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र कार्यालयों और शाखाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 1994 से प्रत्येक बीएएसी शाखा को एक लाभ-केंद्र के रूप में व्यवस्थित किया गया है तथा शाखा के कार्यनिष्पादन के लिए अब आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) को प्रमुख मापदंड के रूप में लिया जाता है। उल्लेखनीय रूप में बीएएसी के ऋणों का संविभाग प्रधानतः दीर्घावधि स्वरूप का है और बीएएसी की निरूपम व्यापक थाईलैंड में कुल किसान परिवारों के लगभग 92 प्रतिशत की है (बीएएसी, 2004)। हाल में बीएएसी एक कृषि ऋणदात्री बैंक की अपनी पारंपरिक भूमिका से अनेक सेवाएँ प्रदान करनेवाला ग्रामीण बैंक बनने के लिए अपने परिचालनों का विविधीकरण करता रहा है। बीएएसी की सफलता के लिए वित्तीय धारणीयता पर बल और सशक्त प्रबंध सूचना प्रणाली के साथ ही सफल मानव संसाधन प्रबंध को भी एक कुंजी के रूप में पहचाना गया है (मुरकाई और अन्य, 1998)।

संदर्भ :

बीएएसी, 2004। “हाउ केन पब्लिक बैंक कांट्रिब्यूट टू आउटरीच इन रूरल एरियास?” श्री सुपाचाई सथाकर्न, बीएएसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा 48वीं एशिया-पैसिफिक ग्रामीण और कृषि ऋण संघ (एपीआरएसीए) एक्स-कॉम की बैठक, 10 अक्टूबर 2004, तेहरान, ईरान की क्षेत्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत आलेख। मेयेर रिचर्ड एल. और गीता नागराजन, 2000। “स्टडी ऑफ रूरल एशिया : वाल्यूम 3 : रूरल फाइनेंशियल मार्केट्स इन एशिया : पॉलिसीज, पैरडाइम्स एण्ड पेरफार्मेंस”, एशियाई विकास बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा एडीबी के लिए प्रकाशित।

मुराकी, तेत्सुतारो ईटी एएल., 1998। “दी थाई बैंक फर एग्रीकल्चर एण्ड एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्स”, केस स्टडीस इन माइक्रोफाइनेंस, सस्टेनबल बैंकिंग विथ द पूर, विश्व बैंक, एशिया सीरीज।

यारोन, जाकोब ईटी एएल., 1997। “रूरल फाइनेंस: इश्यूज, डिजाइन एण्ड बेस्ट प्रैक्टिसेज”। एन्विरॉनमेंटली एण्ड सोशलली सस्टेनबल डेवलपमेंट स्टडीज एण्ड मोनोग्राफ्स सीरीज, नं. 14, ग्रामीण विकास, विश्व बैंक।

6.61 कृषि को ऋण प्रदान करने में हाल में हुए सुधार के बावजूद कुछ व्याकुल करनेवाले लक्षण भी देखे गए। पहला, कुल कृषि ऋण में दीर्घावधि ऋणों का अंश 1990 के दशक में और वर्तमान दशक में घट गया। इस गिरावट के लिए कारण दोनों माँग संबंधी और आपूर्ति संबंधी घटक थे।

दूसरा, संवितरित ऋणों और ऋण खातों की संख्या के तौर पर कृषकों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त में सीमांत किसानों के अंश ने अत्यल्प गोचर सुधार दर्शाया। तीसरा, मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने के बाद भी चालू दशक में छोटे उधार खातों (2 लाख रुपये तक) के अंश में भी गिरावट हुई।

6.62 एक अप्रचलित कानूनी ढाँचे और काश्तकारी के पुराने कानूनों ने ऋण की उपलब्धता एवं मजबूत और कुशल कृषि ऋण संस्थाओं के विकास को बाधित किया है। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी ओर से इस बात का एक बेहतर विश्लेषण करें कि कृषि ऋण प्रदान करने में जोखिमें कहाँ हैं और तब ऐसी जोखिमों को कम करने के लिए बाजार-उन्मुख समाधानों का पता लगाएँ। इस बात की आवश्यकता है कि बैंक भिन्न-भिन्न आधार पर कृषि ऋण की आवश्यकताओं और जोखिमों की एक बेहतर समझ हासिल करने के लिए अलग-अलग कृषि सेक्टरों और क्षेत्रों के बीच एक अधिक विशेषीकृत दृष्टिकोण अपनाएँ। भारत में कृषि को वाणिज्य बैंक ऋण की अन्य देशों के साथ तुलना से विदित होता है कि भारत में कुल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि को बैंक ऋण अधिक था। तथापि, अन्वयों के बीच न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और यूके जैसी अत्यधिक वाणिज्यिकीकृत प्रणालियों में कृषि ऋण की प्रधानता भारत की तुलना में उल्लेखनीय रूप में अधिक थी। विदेशी अनुभवों की समीक्षा से यह संकेत मिलता है कि प्रभावी ऋण वितरण प्रणालियों का अभाव और ग्रामीण जनता की अपर्याप्त ऋण अवशोषण क्षमता ऐसे दो प्रमुख कारक हैं जो कृषि को ऋण की सुचारु उपलब्धता में बाधा पहुँचाते हैं। 1980 के दशक तक अनेक विकासशील देशों ने ज्यादातर 'आपूर्ति की ओर' अभिमुख निदेशित ऋण कार्यक्रमों का अनुसरण किया। फिर भी, आपूर्ति-प्रेरित दृष्टिकोण के निराशाजनक परिणामों के कारण इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे कुछ देशों में कृषि और ग्रामीण बैंकिंग संस्थाएँ माँग-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुईं जिसके अंतर्गत कुशल जोखिम प्रबंध प्रथाओं सहित ग्रामीण निर्धन जनता की विशिष्ट आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उपयुक्त आकर्षक बचत और ऋण उत्पादों के सम्मिश्रण पर बल दिया जाता है। यह अवधारणा बैंकिंग संस्थाओं की अर्थक्षमता पर भी जोर देती है।

V. उद्योग को ऋण

6.63 भारत में बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का वित्तपोषण करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है जिनमें से सामान्य रूप से उद्योग और विशेष रूप से लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) का वित्तपोषण अत्यंत महत्व का रहा है। ऐतिहासिक रूप से बैंकों ने उद्योग की अल्पावधि कार्यशील पूँजीगत आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रदान किया, जबकि दीर्घावधि निधीयन की आवश्यकताएँ विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) द्वारा पूरी की गईं जिनका प्रारंभ बहुत पहले ही 1947 में हुआ जब केवल उद्योग को मीयादी ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी। इसके बाद दोनों सरकारी और निजी क्षेत्रों में कई विकास वित्त संस्थाएँ स्थापित की गईं। फिर भी, संसाधनों के आबंटन संबंधी कौशल के संवर्धन हेतु वित्तीय क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी परिवेश को बढ़ावा देने के लिए 1990 के दशक के प्रारंभ में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लागू किये जाने के साथ ही

बैंकों के रूप में दो प्रमुख विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) के परिवर्तन के चलते औद्योगिक वित्त की संरचना में बदलाव आया है।

6.64 उद्योग को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण की यौगिक (कंपाउंड) वार्षिक वृद्धि जिसमें 1980 के दशक में 17.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, 1990 के दशक में कम होकर लगभग 15.4 प्रतिशत रह गई। चालू दशक में उद्योग को ऋण 2003-04 तक मामूली गति से बढ़ा, परंतु 2004-05 में तेजी से बढ़कर 33.5 प्रतिशत हो गया और 2006-07 में 31.0 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा (देखें सारणी 6.1)।

6.65 1990 के दशक में उद्योग को बैंक ऋण में समग्र कमी 1990 के दशक के पूर्वार्ध में निधीयन के अन्य स्रोतों, विशेष रूप से शेयर बाजार पर बढ़ी हुई निर्भरता के कारण थी। तथापि, उद्योग को बैंक ऋण चालू दशक (2000-01 से 2005-06 तक) में तेजी से बढ़ा, भले ही कारपोरेट क्षेत्र ने बाह्य स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम कर दी। आंतरिक स्रोतों का अंश जो 1985-86 से 1990-91 तक औसतन 34.1 था, 2001-02 से 2005-06 तक बढ़कर 56.1 प्रतिशत हो गया। बाह्य स्रोतों के अंतर्गत बैंक ऋण का अंश तेजी से बढ़ गया। अर्थव्यवस्था में विकास के चलते बड़ी कंपनियाँ देशी और अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों से संसाधन जुटाने की स्थिति में हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि कंपनियाँ बैंकिंग क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को कम करें। 1990 के दशक में देखी गई यह प्रवृत्ति चालू दशक में उलट गई (सारणी 6.8)।

6.66 कुल बैंक ऋण में उद्योग को ऋण का अंश कुछ वर्षों में कम हुआ। कुछ वर्षों में कुल जीडीपी में उद्योग के अंश में भी कमी आई। परिणामस्वरूप, उद्योग के ऋण की प्रधानता हाल के वर्षों में बढ़ी। ऋण की प्रधानता में बढ़ोतरी का एक कारण अपनी मध्यावधि से दीर्घावधि तक की आवश्यकताओं के निधीयन के लिए बैंकों पर कंपनियों की बढ़ी हुई निर्भरता थी। जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र के 22.0 प्रतिशत के अंश की तुलना में 1990-91 में कुल बैंक ऋण में औद्योगिक क्षेत्र का अंश 53.0 प्रतिशत रहा। फिर भी, मार्च 2007 की समाप्ति तक उद्योग को बैंक ऋण का अंश तेजी से घटकर 36.2 प्रतिशत हो गया जबकि जीडीपी में उसका अंश मामूली तौर पर घटकर 20 प्रतिशत रहा। फलस्वरूप, उद्योग की ऋण - प्रधानता (क्षेत्रीय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उद्योग को ऋण) 1990-91 के 55.7 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 90.0 प्रतिशत हो गई (चार्ट VI.19)।

6.67 2000 के दशक के पूर्वार्ध में बैंकों के रूप में दो प्रमुख विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) के परिवर्तन के साथ ही बैंकों ने उद्योग (मूलभूत संरचना सहित) की मध्यावधि से दीर्घावधि की आवश्यकताओं के निधीयन को अधिकाधिक बढ़ाया (भा.रि.बैं., 2007ए)। तदनुसार, हाल के वर्षों में उद्योग को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋण का अनुपात मार्च 1995 के अंत में विद्यमान 11.6 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च

सारणी 6.8 : भारतीय कंपनियों की निधियों के स्रोतों का स्वरूप

(प्रतिशत)

मद	1985-86 से 1990-91	1991-92 से 2000-01	1992-93 से 1996-97	1997-98 से 2000-01	2001-02 से 2005-06
1	2	3	4	5	6
1. आंतरिक स्रोत	34.1	35.7	31.3	43.1	56.1
2. बाह्य स्रोत (क+ख+ग)	65.9	64.3	68.7	56.9	43.9
क) इक्विटी पूंजी	7.1	16.2	20.6	12.9	10.9
ख) उधार	36.2	32.2	33.3	28.6	13.8
i) डिबेंचर	10.3	6.2	5.2	6.1	-2.9
ii) बैंकों से	12.7	10.0	10.7	9.4	21.5
iii) वित्तीय संस्थाओं से	8.4	9.5	8.3	9.8	-5.1
iv) अन्यो से*	4.8	6.5	9.1	3.3	0.3
ग) व्यापार देनदारियाँ एवं अन्य चालू देयताएँ	22.6	15.9	14.8	15.4	19.2
कुल (1+2)	100	100	100	100	100

* : अन्यो में विदेशी संस्थागत एजेंसियों, सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों, कंपनियों से उधार, आस्थगित भुगतान और जनता की जमाराशियाँ शामिल हैं।

टिप्पणी : आंकड़े गैर-सरकारी विद्युत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों से संबंधित हैं।

स्रोत : 1997-98 तक के आंकड़ों के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 1998-99, भा.रि.बै. तथा बाद के वर्षों के लिए 'सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वित्त' पर लेख, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन (विभिन्न अंक)।

2007 के अंत तक 44.1 प्रतिशत हो गया (सारणी 6.9)। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल अल्पावधि ऋणों में से उद्योग को प्रदत्त अल्पावधि ऋणों का अंश 1995 और 2007 के बीच घट


सारणी 6.9 : बैंकों द्वारा उद्योग को ऋण का प्रकार

(राशि करोड़ रुपये में)

मार्च के अंत में	अल्पावधि*		मध्यावधि		दीर्घावधि		उद्योग को कुल ऋण
	राशि	उद्योग को कुल ऋण में अंश का प्रतिशत	राशि	उद्योग को कुल ऋण में अंश का प्रतिशत	राशि	उद्योग को कुल ऋण में अंश का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1995	77,134	82.5	5,438	5.8	10,874	11.6	93,446
1996	97,809	81.7	6,620	5.5	15,273	12.8	1,19,702
1997	1,09,666	79.6	8,136	5.9	19,988	14.5	1,37,790
1998	1,23,408	78.0	10,579	6.7	24,261	15.3	1,58,248
1999	1,36,487	76.1	10,660	5.9	32,151	17.9	1,79,298
2000	1,52,997	74.6	13,299	6.5	38,778	18.9	2,05,074
2001	1,70,114	74.8	16,067	7.1	41,341	18.2	2,27,522
2002	1,65,828	63.0	22,314	8.5	74,910	28.5	2,63,052
2003	1,79,687	59.5	22,366	7.4	99,853	33.1	3,01,907
2004	1,89,917	57.9	32,188	9.8	1,06,084	32.3	3,28,189
2005	2,29,672	52.4	46,535	10.6	1,62,296	37.0	4,38,503
2006	2,68,138	48.2	58,018	10.4	2,30,202	41.4	5,56,357
2007	3,36,958	46.1	71,865	9.8	3,22,335	44.1	7,31,157

* : अल्पावधि ऋण में नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, माँग ऋण, पैकिंग ऋण, खरीदे और भुनाये गये निर्यात व्यापार बिल, निर्यात नकद प्रोत्साहनों और शुल्क-वापसी दावों के आधार पर दिये गये निर्यात व्यापार बिल और अग्रिम, खरीदे और भुनाये गये देशी बिल (व्यापार और अन्य), आयात बिलों को जमानत पर अग्रिम तथा खरीदे गये विदेशी मुद्रा चेक/यात्री चेक (टीसी)/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/तार अंतरण (टीटी)/डाक अंतरण (एमटी) शामिल हैं।

स्रोत: भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक।



गया, जबकि मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के अंश में बढ़ोतरी हुई (सारणी 6.10)।

6.68 निधीयन के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के साथ ही, अपनी ऋण आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए वाणिज्य बैंकों पर उद्योग की निर्भरता कम हो गई है, जैसा कि पहले संकेत किया गया है। चयनित देशों का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि अध्ययन किये गये नमूने के अंतर्गत सभी देशों में 1991 से उद्योग को बैंक ऋण के अंश में कमी आई है,

सारणी 6.10 : कुल ऋण में उद्योग को ऋण का अंश - घटक-वार

(राशि करोड़ रुपये में)

मार्च के अंत में	उद्योग को अल्पावधि ऋण		उद्योग को मध्यावधि ऋण		उद्योग को दीर्घावधि ऋण	
	राशि	कुल अल्पावधि ऋणों में अंश (प्रतिशत)	राशि	कुल मध्यावधि ऋणों में अंश (प्रतिशत)	राशि	कुल दीर्घावधि ऋणों में अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1997	1,09,666	64.6	8,136	32.4	19,988	38.5
1998	1,23,408	63.3	10,578	32.8	24,261	39.3
1999	1,36,487	66.0	10,660	40.1	32,151	52.8
2000	1,52,997	61.4	13,299	44.5	38,778	49.6
2001	1,70,114	57.1	16,067	42.9	41,341	42.8
2002	1,65,828	51.1	22,314	42.5	74,910	48.9
2003	1,79,687	52.0	22,366	39.7	99,853	47.7
2004	1,89,917	51.1	32,188	41.0	1,06,084	39.7
2005	2,29,672	53.6	46,535	37.8	1,62,296	40.5
2006	2,68,138	51.5	58,018	36.6	2,30,202	39.3
2007	3,36,958	51.5	71,865	34.1	3,22,335	40.1

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक

केवल थाईलैंड को छोड़कर जिसमें यह मामूली रूप से बढ़ गया है। यह उल्लेखनीय है कि 2007 में भारत में उद्योग को ऋण का अंश सभी देशों के बीच सबसे अधिक था (सारणी 6.11)। यह इस तथ्य के बावजूद था कि इन देशों में जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का अंश उल्लेखनीय तौर पर भारत से अधिक था। यह इस बात का संकेत देता है कि कंपनियाँ अन्य देशों की तुलना में भारत में अभी भी बैंकिंग क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं। यदि गैर-पारंपरिक निवेशों (शेयरों/डिबेंचरों में निवेश) के रूप में उद्योग को बैंकों के समर्थन को भी हिसाब में लिया जाता है तो यह निर्भरता और बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 1990 के दशक के उत्तरार्ध में वाणिज्यिक पत्रों, कारपोरेट

बांडों, शेयरों की लिखतों में बैंकों का निवेश बढ़ा, यद्यपि ऐसे निवेशों में 2000-01 से आगे कुछ गिरावट आई।

6.69 विभिन्न देशों में किये गये एक सर्वेक्षण से यह विदित हुआ कि भारत में उद्योग की ऋण - प्रधानता (औद्योगिक जीडीपी की तुलना में औद्योगिक ऋण का अनुपात) अध्ययन किये गये चयनित देशों के बीच सबसे अधिक थी। अन्य अधिकांश देशों के साथ तुलना में भी भारत में उद्योग की ऋण - प्रधानता हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप में बढ़ी (सारणी 6.12)।

लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) को बैंक उधार

6.70 एसएमई अपनी वृद्धि संभावना, रोजगार उत्पादन क्षमता, निर्यात उत्पादन तथा नई उद्यमवृत्ति के लिए बीजभूमि के रूप में अपनी भूमिका के कारण भारत में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण खंड बनते हैं। भारतीय आर्थिक विकास में एसएमई का अंशदान अपरिमित रहा है। अर्थव्यवस्था में उनका अंश कुल योजित मूल्य (वैल्यू ऐडेड) के 40 प्रतिशत से भी अधिक था। यह ध्यान देने योग्य है कि कुल निर्यातों का लगभग 33 प्रतिशत लघु उद्योगों (एसएसआइ) द्वारा उत्पन्न होता है।

6.71 लघु उद्योग क्षेत्र का विकास भारत की औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण आधार-स्तंभ रहा है। भारत में लघु उद्योगों को एक सुस्पष्ट पहचान प्रदान की गई है तथा संतुलित और धारणीय आर्थिक वृद्धि में इसकी अत्यावश्यक भूमिका के कारण इस क्षेत्र को सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है। बड़े निगमों की अपेक्षा एसएमई विशिष्ट रूप से सूचनात्मक तौर पर काफी अधिक अपारदर्शी हैं क्योंकि नियमित रूप से विश्वसनीय वित्तीय सूचना प्राप्त करने के लिए उनके पास प्रायः प्रमाणित लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण नहीं होते। इसके अलावा, इन फर्मों के पास सामान्यतः सार्वजनिक तौर पर व्यापारित शेयर अथवा ऋण नहीं होते जिससे उनकी गुणवत्ता का

सारणी 6.11 : उद्योग को वाणिज्य बैंक उधार : विभिन्न देशों का सर्वेक्षण (कुल बैंक ऋण में अंश)

(प्रतिशत)

देश	1991	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आस्ट्रेलिया	..	20.0	18.5	17.5	17.3	16.4	15.4	15.2	14.7	13.1
ब्राजील	20.9	23.8	26.2	29.4	30.2	27.9	25.0	22.9	22.5	22.4
जर्मनी	..	34.0	15.5	13.9	11.5	10.3	8.8	7.7	7.2	6.9
भारत	47.6	45.6	46.5	43.9	41.4	41.0	38.0	38.8	37.4	38.1
इंडोनेशिया	36.5	38.6	44.7	42.9	37.4	32.1	30.9	29.6	29.1	27.4
मलेशिया	..	31.4	29.8	28.9	26.9	25.6	23.4	19.8	16.9	..
न्यूजीलैंड	7.1	6.7	5.7	5.9	4.7	4.3	3.7	4.2	4.2	4.1
थाईलैंड	29.8	29.5	32.3	30.3	29.7	30.5	33.0	32.1	32.2	31.1
युनाइटेड किंगडम	13.1	10.3	7.1	6.6	5.6	4.5	4.1	4.3	4.0	3.9
अमरीका	27.1	25.3	27.6	25.2	21.9	19.6	18.5	18.9	19.0	20.7

.. : उपलब्ध नहीं।

स्रोत : 1. संबंधित देशों की केंद्रीय बैंक वेबसाइटें।

2. भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक।

सारणी 6.12 : औद्योगिक क्षेत्र की वाणिज्य बैंक ऋण प्रधानता* : चयनित देशों का सर्वेक्षण

(प्रतिशत)

देश	1991	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्ट्रेलिया	..	23.9	30.2	28.2	27.0	26.2	24.9	25.0	..
ब्राजील	..	35.4	34.9	38.5	33.9	30.5	27.7	29.3	31.9
जर्मनी	23.4	16.1	15.2	14.8	13.5	12.5	11.0	9.9	9.7
भारत	55.7	50.4	57.1	55.8	55.9	63.8	61.5	70.7	81.4
इंडोनेशिया	40.8	47.6	18.8	16.7	16.4	16.0	16.7	15.7	14.6
मलेशिया	..	65.5	50.8	56.8	51.7	45.2	36.8	35.1	32.9
न्यूजीलैंड	25.1	27.1	29.9	32.4	26.2
थाईलैंड	55.4	68.8	70.7	59.8	59.0	56.8	61.2	58.4	54.4
युनाइटेड किंगडम	35.9	26.4	31.2	31.0	28.7	25.0	24.1	26.8	26.2
अमरीका	38.0	36.9	47.9	45.4	42.0	38.9	37.8	38.7	..

* : ऋण की प्रधानता औद्योगिक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उद्योग को ऋण के रूप में परिभाषित है । .. : उपलब्ध नहीं।

स्रोत: 1. विश्व विकास संकेतक ऑनलाइन डाटाबेस ।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की पुस्तिका, 2006-07 ।

संकेत करनेवाली बाजार की कीमतें अथवा सार्वजनिक रेटिंग उपलब्ध नहीं हो सकते (बर्जर और फ्रेम, 2005)। आधुनिक विकास के सिद्धांत वित्त के पास अपर्याप्त पहुँच की मुख्य भूमिका पर अधिकाधिक जोर देते हैं जो इन फर्मों की धीमी वृद्धि का प्रेरक है (विश्व बैंक, 2008)। लघु उद्योग क्षेत्र जिन प्रमुख समस्याओं का सामना कर रहा है, वे अन्य बातों के साथ-साथ, समर्थक जमानत के बिना ऋणों की अनुपलब्धता, ऋण प्राप्त करने में विलंब, निधियों की उच्च लागत, विलंबित भुगतान, विपणन की समस्याओं और रुग्णता से संबंधित हैं। अतः एसएमई क्षेत्र को उधार के लिए कई देशों में कुछ विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं की आवश्यकता हुई।

6.72 भारत में अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में कुछ क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह को सरणीबद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण बहुत पहले ही वर्ष 1967-68 के लिए रिजर्व बैंक की ऋण नीति में देखा जा सकता है। उसके बाद 1969 में प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने उधार की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता का संकेत किया था। इस प्रकार, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिवर्धित परिमाण में तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार बैंकिंग प्रणाली से सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार की संकल्पना का विकास हुआ (भा.रि.बैं., 2007बी)। 'प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र' हेतु बैंकों के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत के अधिदेशात्मक लक्ष्य में लघु उद्योग (एसएसआइ) क्षेत्र को भी शामिल किया गया।

6.73 हाल के वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण के प्रवाह के संबंध में कई व्याकुल कर देनेवाले लक्षण रहे हैं जैसा कि विभिन्न संकेतकों से स्पष्ट है। पहला, लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिमों की औसत वार्षिक वृद्धि 1990 के दशक के 13.1 प्रतिशत से घटकर 2000-2005 के दौरान 7.2 प्रतिशत रह गई। उक्त वृद्धि दर बढ़कर 2005-06 में 22.3 प्रतिशत और 2006-07 में 29.2 प्रतिशत हो गई। उद्योग को ऋण के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के अंश में उल्लेखनीय रूप में कमी आई, जो स्वयं भी घट गया। इसके

परिणामस्वरूप, कुल ऋण में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अंश तेजी से कम हो गया (सारणी 6.13)। दूसरा, कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में लघु उद्योग क्षेत्र का अंश मार्च 1998 की समाप्ति पर स्थित 43.7 प्रतिशत से लगातार कम हुआ तथा वह मार्च 2006 के अंत में 17.9 प्रतिशत रह गया। मार्च 2007 के अंत तक यह मामूली रूप में सुधारकर 18.6 प्रतिशत हो गया। यद्यपि कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में लघु उद्योग क्षेत्र के अंश में गिरावट सभी बैंक समूहों में थी, तथापि वह निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में अधिक तेज थी; जो मार्च 1996 के अंत के 55.4 प्रतिशत से मार्च 2000 के अंत में 43.6 प्रतिशत और मार्च 2007 के अंत में 9.1 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि के दौरान उक्त अंश सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए क्रमशः 42.4 प्रतिशत, 36.1 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत था। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के दायरे (डोमेन) में नये क्षेत्रों का समावेश कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार में लघु उद्योग क्षेत्र के अंश में तीव्र पतन का एक कारण हो सकता है। तीसरा, खाद्येतर बैंक ऋण में लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये ऋण का अंश 1990-91 में विद्यमान 15.1 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 6.5 प्रतिशत रह गया। निवल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये एसएसआइ अग्रिम मार्च 2006 की समाप्ति पर स्थित 8.1 प्रतिशत और मार्च 2005 की समाप्ति पर स्थित 9.5 प्रतिशत की तुलना में घटकर मार्च 2007 के अंत में 8.0 प्रतिशत रहे। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में इसी अवधि के दौरान इनका प्रतिशत क्रमशः 4.2 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत से घटकर 3.9 प्रतिशत रह गया। चौथा, हालांकि लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण की वृद्धि में 2004-05 से 2006-07 तक गति आई, फिर भी कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण में तथा औद्योगिक क्षेत्र को कुल ऋण में एसएसआइ ऋण का अंश लगभग स्थिर रहा (चार्ट VI.20)। पाँचवाँ, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास लघु उद्योग क्षेत्र के ऋण खातों की संख्या मार्च 1992 के अंत के 5.8 मिलियन से घटकर मार्च 2006 के अंत में 2.2 मिलियन तथा आगे और घटकर मार्च 2007 के अंत में 1.9 मिलियन हो गई।

सारणी 6.13 : उद्योग और लघु उद्योग क्षेत्र को बैंक ऋण*


वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत)			कुल खाद्येतर बैंक ऋण में अंश		उद्योग को कुल ऋण में लघु उद्योगों को ऋण का अंश (प्रतिशत)
	कुल खाद्येतर बैंक ऋण	उद्योग को ऋण	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण	उद्योग को ऋण	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण	
1	2	3	4	5	6	7
1991	12.8	14.7	10.5	54.3	15.1	27.9
1992	6.9	5.8	5.6	53.8	15.0	27.8
1993	15.7	20.6	10.3	56.0	14.3	25.5
1994	4.0	2.3	12.9	55.1	15.5	28.1
1995	26.6	27.1	22.2	55.4	15.0	27.0
1996	20.2	22.1	15.4	56.3	14.4	25.5
1997	13.2	10.9	12.7	55.1	14.3	25.9
1998	14.5	16.2	21.0	56.0	15.1	27.0
1999	13.0	11.2	11.4	55.0	14.9	27.1
2000	15.4	11.8	8.9	53.4	14.1	26.4
2001	14.4	9.3	6.0	51.0	13.0	25.6
2002	12.5	4.9	2.1	47.5	11.8	24.9
2003	28.4	28.8	5.6	47.7	9.7	20.4
2004	17.5	5.9	9.0	43.0	9.0	21.0
2005	37.3	36.4	13.3	42.7	7.5	17.5
2006	40.5	28.9	22.3	39.2	6.5	16.6
2007	28.2	26.7	29.2	38.7	6.5	16.9

* : संबंधित वर्षों में मार्च के अंत में यथाविद्यमान आंकड़ों के आधार पर।
 स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की पुस्तिका, 2006-07।

6.74 लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण के अवमंदन का मुख्य कारण उसका खराब कार्यनिष्पादन और परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा जोखिम से विमुखता थी। उत्पादन के मूल्य में 1980 के दशक के 11.1 प्रतिशत की तुलना में 7.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि के चलते 1997-98 और 2002-03 के बीच लघु उद्योग क्षेत्र की गतिविधि में उल्लेखनीय रूप में मंदी आई। लघु उद्योग क्षेत्र का खराब कार्यनिष्पादन इस क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के उल्लेखनीय रूप में उच्चतर स्तर में भी प्रतिबिंबित

हुआ (सारणी 6.14)। अतः बैंक जोखिम के प्रति कुछ विमुख हो गये और उन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र को अपना एक्सपोजर कम कर दिया (भा.रि.बैं.,2007ए)।

6.75 हाल के वर्षों में (2003-04 से 2006-07 तक) लघु उद्योग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार आया है। तदनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में भी उल्लेखनीय रूप में कमी आई। यह 2004-07 की अवधि के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण के सुधारित प्रवाह में प्रतिबिंबित हुई। इसके परिणामस्वरूप, लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण - प्रधानता में 1997-98 और 2004-05 के बीच प्रायः बराबर गिरावट होने के बाद 2005-06 और 2006-07 में कुछ सुधार आया (चार्ट VI.21)। लघु उद्योग क्षेत्र को उधार कुछ सीमा तक सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता,





सारणी 6.14 : लघु उद्योग क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)*

मार्च के अंत में	लघु उद्योग क्षेत्र*	सभी क्षेत्र**
1	2	3
2002	21.1	10.4
2003	18.9	8.8
2004	15.3	7.2
2005	11.8	5.2
2006	8.5	3.3
2007	5.5	2.5

* : लघु उद्योग क्षेत्र को सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में लघु उद्योग क्षेत्र में सकल एनपीए।

** : सभी क्षेत्रों को सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए।

स्रोत : अप्रत्यक्ष (ऑफ-साइट) विवरणियाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक।



क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अलग-अलग बैंकों ने लघु उद्योग क्षेत्र की अलग-अलग परिभाषाओं का अनुसरण किया है। लघु और मझौले उद्यमों की परिभाषा अब सुस्पष्ट रूप से व्यक्ति, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में निर्धारित की गई है। अतः यह प्रत्याशित है कि लघु और मझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को ऋण के संबंध में आंकड़ों की सूचना देने में और ऋण के उचित निर्धारण में सुधार होगा।

6.76 एसएमई को बैंक समूह-वार ऋण के विश्लेषण से यह विदित हुआ कि सभी बैंक-समूहों से ऋण के संवितरण ने उद्योग को ऋण के प्रतिशत और कुल ऋण में प्रतिशत दोनों ही रूप में 1996-2007 की अवधि के दौरान तीव्र गिरावट महसूस की (सारणी 6.15 और चार्ट VI.22)। उद्योग

को ऋण में एसएमई क्षेत्र का अंश, जो मार्च 1997 के अंत में 25.9 प्रतिशत था, घटकर मार्च 2007 के अंत में 16.9 प्रतिशत रह गया। यह गिरावट कुल बैंक ऋण में एसएमई के अंश में अधिक तीव्र थी। यद्यपि इस गिरावट को सभी बैंक समूहों में देखा गया, तथापि यह निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में अधिक सुस्पष्ट थी। सभी बैंक समूहों में उद्योग को ऋण में एसएमई क्षेत्र का अंश विदेशी बैंक समूह के मामले में सबसे कम था (चार्ट VI.22)।

6.77 उद्योग को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण में वृद्धि, जो 1980 के दशक की तुलना में 1990 के दशक में कम हुई थी, ने चालू दशक में गति पकड़ी। यह कुछ सीमा तक मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के अंश में बढ़ोतरी के कारण थी। परिणामस्वरूप, उद्योग की ऋण - प्रधानता हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप में बढ़ी। समग्र बैंक ऋण में उद्योग के अंश में गिरावट के बावजूद उसने बैंकिंग क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर रहना जारी रखा, जोकि अध्ययन किये गये चयनित देशों में पाई गई सर्वोच्च स्थितियों में से एक था। लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण में 1990 के दशक के उत्तरार्ध में और चालू दशक के प्रारंभिक वर्षों में तेजी से गिरावट हुई। लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण में वृद्धि विशेष रूप से 1999-2000 और 2003-04 के बीच कम थी। तथापि, रिजर्व बैंक और सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की वृद्धि 2004-05 से सुधरने लगी और 2006-07 के दौरान एक प्रबल गति से बढ़ी।

सारणी 6.15 : कुल ऋण में छोटे और मझौले उद्यमों (एसएमई) का ऋण का अंश (बैंक समूह-वार)

मार्च के अंत में	भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक	विदेशी बैंक	निजी बैंक
1	2	3	4	5
1996	10.5	12.6	2.4	9.8
1997	10.4	11.6	2.4	9.5
1998	9.7	10.4	2.0	9.7
1999	10.6	9.1	1.9	9.2
2000	10.0	8.6	1.6	7.6
2001	9.1	7.4	2.4	6.5
2002	7.1	6.3	1.5	4.1
2003	6.3	7.1	1.4	3.3
2004	5.6	6.3	1.1	2.4
2005	5.8	5.4	2.8	2.2
2006	5.5	4.8	1.4	1.8
2007	5.0	4.6	1.2	2.3

(प्रतिशत)

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक।

लघु और मझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को उधार संबंधी समस्याएँ और किये गये उपाय

6.78 उद्योग और अन्य क्षेत्रों को ऋण की तुलना में लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) को प्रदान किये गये संस्थागत ऋण में गिरावट हुई जैसा कि इस खंड में इसके पहले दशकिये गये विश्लेषण द्वारा सिद्ध किया गया है।

आपूर्ति की ओर समस्या बैंकों की ओर से एसएमई को उधार देने के प्रति अनिच्छा रही है, केवल उन मामलों में प्रतिभूतियों की जमानत अथवा संयंत्र और मशीनरी के दृष्टिबंधक के आधार पर ऋण दिया गया जो ऋण के मूल्य की तुलना में बेमेल थे। फिक्की (एफआईसीसीआई) के एक सर्वेक्षण (2004) के अनुसार अन्य अवरोधों में शामिल हैं, ऋण के अनुमोदन, स्वीकृति और संवितरण में विलंब, सूचना और पारदर्शिता का अभाव, बैंक के मुख्यालय में प्राधिकार का केंद्रीकरण तथा अपर्याप्त संपार्श्विक जमानत के मानदंड। ये समस्याएँ खाद्येतर बैंक ऋण में एसएमई के अंश में प्रतिबिंबित हुई जिसमें मार्च 1991 के अंत में स्थित 15.1 प्रतिशत की तुलना में गिरावट हुई और वह मार्च 2007 की समाप्ति पर 6.5 प्रतिशत रहा। एसएमई ने ऐतिहासिक रूप से ऋण-योग्य परियोजनाओं के निर्धीयन तक पहुँचने में उल्लेखनीय कठिनाइयों का सामना किया। संभावित ऋणदाताओं द्वारा की गई एक सामान्य शिकायत थी उनके बारे में विश्वसनीय सूचना का अभाव (बॉक्स VI.7)।

6.79 लघु और मझौले उद्यम (एसएमई) सामान्यतः स्वामित्व प्रतिष्ठान हैं और संभवतः इस कारण से भी एसएमई को संस्थागत ऋण की सुचारु उपलब्धता में बाधा पहुँची है। 2001-02 में आयोजित लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना के अनुसार एसएमई के स्वामित्व में स्वामित्व प्रतिष्ठानों का अंश 1972-73 के लगभग 61.0 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 2001-02 में लगभग 95.8 हो गया। दूसरी ओर, भागीदारी प्रतिष्ठानों का अंश 1972-73 के 35.0 प्रतिशत से घटकर

2001-02 में लगभग 1.9 प्रतिशत रह गया (सारणी 6.16)। स्वामित्व प्रतिष्ठानों के पास सीमित ऋण इतिहास अथवा केवल अपने मालिकों का ऋण इतिहास रहता है जिसके आधार पर बैंक उधार देने के संबंध में अपने निर्णय तय करते हैं। अतः यह प्रतीत होता है कि स्वामित्व के स्वरूप में परिवर्तन ने एसएमई द्वारा ऋण तक पहुँच को भी प्रभावित किया है।

6.80 सुधारों के बाद की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ब्याज-दरों में हुई सामान्य कमी के अनुरूप एसएमई क्षेत्र के लिए निधियों की लागत भी नीचे आई। आधारभूत (बैंचमार्क) मूल उधार दर और विभिन्न क्षेत्रों के लिए लागू की गई ब्याज-दरों ने वर्षों से एकस्थ (कन्वर्ज) होने की प्रवृत्ति दर्शाई (चार्ट VI.23)। तथापि, बड़ी कंपनियाँ बैंकों के साथ अनुकूलतम (फाइन) ब्याज-दरों के लिए सौदा कर सकती हैं और अपनी समग्र ब्याज लागतों को नीचे ला सकती हैं। इसके अलावा, बड़ी कंपनियों के पास निधियों के लिए देशी और अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों के पास पहुँचने का विकल्प है। अतः समायोजन का भार एसएमई के पास आ गया है जिनके पास निधियों तक सीमित पहुँच है। यह आवश्यक नहीं कि एसएमई द्वारा अदा की गई उच्च ब्याज दरें सदैव उनकी जोखिम पृष्ठभूमि के अनुसार हों (मोहन, 2004)। यह ध्यान देने योग्य है कि हाल के वर्षों में एसएमई क्षेत्र को लागू ब्याज दरों में गिरावट रही है। यह संभवतः इस क्षेत्र में बैंकों द्वारा की गई नीतिगत पहलों के और बेहतर मूल्यांकन के कारण है।

6.81 एसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने में प्रमुख समस्या लघु उद्यमों के संबंध में अपनी ऋण निर्धारण क्षमताओं को सुधारने

बॉक्स VI.7

लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) को ऋण प्रदान करने में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयाँ

एसएमई को ऋण प्रदान करने में बैंकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयाँ मुख्य रूप से सूचनात्मक अपारदर्शिता और ऋण के इतिहास के अभाव से उत्पन्न होती हैं। बड़े निगमों के असमान, छोटे कारोबार विशिष्ट रूप से सूचनात्मक तौर पर अधिक अपारदर्शी होते हैं क्योंकि प्रायः उनके पास एक नियमित आधार पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना प्राप्त करने के लिए प्रमाणित लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण नहीं होते। इन फर्मों के पास सामान्यतः सार्वजनिक तौर पर व्यापारित शेयर या ऋण भी नहीं होते ताकि बाजार की कीमतें अथवा सार्वजनिक रेटिंग प्राप्त किये जा सकें जिनसे उनकी गुणवत्ता का संकेत मिल सके।

लघु क्षेत्र से संबद्ध उच्च जोखिम-बोध कई तत्वों, जैसे कमजोर वित्तीय सुदृढ़ता, पर्याप्त संपार्श्विक (कॉलेटरल) प्रस्तुत करने में असमर्थता और अन्य कारकों से उत्पन्न होता है। बैंकों द्वारा नई परियोजनाओं, नई फर्मों और नई गतिविधियों का उचित रूप से मूल्यांकन करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप प्रायः बैंक छोटे उधारकर्ता से बचते हैं। काफी हद तक, चूँकि बैंक एसएमई क्षेत्र के उधारकर्ता के बारे में वास्तविक या संभावित जोखिमों का निर्धारण करने में असमर्थ हैं, अतः इस बात की संभावना है कि बैंक उधारकर्ता के बारे में गलत धारणा बनाते हैं।

छोटी परियोजनाओं की व्यावसायिक संभावनाओं एवं छोटे उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति के बारे में विषम सूचना इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि छोटे उधारकर्ताओं के पास सामान्यतः सुप्रलेखित ऋण इतिहास नहीं होता। विषम सूचना और उच्च जोखिम-बोध के परिणामस्वरूप, बैंक लघु क्षेत्र के उधारकर्ताओं के साथ कार्य करते समय नकदी प्रवाह के विश्लेषण की अपेक्षा

संपार्श्विक (कॉलेटरल)-आधारित उधार पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। यद्यपि एक अवसीमा है जहाँ तक बैंकों को कॉलेटरल पर जोर नहीं देना चाहिए, वे कॉलेटरल-रहित उधार से संबद्ध जोखिम को बहुत कम स्वीकार करते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से यह विदित हुआ है कि कई बैंक शाखाओं ने 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए भी कॉलेटरल पर जोर दिया है।

नैतिक संकट की समस्याएँ इस संभावना से जुड़ी हुई हैं कि लघु क्षेत्र में निधियों का विपथन वैकल्पिक परियोजनाओं में किया जाता है अथवा वे अत्यधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति विकसित करते हैं। साथ ही, प्रत्येक ऋण की अल्प राशियों के कारण सूचना संग्रहण, उचित सावधानी, ऋण प्रसंस्करण और निगरानी की कुल लागतें बड़े कारपोरेट उधारकर्ताओं को दिये जानेवाले ऋणों की कुल लागतों से बहुत अधिक हैं। अतः वित्तीय संस्थाएँ सूचना संग्रहण, बाह्य वित्तीयन की अल्पतर मात्रा और अनुभूत बृहत्तर ऋण जोखिम की उच्चतर लागतों की क्षतिपूर्ति करने के लिए बड़ी कंपनियों के लिए लागू ब्याज-दरों की तुलना में लघु क्षेत्र को अपेक्षाकृत उच्चतर ब्याज-दरें लगाती हैं।

एसएमई ऋण की कमजोर वृद्धि के लिए बैंकों द्वारा अक्सर बताये जानेवाले अन्य कारण हैं (i) अपंजीकृत उद्यमों की बड़ी संख्या जिनके लिए विभिन्न उधार और जोखिम प्रबंध तकनीकें, प्रक्रियाएँ और कुशलताएँ अपेक्षित हैं; (ii) चल संपत्ति के समनुदेशन और पंजीयन को विनियमित करने के लिए एक सुरक्षित लेनदेन कानून का अभाव; तथा (iii) संपत्ति के पंजीयन और प्रवर्तन सविदाओं के संबंध में कठिनाई और उच्च लागत।

सारणी 6.16 : लघु उद्योगों के स्वामित्व की संरचना


(प्रतिशत)

स्वामित्व की संरचना	लघु उद्योगों की प्रथम अखिल भारतीय गणना 1972-73	लघु उद्योगों की द्वितीय अखिल भारतीय गणना 1987-88	विनिर्माण उद्यम सर्वेक्षण 1994-95	लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना 2001-02
1	2	3	4	5
स्वामित्व	61.0	80.5	97.7	95.8
भागीदारी	35.0	16.8	1.9	1.9
सहकारी	0.7	0.3	-	0.1
सीमित कंपनियाँ	3.0	2.1	-	0.7
अन्य	0.3	0.3	-	1.4
सूचना प्राप्त नहीं	-	-	0.4	0.1
कुल	100	100	100	100

- : शून्य अथवा नगण्य ।

के लिए बैंकिंग संस्थाओं को समर्थ बनाने की है ताकि वे अच्छे और बुरे ऋण के बीच पर्याप्त रूप से अंतर कर सकें। लघु क्षेत्र को अवश्य उच्च जोखिम के समान नहीं मानना चाहिए। अतः इस क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए उपाय करना आवश्यक माना गया। तदनुसार एसएमई को ऋण की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें की गईं (बॉक्स VI.8)।

चार्ट VI.23 : चयनित क्षेत्रों को ऋण पर भारत औसत ब्याज दरें और बीपीएलआर



6.82 हाल की अवधि में एसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए भारत में बैंकों द्वारा कई पहलें की गई हैं (बॉक्स VI.9)

बॉक्स VI.8

लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) को ऋण की उपलब्धता को सुधारने के लिए पहलें

एसएमई क्षेत्र के महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने विभिन्न समितियों और कार्यदलों का गठन किया था यथा- नायक समिति (1992), कपूर समिति (1992), एस. पी. गुप्ता कार्यदल (2000), गांगुली समिति (2004) तथा मूर्ति कार्यदल (2005)। इन समितियों/कार्यदलों ने एसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए अनेक सिफारिशों की हैं। इन कार्यदलों की सिफारिशों के आधार पर कई नीतिगत कार्रवाइयों की गईं।

2006 में संसद ने व्याप्टि, लघु और मझौले उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 बनाया। यह अधिनियम भारत में एसएमई के लिए परिभाषा और ढांचा निर्धारित करता है। इस अधिनियम ने उन विकृतियों को दूर किया है जो छोटे व्यवसाय हेतु छोटा ही रहने तथा मापक्रम की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए एवं वृद्धि और रोजगार में अंशदान करते हुए मझौले आकार वाली फर्मों के रूप में अग्रसर न होने और क्रमिक विकास न करने के लिए तर्कविरुद्ध प्रोत्साहन निर्मित करती हैं।

लघु उद्योगों के प्रति अधिमानी व्यवहार एवं सब्सिडीकृत ब्याज दरों पर लक्षित ऋण पर आधारित पिछले दृष्टिकोण को बदला जा रहा है। प्रवेश के लिए कृत्रिम अवरोध और विनियमित ऋण बाजार लघु उद्योगों के इष्टतम आकार और कौशल के लिए उपयुक्त नहीं हैं। प्रतियोगिता की भावना लाने तथा छोटी फर्मों को सुव्यवस्थित रूप में विकसित होने और मापक्रम के लाभ पाने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों की सूची में से अनेक मदों की छंटाई की है।

ऋण संबंधी चूकों की समस्या को सुलझाने और संविदागत प्रवर्तन हेतु प्रचलित ढाँचे को मजबूत करने के लिए संसद ने वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सर्फेसी) अधिनियम, 2002 बनाया।

चूकी सूचना की विषमता से उत्पन्न होनेवाली लागत और जोखिम को कम करते हुए बेहतर सूचना एसएमई के लिए वित्तपोषण को सीधे बढ़ा सकती है, अतः संसद ने ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 भी बनाया। इस अधिनियम ने कानूनी तंत्र को मजबूत बनाया है। उक्त ऋण सूचना कंपनियाँ भी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना का संग्रहण, प्रसंस्करण और विनियम करने के लिए स्थापित की जा सकती हैं।

एसएमई क्षेत्र में बीमार इकाइयों के पोषण के लिए एक ऋण पुनर्निर्धारण व्यवस्था तथा बैंकों की बहियों में 31 मार्च 2004 को यथाविद्यमान एसएमई खातों के लिए एक एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना बनाई गई तथा इस संबंध में कार्यान्वयन के लिए क्रमशः सभी वाणिज्य बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया।

रिजर्व बैंक ने एसएमई के वित्तपोषण तथा बीमार लघु उद्योग और एमएमई इकाइयों के पुनर्वास में प्रगति की समीक्षा करने एवं इस क्षेत्र को ऋण की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई अवरोध हों तो उन्हें दूर करने में अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर अधिकार-प्राप्त समितियों का गठन किया है। ये क्षेत्रीय स्तर की समितियाँ समूह (क्लस्टर)/जिला स्तरों पर इसी प्रकार की समितियों के गठन की आवश्यकता तय कर सकती हैं।

बॉक्स VI.9

लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) को उधार - भारत में बैंकों द्वारा हाल में की गई पहलें - एक संक्षिप्त सर्वेक्षण

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी परियोजना अपटैक के माध्यम से समूह वित्तपोषण का दृष्टिकोण अपनाया है जहाँ प्रक्रिया में सुधार के लिए एक ही प्रकार के उद्योग की इकाइयों की पहचान की जाती है। इसका अर्थ यह है कि नवोन्मेषों को अपनाने के लिए जो इकाइयाँ आगे आती हैं, वे ग्रेड बढ़ाने की लागतों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। आइसीआइसीआइ बैंक ने एसएमई क्षेत्र के लिए एक सरलीकृत ऋण उत्पाद, 25 लाख रुपये तक गैर-जमानती ऋण, प्रारंभ किया है। यह ऊँचे विचार और कम समर्थक जमानत रखनेवाले प्रवर्तकों के लिए एक आदर्श है। एसएमई अब बैंक की वेबसाइट के माध्यम से भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रियाधीन एक और सेवा माध्यम सहभागियों के रूप में कानूनी और कराधान विशेषज्ञों को संबद्ध करना है जिनकी सेवाओं का उपयोग एसएमई कर सकते हैं।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) एसएमई क्षेत्र के लिए एक विशेषीकृत कक्ष गठित करने की प्रक्रिया में है। इस क्षेत्र के लिए प्रसंस्करण करने और ऋण प्रदान करने के अलावा, उक्त कक्ष विपणन का कार्य और एसएमई के ग्राहकों के लिए ऋण मामलों का अनुवर्तन करेगा। ये कक्ष देश भर में सभी 29 ओबीसी क्षेत्रीय केंद्रों में स्थापित किये जाएँगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट एण्ड लोन्स लिमिटेड (एससीआइएलएल) नाम की एक अलग व्यावसायिक इकाई है जिसका परिचालन वर्तमान में 16 नगरों में किया जा रहा है। उक्त बैंक ने एससीआइएलएल के नेटवर्क को 60 नगरों में विस्तारित

करने की रू परेखा बनाई है। एचएसबीसी सारे देश में 16 नगरों में अपनी 21 शाखाओं द्वारा जन-बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहा है। एचएसबीसी से ऋण प्राप्त करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आय का स्तर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 3,500 रुपये प्रति माह और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष मात्र है। यह समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र के लिए जोखिम प्रबंध बैंकों के पास एक बड़ा मुद्दा है। क्रेडिट रेटिंग इन्फर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लि. (क्रिसिल) ने एसएमई क्षेत्र के लिए रेटिंग सेवा उपलब्ध कराना प्रारंभ किया है। इस रेटिंग कार्यक्रम के अनुसार एसएमई को एक से आठ तक के मान पर रेटिंग निर्धारित किया जाएगा जिसमें मान एक उच्चतम साख की गुणवत्ता निर्दिष्ट करता है तथा मान आठ चूक की संभावनाएँ सूचित करता है। एसएमई को दिये गये रेटिंग उनके लिए स्वयं-सुधार के साधन के रूप में भी काम आएँगे। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), आइसीआइसीआइ बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ मिलकर एसएमई खंड के लिए एक रेटिंग एजेंसी प्रारंभ की है। (उक्त रेटिंग एजेंसी नामक) भारतीय लघु और मझौले उद्यम रेटिंग एजेंसी (एसएमईआरए) अधिकांश रेटिंग एजेंसियों के असमान, जिनका मुख्य कार्य ऋण लिखतों का रेटिंग करना है, कंपनी की समग्र सुदृढ़ता का रेटिंग निर्धारित करेगी।

स्रोत : एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. एचटीटीपी:// डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एसएमईआरए.आइएन (<http://www.smera.in>) पर।

6.83 बासेल II पूँजीगत मानदंडों को लागू करने के साथ ही, यह प्रश्न उठता है कि क्या बैंक अतीत से भिन्न रूप में व्यवहार करने की प्रवृत्ति दर्शाएँगे। साहित्य पर्याप्त रूप में यह संकेत करता है कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर बैंकों ने पूँजीगत अनुपातों में परिवर्तन (बासेल I) के प्रति आस्तियों की कुल वृद्धि को कम करने के रूप में केवल छवि चमकानेवाले परिवर्तन करते हुए अथवा विनियामक प्रयोजनों के लिए मापी गई पूँजी और बैंक की वास्तविक आर्थिक पूँजी के बीच विद्यमान अंतरों से लाभ उठाते हुए प्रतिक्रिया दर्शाई। अनुभवसिद्ध अध्ययन भी इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि बैंकों ने विनियमों में परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अपने जोखिम एक्सपोजर को कम करते हुए दर्शाई है। संभवतः यह अपने ऋणों की चुकौती करने की अनुमति देने के साथ ही, नए ऋण देने से इनकार करते हुए किया गया (नचाने और अन्य, 2001)। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में और 1990 के दशक में किये गये कुछ अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि एसएमई क्षेत्र को ऋणों की आपूर्ति में विनियामक पूँजीगत अपेक्षाओं के कारण कमी आई (नचाने और अन्य, 2001)। बर्जर और उडेल (1994) तथा वाल और पीटरसन (1995) ने यह पाया कि 1990 के दशक के प्रारंभ में अमरीका में बैंकों ने अपने पूँजी अनुपात बढ़ाने के लिए औपचारिक विनियामक अधिदेश के अधीन अपने ऋण संविभागों को उल्लेखनीय रूप में कम कर दिया। तथापि, एसएमई क्षेत्र को उधार देने के संबंध में बासेल II मानदंडों का संभावित प्रभाव इस स्तर पर स्पष्ट नहीं है (बॉक्स VI.10)।

एसएमई का वित्तपोषण - विभिन्न देशों के अनुभव

6.84 विश्व भर में विभिन्न देशों में वित्तपोषण के प्रकारों और स्रोतों एवं उनके द्वारा अनुसरण किये जानेवाले नीतिगत दृष्टिकोणों के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि एसएमई अपने परिचालनों का वित्तपोषण बड़े निगमों से बिलकुल अलग एक विशिष्ट प्रकार से करते हैं। अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में संगठित क्षेत्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में एसएमई कठिन समस्याओं का सामना करते हैं। तथापि, विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में एसएमई अभी तक अपने वित्तीयन की आवश्यकताओं के लिए बहुत हद तक बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर होते हैं (बॉक्स VI.11)।

6.85 जबकि कई देश-स्तरीय और व्यक्ति-आर्थिक अध्ययनों ने आर्थिक विकास और औद्योगीकरण की प्रक्रिया में एसएमई के महत्व का मूल्यांकन किया है, विश्वसनीय विदेशी आंकड़ों के अभाव ने अब तक एक परिशुद्ध विदेशी विश्लेषण को अवरुद्ध किया है। फिर भी, फर्मा के विभिन्न सर्वेक्षणों ने अर्थात् 1990 के दशक में उप-सहारा अफ्रीका के लिए उद्यम विकास संबंधी क्षेत्रीय कार्यक्रम (आरपीईडी) के अध्ययन, संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यावसायिक परिवेश और उद्यम निष्पादन सर्वेक्षणों (बीईईपीएस), विश्व व्यापार परिवेश सर्वेक्षण (डब्ल्यूबीईएस 1999-2000) एवं विगत 10 वर्षों से निवेश वातावरण सर्वेक्षण (आइसीएस 2002) ने विभिन्न देशों में छोटी फर्मा और व्यक्ति-उद्यमों के संबंध में वित्तपोषण के ढाँचों और उनकी पहुँच में विद्यमान बाधाओं के बारे में

बॉक्स VI.10 बासेल II और एसएमई क्षेत्र को उधार - बैंकों का व्यवहार

चूँकि लघु उद्योग क्षेत्र की अधिकांश फर्में स्वामित्व वाली फर्में हैं और परिवार-आधारित प्रबंध द्वारा चलाई जाती हैं, अतः एसएमई के पास सामान्यतः कोई ऋण इतिहास नहीं होता या बहुत कम ऋण इतिहास होता है जिससे बैंकों के लिए सही तौर पर ऋण जोखिम का निर्धारण और रेटिंग करना कठिन हो जाता है। जिन बैंकों के पास अपने ग्राहकों के बारे में उत्तम सूचना रहती है वे उनके जोखिमों का अधिक सही तौर पर आकलन कर सकेंगे और तदनुसार पूँजी उपलब्ध करा सकेंगे। फिर भी, मूलभूत नियम वही रहेगा कि यदि बैंक जोखिम के प्रति विमुख हैं तो जोखिम जितनी अधिक होगी, उतनी ही कम उक्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों की वरीयता होगी।

बासेल II के अंतर्गत बैंकों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी ऋण जोखिम (और इस प्रकार न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकताओं) की गणना या तो एक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर या आंतरिक रेटिंग-आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण अपनाकर करें। विशेष रूप से एसएमई ऋणों के संबंध में बैंकों के पास यह विकल्प भी होगा कि वे अपने एसएमई एक्सपोजरों को फुटकर संविभाग के भाग के रूप में (कुछ शर्तों के अधीन) शामिल करें अथवा एक वाणिज्यिक संविभाग के अंतर्गत शामिल करें। इस बात के आधार पर कि किस विकल्प का चयन किया गया है, एसएमई एक्सपोजरों से संबद्ध जोखिम भारिता भिन्न होगी तथा निहितार्थ द्वारा पूँजी की राशि जो बैंक के पास होनी चाहिए वह भी भिन्न होगी।

एक सर्वेक्षण द्वारा यह सूचना मिली कि अपेक्षाकृत बड़े बैंक जो परिष्कृत जोखिम मापन की तकनीकें अपने पास रखने में समर्थ हैं, उनके पास न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षाएँ कम होती हैं। इसके अलावा उक्त सर्वेक्षण में यह बताया गया कि एसएमई को उधार की आपूर्ति बढ़ाने और/या मार्जिनों में कमी करने (क्योंकि बैंक अधिक ध्यानपूर्वक ब्याज दरों को आर्थिक लागत के साथ पंक्तिबद्ध करते हैं) की गुंजाइश की संभावना हो सकती है। वे बैंक जो सफलतापूर्वक आइआरबी दृष्टिकोण को प्रयोग में लाते हैं, उन्हें अच्छी जोखिमों के अधिमूल्यन (ओवर-प्राइसिंग) और खराब जोखिमों के न्यूनमूल्यन (अंडर-प्राइसिंग) से बचने के लिए सैद्धांतिक रूप से बेहतर स्थिति में रखा जाना चाहिए। इसका परिणाम यह है कि इस कारण से उच्चतर जोखिम वाले एसएमई ऋणों का कुछ अंतरण उन बैंकों को हो सकता है जो आइआरबी दृष्टिकोण को नहीं अपनाते और जो निहितार्थ से जोखिम के कम परिष्कृत और अधिक मानकीकृत उपायों पर निर्भर होते हैं।

फिर भी, जब तक बैंकों के उधार पर बासेल II के संभावित प्रभाव को समझने के लिए एक विस्तृत अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक यह बताना कठिन होगा कि

एसएमई क्षेत्र को उधार पर बासेल II मानदंडों का प्रभाव क्या होगा। यह आवश्यक है कि चूक की संभावना और पूँजी की राशि, जो आइआरबी दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी बैंक को अवश्य धारण करनी चाहिए, के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कार्य किया जाए। एक और संभावना यह है कि प्रमुख बैंक यह विचार करें कि वे एक्सपोजर की सही जोखिम के अनुसार ऋणों का कीमत-निर्धारण कर रहे हैं। अतः जोखिम के प्रति विनियामक पूँजीगत अपेक्षाओं की कोई भी बढ़ाई गई संवेदनशीलता संभवतः चालू प्रक्रिया के साथ विनियामक परिवेश को पंक्तिबद्ध करने से अधिक कुछ नहीं करती।

बासेल II के प्रारंभ को बैंकों द्वारा एसएमई (अथवा अन्य ग्राहक समूहों) को उधार देने के विषय में अड़चन के रूप में नहीं देखा जा रहा है और वास्तव में संभवतः चालू प्रक्रिया के अनुसमर्थन के रूप में देखा जा रहा है। एसएमई के छोटे आकार का अर्थ यह है कि सूचना की विषमता की समस्या संभवतः बाजार के इस खंड के लिए अधिक तीव्र हो सकती है। एसएमई बाजार में समर्थक जमानत (कॉलेटरल) का प्रयोग विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण लक्षण है और इसलिए बड़े पैमाने पर एसएमई को ऋण की उपलब्धता में गिरावट की संभावना कभी नहीं होगी।

भारतीय संदर्भ में अनेक समितियों की रिपोर्टों और अध्ययनों ने यह बताया है कि एसएमई बाजार के कुछ विशिष्ट खंड हैं जहाँ ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक अनिच्छुक हैं। यह इसलिए है क्योंकि बैंक उन्हें अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में देखते हैं। यह अवबोधन वास्तविक परिदृश्य में सही भी हो सकता है और गलत भी। नये बासेल II करार की पृष्ठभूमि में यह बताया गया है कि बैंक अपना व्यवहार बदल रहे हैं तथा अपने ग्राहकों की सापेक्ष जोखिमपूर्णता निर्धारित करने की ओर ध्यान अधिक केंद्रित कर रहे हैं। अपनी ग्राहक फर्मों की जोखिम का अनुमान लगाने के लिए बैंकों को पहले से अधिक सूचना की आवश्यकता है। जो एसएमई यह साबित कर सकते हैं कि वे स्थिर हैं, वे कम ब्याज दरों और ऋणों तक बेहतर पहुँच के साथ लाभान्वित हो सकते हैं।

संदर्भ :

घोष, सैबल, डी. एम. नाचाने, पार्थ राय, 2004। “बिहेवियर ऑफ बैंक कैपिटल : इश्यू एण्ड एविडेंस फ्रॉम इंडिया”, ईपीडब्ल्यू, मार्च।

सेन, सुनंदा, सौम्य कांति घोष, 2005। “बासेल नार्म्स, इंडियन बैंकिंग सेक्टर एण्ड इंपैक्ट ऑन क्रेडिट टू एसएमईज एण्ड द पूअर”, ईपीडब्ल्यू, मार्च।

उपलब्ध सूचना का विस्तार किया है। इन सर्वेक्षणों ने यह दर्शाया कि केवल 20 प्रतिशत से थोड़ी अधिक छोटी फर्मों की तुलना में 40 प्रतिशत से भी अधिक बड़ी फर्में बाह्य वित्त का उपयोग करती हैं। नये निवेशों के वित्तपोषण के लिए भी छोटी फर्में बाह्य स्रोतों से केवल 15 प्रतिशत का ही उपयोग करती हैं, जबकि बड़ी फर्में बाह्य वित्त से 30 प्रतिशत का वित्तीयन करती हैं। बेक-टी और एसली डेमिगुक-कुंट (2005) ने टिप्पणी की कि फर्मों का आकार, स्वामित्व और कार्यकाल फर्मों के वित्तपोषण के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय भविष्यसूचक हैं। उन्होंने पाया कि अधिक कार्यकाल वाली, अधिक बड़ी और विदेशी स्वामित्व वाली फर्मों ने वित्तीयन के संबंध में कम बाधाओं की सूचना दी है। इससे यह परिणाम निकलता है कि लघुतर और अपेक्षाकृत नई फर्में वित्तीयन के संबंध में काफी अधिक बाधाओं

का सामना करती हैं। आंकड़े भी यह दर्शाते हैं कि छोटी फर्में अपने निवेश के एक छोटे अंश का वित्तीयन बाह्य वित्त के औपचारिक स्रोतों से करती हैं (बेक और अन्य, 2003)। वैश्विक तौर पर जहाँ एक ओर एसएमई द्वारा वित्त की पहचान एक दूसरी अग्रणी बाधा के रूप में की गई है, वहीं दूसरी ओर अपेक्षाकृत बड़े उद्यमों के लिए इसका स्थान चौथा है (बत्रा और अन्य, 2002)। विभिन्न देशों में एसएमई के लिए आंतरिक निधियाँ वित्तीयन का मुख्य स्रोत थीं।

6.86 डब्ल्यूबीईएस सर्वेक्षण के अनुसार फर्मों के प्रतिशत द्वारा अनुभव की गई वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में ओईसीडी देशों तथा पूर्वी अफ्रीका और चीन में कम थीं। जबकि लातीन अमरीका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में फर्मों के अधिकतम प्रतिशत ने उच्च ब्याज-दरों

बॉक्स VI.11

लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) का वित्तपोषण : उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव

विकसित देशों में कुल रोजगार और जीडीपी में अपने अंशदान के तौर पर विनिर्माण में एसएमई क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़े हैं (विश्व बैंक, 2005)। अध्ययनों से भी पता चलता है कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में संस्थागत वित्त तक एसएमई की बेहतर पहुँच है। उनके विकास के प्रारंभिक चरणों में भी विकसित देशों में एसएमई के लिए संस्थागत वित्त की सहायता मजबूत रही। कल, और अन्य (2005) ने 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के दौरान मुख्य उत्तरी अटलांटिक अर्थव्यवस्थाओं में एसएमई के वित्तीयन के स्वरूपों का पता लगाया और उन्होंने पाया कि आधुनिक वित्त के साथ संबद्ध मुख्य संस्थाएँ। बैंक और प्रतिभूति बाजार - एसएमई के लिए सीमांत महत्व की थी, परंतु उनके वित्तीयन की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए प्रभावी रूप में विभिन्न प्रकार की स्थानीय संस्थाएँ उभरी थीं। इन मध्यवर्ती संस्थाओं ने विभिन्न रूप लिये थे। उदाहरण के लिए उन्होंने फ्रांस में नोटरियों के रूप में और जर्मनी में सहकारी संस्थाओं के रूप में कार्य किया था। उल्लेखनीय रूप में इनमें से अधिकांश संस्थाएँ माँग द्वारा संचालित थीं तथा निजी पहलों के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। जबकि सरकारों ने इन संस्थाओं के निर्माण में बहुत कम भूमिका निभाई थी, उन्होंने उनके आविर्भाव को एक सामान्यतः अनुमतियोग्य विनियामक वातावरण में अनुमति दी थी।

अमरीका में निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) संस्थाएँ - वाणिज्य बैंक, किफायती संस्थाएँ (बचत बैंक और बचत संघ) और ऋण संघ - तथा गैर-निक्षेपागार (नॉन-डिपॉजिटरी) संस्थाएँ * एसएमई के लिए वित्तीय सेवाओं के आपूर्तिकर्ता हैं। 2003 में डिपॉजिटरी संस्थाओं का उपयोग सर्वेक्षण की गई सभी फर्मों में से 96 प्रतिशत फर्मों द्वारा किया गया - जो कि 1998 में विद्यमान स्थिति के ही समान था (फेड सर्वेक्षण, 2006)। डिपॉजिटरी संस्थाओं में वाणिज्य बैंकों का उपयोग सबसे अधिक अर्थात् 87 प्रतिशत था। जितना ही फर्म का आकार बढ़ता है, उतना ही वाणिज्य बैंकों का उपयोग करनेवाली फर्मों का प्रतिशत बढ़ जाता है।

सामाजिक और आर्थिक अनुसंधान के लिए यूरोपीय नेटवर्क (ईएनएसआर) के उद्यम सर्वेक्षण 2003 और वित्त के प्रति एसएमई की पहुँच के सर्वेक्षण 2005 ने यूरोपीय संघ में एसएमई की वित्तीय पहुँच और उनके द्वारा सामना किये जा रहे दबावों का विश्लेषण किया। सर्वेक्षण 2003 के अनुसार एसएमई के 13 प्रतिशत ने वित्त के प्रति पहुँच को प्रमुख अवरोध माना, यद्यपि उनके बहुमत ने कुशल श्रमिकों के अभाव को प्रमुख अड़चन के रूप में स्वीकार किया। तथापि, यूरोपीय एसएमई का बहुमत बैंक वित्तीयन पर निर्भर है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए किसी वैकल्पिक वित्तीय स्रोत का अभाव है। अधिकांश सदस्य राज्यों में ये उद्यम बैंक वित्त, अर्थात् ओवरड्राफ्टों और बैंक ऋणों का उपयोग करते हैं। लेकिन पट्टेदारी (लीजिंग) भी वित्त का एक प्रमुख स्रोत है। स्पेन, फ्रांस, लजमबर्ग, नीदरलैंड्स और पुर्तगाल में ओवरड्राफ्टों की तुलना में लीजिंग का उपयोग अक्सर ज्यादातर किया जाता है। फैक्ट्रिंग भी फ्रांस में एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

एसएमई के निधीयन के अनेक विशिष्ट लक्षण हैं। फ्रांस में एसएमई सामान्यतः बैंक वित्तीयन पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, जबकि बड़ी फर्में सीधे पूँजी बाजारों तक पहुँच सकती हैं। ईएनएसआर उद्यम सर्वेक्षण 2003 के अनुसार बड़े उद्यमों की तुलना में छोटी फर्में बैंक वित्तीयन का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करती हैं। सभी उद्यमों के लगभग 80 प्रतिशत के पास कम से कम एक ऋण-व्यवस्था (क्रेडिट लाइन) है। विभिन्न देशों में बैंक ऋण के उपयोग में उल्लेखनीय अंतर बने हुए हैं। आयरलैंड और आइसलैंड जैसे कुछ देशों में लगभग प्रत्येक एसएमई (95 प्रतिशत या उससे अधिक) के पास एक या उससे अधिक ऋण-व्यवस्था (क्रेडिट लाइन) है, जबकि फिनलैंड जैसे अन्य देशों में यह लगभग 70 प्रतिशत एसएमई पर लागू है।

विकसित देशों में भी, प्रायः अपर्याप्त सूचना की समस्या का उल्लेख एसएमई को बैंक वित्त में बाधा पहुँचानेवाले एक पहलू के रूप में किया जाता है। तुलना-पत्र

और लाभ-हानि लेखा (60 प्रतिशत) बहुत आम तौर पर बैंकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज हैं।

कुल मिलाकर बड़े उद्यमों की अपेक्षा एसएमई उधार समर्थक जमानत (कॉलेटरल) पर आधारित है। विकसित देशों में भी बैंक वित्तपोषण के लिए सर्वाधिक सामान्य अपेक्षा कॉलेटरल की ही है। स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) सबसे अधिक आम कॉलेटरल है और उसके बाद वैयक्तिक/निजी बचत पुस्तिका (सेविंग बुक) का स्थान है। स्टॉक (इन्वेंटरी) को सामान्यतः कॉलेटरल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। हाल के वर्षों में बैंक वित्तीयन तक एसएमई की पहुँच काफी आसान हो गई है।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में एसएमई के संवर्धन और विकास में मलेशिया एक अग्रणी अर्थव्यवस्था है। मलेशिया में अधिकांश एसएमई अपनी स्वयं की आंतरिक रूप से उत्पन्न निधियों तथा उनके व्यावसायिक परिचालनों के वित्तपोषण के लिए मित्रों और पारिवारिक सदस्यों से जुटाई गई निधियों का उपयोग करते हैं। 50 प्रतिशत बड़ी कंपनियों के विपरीत, केवल 16 प्रतिशत एसएमई ने वित्तीय संस्थाओं (वाणिज्य बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं) से वित्तपोषण पर अपनी निर्भरता व्यक्त की। वास्तव में 10 प्रतिशत व्यक्ति उद्यम ही वित्त के बाह्य स्रोत पर निर्भर हैं। स्थापना और उद्यमों की गणना 2005 के अनुसार, कॉलेटरल की कमी बैंकिंग संस्थाओं से वित्तीयन की माँग करते समय एसएमई द्वारा अनुभव की गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण अड़चन थी। इसके बाद अपर्याप्त ऋण प्रलेखन, पिछले वित्तीय रिकार्ड का अभाव एवं वित्तीय सक्षमता अन्य बाधाएँ थीं। एसएमई द्वारा उपयोग में लाई गई ऋण सुविधाओं के मुख्य प्रकार हैं अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण एवं पट्टेदारी। मलेशिया ने सरकार द्वारा पहचाने गए अनुकूल क्षेत्रों की वृद्धि में गति लाने के लिए समर्पित विकास वित्त संस्थाओं की स्थापना की, यथा एसएमई बैंक, एग्जिम बैंक, मलेशियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस (एमआइडीएफ), बैंक पेटेनियन मलेशिया तथा उच्च प्रौद्योगिकी और सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कंपनियों के लिए बैंक पेंबाबगुनन मलेशिया बेरहाद। साथ ही, बैंकिंग संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त कॉलेटरल वाले एसएमई को मलेशिया के प्राथमिक गारंटी प्रदाता के रूप में क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन मलेशिया बेरहाद (सीजीसी) है।

इंडोनेशिया में 70 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति, लघु और मझौले उद्यम (एसएमई) माता-पिताओं से विरासत में मिले हैं। व्यक्ति-उद्यमों की 70 प्रतिशत से भी अधिक व्यावसायिक पूँजी और लघु व्यवसायों के लिए 65 प्रतिशत पूँजी स्व-वित्तीयन द्वारा जुटाई जाती है। यद्यपि यह दावा किया जाता है कि वित्त की आवश्यकता है, परंतु सभी एमएसएमई ऋण आवेदनों के लिए प्रस्तुति नहीं करते हैं। जो कारण बताये जाते हैं उनमें शामिल हैं, कॉलेटरल का अभाव (व्यक्ति-उद्यमों के लिए) और उच्च ब्याज-दर (लघु और मझौले उद्यमों के लिए)।

संदर्भ :

बत्रा, गीता, डेनियल कौफ़मैन, ऐंड्रू एच. डब्ल्यू. स्टोन, 2002। “वाइसेज ऑफ़ दी फर्म्स 2000 : इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एण्ड दि गवर्नैस फाइंडिंग्स ऑफ़ दि वर्ल्ड बिजनेस एन्विरानमेंट सर्वे”। विश्व बैंक समूह।

बेक थार्स्टन, ऐस्ली डेमिर्गुक-कुंट, 2005। “स्माल एण्ड मीडियम-साइज एन्टरप्राइजेस : ओवरकमिंग ग्रोथ कन्स्ट्रैन्ट्स”। विश्व बैंक समूह, फरवरी।

कल रॉबर्ट, लैस ई. डेविस, नओमी आर. लमोरो, ज्याँ-लोराँ रोसेन्थाल, 2005, “हिस्टॉरिकल फाइनेंसिंग ऑफ़ स्माल एण्ड मीडियम-साइज एन्टरप्राइजेस”, एनबीईआर वर्किंग पेपर सीरीज, अक्टूबर।

* गैर-निक्षेपागारों (नॉन-डिपॉजिटरीज़) में अन्य के साथ शामिल हैं, वित्त कंपनियाँ तथा फैक्ट्र, दलाली और पेंशन फर्म, पट्टादायी (लीजिंग) कंपनियाँ एवं बीमा और बंधक कंपनियाँ, क्रेडिट कार्ड और चेक प्रसंस्करण कंपनियाँ, सरकारी स्रोत, परिवार और व्यक्ति, व्यावसायिक फर्म, आपूर्तिकर्ता और उद्यम के लिए पूँजी निधियाँ।

को प्रमुख बाधा के रूप में रेटिंग दिया, वहीं पूर्वी अफ्रीका और चीन में स्थित फर्मों ने इसका सामना एक प्रमुख बाधा के रूप में नहीं किया। ओईसीडी देशों तथा पूर्वी अफ्रीका और चीन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षण की गई 50 प्रतिशत से अधिक फर्मों द्वारा बताई गई एक और प्रमुख वित्तपोषण संबंधी बाधा दीर्घावधि ऋणों तक पहुँच का अभाव थी। लगभग सभी क्षेत्रों में कॉलेटरल की अपेक्षा ने भी वित्तपोषण संबंधी एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य किया (सारणी 6.17)।

6.87 2000 में किये गये विभिन्न देशों में एसएमई के निवेश वित्तपोषण ढाँचे के विश्लेषण से यह विदित होता है कि लातीन अमरीकी देशों की फर्मों ने अर्जेन्टीना के 43 प्रतिशत से चिली के 57 प्रतिशत तक के बीच वाले दायरे में बाह्य वित्तों का उपयोग किया। वित्तपोषण के बाह्य स्रोतों में चीन को छोड़कर अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वाणिज्य बैंकों का अंश प्रधान रहा। विकसित देशों के मामले में इक्विटी वित्त भी बाह्य वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत था (सारणी 6.18)। पोलैंड और जर्मनी में इक्विटी वित्त क्रमशः 27.6 प्रतिशत और 23.1 प्रतिशत पर काफी अधिक था। वित्तपोषण में अनौपचारिक क्षेत्र (महाजनों) का अंश चीन के 5.9 प्रतिशत से इंडोनेशिया के शून्य प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न रहा।

6.88 सारांश के रूप में, विभिन्न संकेतक, जैसे उद्योग को ऋण और कुल ऋण में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का अंश, लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की मात्रा में गिरावट, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार में लघु उद्योगों के अंश में गिरावट यह दर्शाते हैं कि उक्त क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए की गई नीतिगत पहलें अधिक सफल नहीं रही हैं। एसएमई को ऋण की धीमी वृद्धि के लिए अनेक रूढ़ स्पष्टीकरण हैं, यथा- पर्याप्त

कॉलेटरल की कमी, परिचालनों में अपारदर्शिता, स्वामित्व के मालिकाना स्वरूप की प्रधानता एवं ऋण इतिहास का अभाव क्योंकि अधिकांश फर्म अनुभवहीन हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एसएमई के पास उचित समर्थक जमानत (कॉलेटरल) का अभाव एसएमई क्षेत्र को ऋण में धीमी वृद्धि के लिए एक प्रमुख कारण है। हाल के वर्षों में बैंकों ने बुनियादी संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और फुटकर क्षेत्रों के लिए अपने एक्सपोजर को बढ़ाया है। बैंकों के उधार देने के स्वरूप में इस परिवर्तन के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण उद्योग, व्यक्तियों और फुटकर क्षेत्र के पास उत्तम गुणवत्ता वाले कॉलेटरल की उपलब्धता हो सकता है। तथापि, यह ऋण मूल्यांकन प्रणाली की एक अपेक्षाकृत बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण समस्या अर्थात् पर्याप्त ऋण मूल्यांकन तकनीकों के अभाव की ओर भी संकेत करता है। वित्त प्रदान करने के लिए नये उद्यमियों, नये विचारों, नये उत्पादों और नई सेवाओं का पता लगाने में अधिकाधिक प्रयास और अधिक परिष्कृत जोखिम प्रबंध प्रणाली की आवश्यकता होती है। लघु और मझौले उद्यमों के लिए केंद्रीकृत सूचना और अभिलेख प्रबंध प्रणाली के अभाव के कारण भारतीय बैंक अक्षम हैं (मोहन, 2008)। चूँकि ऋण सूचना कंपनी अधिनियम बनाया जा चुका है तथा रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शी निदेश भी जारी किये जा चुके हैं, अतः यह प्रत्याशित है कि ऋण सूचना कंपनियों की स्थापना से इस समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी।

6.89 विकासशील और विकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में एसएमई अपने वित्तीयन की आवश्यकताओं के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं। विकास का स्तर चाहे कुछ भी हो, एसएमई द्वारा जिस प्रमुख अवरोध का सामना किया जा रहा है वह कॉलेटरल का अभाव और अपर्याप्त

**सारणी 6.17 : वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ
(बाधा की 'प्रमुख' अथवा 'मामूली' रेटिंग वाली फर्मों का प्रतिशत)***

वित्तपोषण की बाधा	अफ्रीका	एमईएनए	पूर्वी अफ्रीका एनआईसी/चीन	पूर्वी एशिया विकासशील	दक्षिणी एशिया	लातीन अमरीका	ओईसीडी	सीआइएस	सीईई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उच्च ब्याज दरें	83.5	67.4	40.3	72.5	83.9	87.6	47.8	80.6	79.5
दीर्घावधि ऋण तक पहुँच का अभाव	31.2	52.0	65.1	63.1	20.0	58.7	67.0
कॉलेटरल अपेक्षाएँ	51.9	45.2	30.1	43.6	58.5	65.1	35.7	49.7	52.2
बैंक की कागजी कार्रवाई	47.1	51.6	29.9	34.6	56.6	63.0	38.9	52.9	48.3
ग्राहकों संबंधी अपर्याप्त ऋण सूचना	51.7	46.3	27.0	48.4	46.7	46.1	23.5	40.1	41.6
विशेष संबंध	38.2	33.3	26.3	39.6	44.5	46.5	26.5	35.1	43.1
उधार देने के लिए बैंकों के पास मुद्रा की कमी	28.4	33.0	20.6	52.2	35.1	39.1	14.3	37.4	46.8
विशेषीकृत निर्यात वित्त तक पहुँच	44.9	39.8	15.1	33.7	36.4	34.7	16.5	35.5	38.8
बैंकेतर इक्विटी तक पहुँच	43.1	36.2	13.0	32.6	34.9	35.6	18.1	38.3	42.0
पट्टा वित्त तक पहुँच	38.2	29.3	13.1	34.9	32.9	34.1	19.3	32.7	48.9
विदेशी बैंकों तक पहुँच	43.6	29.3	11.7	41.5	33.9	35.0	11.1	35.3	40.4

.. : उपलब्ध नहीं।
* : आंकड़े वर्ष 2000 में किये गये विश्व बैंक सर्वेक्षण से संबंधित हैं।
एमईएनए : मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका।
एनआईसी : नया औद्योगीकृत पूर्वी एशिया।
ओईसीडी : आर्थिक सहयोग और विकास संगठन।
सीआइएस : स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल।
सीईई : केंद्रीय और पूर्वी यूरोप।
स्रोत : विश्व बैंक, 2002, 'बत्रा और अन्य, 2002 से लिया गया।

सारणी 6.18 : चयनित देशों में फर्मों के वित्तपोषण का स्वरूप*

देश	बाह्य वित्त	बैंक	इक्विटी	पट्टे पर देना	आपूर्तिकर्ता ऋण	विकास बैंक	अनौपचारिक
1	2	3	4	5	6	7	8
अर्जेंटीना	43.5	30.0	2.8	0.8	7.5	1.6	0.8
ब्राजील	51.8	23.1	6.9	4.7	11.4	4.2	0.4
चिली	57.3	41.3	0.3	2.6	7.7	0.5	1.0
चीन	29.9	10.2	2.4	1.6	2.4	4.6	5.9
कोलंबिया	55.2	29.2	0.4	2.0	12.5	4.8	0.0
फ्रांस	30.9	6.8	5.8	4.3	7.4	1.4	1.7
जर्मनी	54.3	16.8	23.1	0.7	0.9	8.5	4.1
भारत	20.1	14.3	0.0	..	0.0
इंडोनेशिया	21.8	17.2	0.0	1.7	0.7	1.7	0.0
पाकिस्तान	43.1	30.0	5.6	1.5	2.9	1.0	2.1
फिलीपीन्स	36.6	17.5	2.0	1.4	10.8	4.5	0.4
पोलैंड	58.6	15.4	27.6	4.5	4.6	4.3	1.7
युनाइटेड किंगडम	36.1	13.1	11.6	2.9	7.5	0.6	0.5
अमरीका	47.1	21.5	3.2	6.1	6.6	6.8	2.9

* : आंकड़े वर्ष 2000 में विश्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण से संबंधित हैं ।

.. : उपलब्ध नहीं ।

स्रोत : विश्व बैंक की (2004) और तृतीय अखिल भारतीय लघु उद्योग गणना, 2001 (थार्सटन बेक, ऐस्ली देमिग्यूस-कुंत और वोजिस्लाव मक्सीमोविक, अगस्त 2004 से लेकर अनुकूल रूप में उपयोग किया गया)।

सूचना है। विभिन्न विदेशी सर्वेक्षण यह संकेत करते हैं कि उच्च ब्याज-दरें, दीर्घावधि वित्त तक पहुँच का अभाव एसएमई द्वारा अनुभव की गई दो प्रमुख बाधाएँ थीं। बेहतर वित्तीय प्रणालियों से युक्त विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वित्त तक पहुँच काफी अधिक है। इसके साथ ही, उन्होंने इस क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाये हैं, यथा- अन्य बातों के बीच जोरिखम पूँजी, ऋण का पंजीयन, एसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए विशेषीकृत संस्थाएँ, समूह-आधारित वित्तपोषण तथा एसएमई का वित्तीय ज्ञान बढ़ाना। अपनी अर्थव्यवस्थाओं में एसएमई की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने भी एसएमई क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया है। चूँकि इन अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजारों के समान अधिक विकसित नहीं हुए हैं, अतः इस प्रयोजन के लिए उन्होंने विशेषीकृत संस्थाएँ स्थापित की हैं। सूचना की विषमता से बचने के लिए अधिकांश देशों ने ऋण गारंटी संस्थाएँ स्थापित की हैं।

VI. बुनियादी संरचना को उधार

6.90 बुनियादी संरचना की परिभाषा मोटे तौर पर सुविधाओं के भौतिक ढांचे के रूप में दी जाती है जिसके माध्यम से माल और सेवाएँ जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं तथा जिसमें विविध प्रकार की सेवाएँ शामिल हैं जैसे परिवहन, बिजली का उत्पादन, प्रेषण और वितरण, दूरसंचार, पत्तन लदाई-उतराई सुविधाएँ, जल आपूर्ति और जल-मल निस्तारण, शहरी जन परिवहन प्रणालियाँ और अन्य शहरी मूलभूत सुविधाएँ, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य प्राथमिक सेवाएँ। एक ओर जहाँ कुछ बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था का किसी देश में व्यापार और वाणिज्य की गतिविधि के स्तर से प्रत्यक्ष संबंध रहता है, वहीं

दूसरी ओर अन्य सेवाएँ उसकी सामाजिक संरचना को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं (मोहन, 1996)।

6.91 बुनियादी संरचना में पर्याप्त निवेशों की कमी जिससे संवृद्धि में बाधा उत्पन्न हुई, को भारत बुनियादी संरचना रिपोर्ट 2001 में रेखांकित किया गया जिसमें यह तर्क दिया गया कि अपर्याप्त मूलभूत संरचना से उत्पन्न होनेवाली आपूर्ति एवं माँग संबंधी बाधाओं के परिणामस्वरूप 1990 के दशक में वृद्धि की दरें उस स्तर से कम रहीं जिस स्तर को पर्याप्त बुनियादी संरचना के होने की स्थिति में संभवतः प्राप्त किया जा सकता था। राज्य स्तर पर बुनियादी संरचनागत कमियाँ तथा भौतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना की सुविधाओं में अंतर-राज्य असमानताएँ बढ़ती हुई क्षेत्रीय आय की असमानताओं के लिए कारणभूत रूप में पहचानी गई थीं (घोष और डे, 2004)। ग्यारहवीं योजना के अनुसार, वृद्धि के 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के मध्यावधि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर है, लगभग 12,00,000 करोड़ रुपये से 14,00,000 करोड़ रुपये (2005-06 के मूल्यों पर) की सीमा तक बुनियादी संरचना में अतिरिक्त निवेश करने की आवश्यकता होगी। बुनियादी संरचना के वित्तीय संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री दीपक पारेख) के अनुसार उपर्युक्त अनुमान वित्तीयन की आवश्यकताओं का कम अनुमान हो सकता है। उक्त समिति ने यह मानते हुए कि वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से होगी तथा वार्षिक मुद्रास्फूर्ति 5 प्रतिशत रहेगी, 2005-06 के मूल्यों पर ग्यारहवीं योजना के दौरान बुनियादी संरचना क्षेत्र के लिए अपेक्षित निवेश को 15,00,000 करोड़ रुपये से 17,00,000 करोड़ रुपये पर रखा है। इसके अलावा, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15-20 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से वृद्धिशील घरेलू बचत के आधे भाग को बुनियादी संरचना के क्षेत्र की दिशा में निर्दिष्ट करना होगा (भारत सरकार, 2007ए)।

बुनियादी संरचना के वित्तपोषण में वाणिज्य बैंकों की भूमिका

6.92 बुनियादी संरचना संबंधी परियोजनाओं की विशेषता सामान्यतः बड़े और एकमुश्त निवेश हैं। बुनियादी संरचना की अधिकांश परियोजनाएँ जनसाधारण के कल्याण से संबंधित हैं। बुनियादी संरचना की परियोजनाओं का लाभ दीर्घ अवधि के बाद मिलता है तथा उनके विशेष लक्षणों के कारण उनका वित्तीयन अधिक कठिन हो जाता है। अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्वामित्व और वित्तीयन का प्रकार क्या हो। विकल्प हैं सरकारी स्वामित्व अथवा बुनियादी संरचना में निजी सहभागिता। सरकार द्वारा वित्तपोषण बुनियादी संरचना की उन परियोजनाओं के लिए वरीयता देने योग्य है जो कुल मिलाकर समाज को लाभ पहुँचाने के लक्ष्य से बनाई जाती हैं, जबकि बुनियादी संरचना की वे परियोजनाएँ निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिनमें उसकी सेवाओं के वितरण में मजबूत वाणिज्यिक घटक विद्यमान है। निजी क्षेत्र की सहभागिता और सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) रियायतों (जिनमें शामिल हैं पट्टे, आफरमेजेस, निर्माण-परिचालन-अंतरण संविदाएँ (बीओटी) और विकल्पी लाइसेंसों से युक्त डाइवैस्टिचर), हरित क्षेत्र परियोजनाओं के माध्यम से एवं प्रबंध और पट्टा संविदा माध्यमों द्वारा भी हो सकती हैं।

6.93 आम तौर पर सरकार द्वारा वित्तपोषण की कालत उन सेवाओं की व्यवस्था के लिए की जाती है जो जनसाधारण के कल्याण के स्वरूप की हैं और जिनकी व्यवस्था अपरिहार्य है। निजी क्षेत्र की सहभागिता द्वारा विकसित की गई बुनियादी संरचना की परियोजनाओं में वित्तपोषण के उपलब्ध तरीके या तो शेयर या ऋण हैं तथा सैद्धांतिक रूप में प्रत्येक का इष्टतम तब प्राप्त किया जाता है जब निवेश परियोजना की पूँजीगत संरचना ऋण के अंतर्गत संभव कर-बचत के साथ दिवालियेपन की जोखिम को संतुलित कर सकती है (सारणी 6.19)। व्यवहार में बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के वित्तपोषण का प्रकार अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय

बाजारों तक पहुँच एवं बुनियादी संरचना की परियोजना के विकास के चरण पर आधारित होगा (गॉलिक, 2007)। पारंपरिक तौर पर बुनियादी संरचना के वित्तपोषण में बैंकों की भूमिका प्रधानतः ऋण वित्त के माध्यम से थी।

6.94 बुनियादी संरचना की परियोजनाओं का ऋण के रूप में वित्तपोषण प्राथमिक तौर पर वाणिज्यिक ऋणों और बांडों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक ऋण वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधार दी गई निधियाँ हैं और सामान्यतः इन निधियों को परियोजना की अंतर्निहित परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूतिकृत किया जाता है। ऐसी निधियों की व्यवस्था आम तौर पर उधारकर्ता की वित्तीय क्षमता पर आधारित है, परंतु हाल में वाणिज्यिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी संरचना की परियोजना से प्रत्याशित नकदी प्रवाह पर भी अधिकाधिक विचार किया जाता है। बुनियादी संरचना की बड़ी परियोजनाओं के निधीयन के लिए वाणिज्य बैंक सामूहिक ऋण भी दे सकते हैं - जिसमें एक बड़े ऋण को विभिन्न बैंकों के बीच बाँट लिया जाता है। सामूहिक तौर पर उधार देने से बैंक अपने संविभाग का विविधीकरण कर सकते हैं तथा इससे पूँजी पर्याप्तता की अपेक्षा का पालन करने में बैंकों को सहायता मिलती है। बांड दीर्घावधि तक ब्याज देनेवाले ऋण लिखत हैं जिनमें निवेश बैंकों, पेंशन निधियों, बीमा कंपनियों तथा निधि प्रबंधकों द्वारा सरकारी अथवा निजी स्थापन के माध्यम से किया जाता है। बांडों की साख की गुणवत्ता स्वतंत्र साख-श्रेणी-निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियों द्वारा परियोजना के लिए दिये गये साख रेटिंगों से निर्दिष्ट की जाएगी (गॉलिक, 2007)।

6.95 बुनियादी संरचना की परियोजनाओं को बैंकों द्वारा उधार दिये जाने से उन्हें अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। तथापि, इसके साथ ही उन्हें इससे अच्छे व्यावसायिक अवसर प्राप्त होते हैं (बॉक्स VI.12)।

सारणी 6.19 : निजी क्षेत्र की बुनियादी संरचना के लिए वित्तपोषण के स्रोत

देशी स्रोत	बाह्य स्रोत
इक्विटी	
<ul style="list-style-type: none"> देशी विकासकर्ता (स्वतंत्र रूप से या अंतरराष्ट्रीय विकासकर्ताओं के साथ सहयोग सहित) जनोपयोगी सेवाएँ (अल्पमत वाली धारिताओं को लेते हुए) अन्य संस्थागत निवेशक (बहुत सीमित होने की संभावना है) 	<ul style="list-style-type: none"> अंतरराष्ट्रीय विकासकर्ता (स्वतंत्र रूप से या देशी विकासकर्ताओं के साथ सहयोग सहित) उपस्कर आपूर्तिकर्ता (देशी या अंतरराष्ट्रीय विकासकर्ताओं के साथ सहयोग सहित) समर्पित बुनियादी संरचना निधियाँ अन्य अंतरराष्ट्रीय इक्विटी निवेशक बहुपक्षीय एजेंसियाँ (अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, एशियाई विकास बैंक)
ऋण	
<ul style="list-style-type: none"> देशी वाणिज्य बैंक (3 - 5 वर्ष) देशी मीयादी ऋणदात्री संस्थाएँ (7 - 10 वर्ष) देशी बांड बाजार (7 - 10 वर्ष) विशेषीकृत बुनियादी संरचना वित्तपोषण संस्थाएँ 	<ul style="list-style-type: none"> अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य बैंक (7 - 10 वर्ष) निर्यात ऋण एजेंसियाँ (7 - 10 वर्ष) अंतरराष्ट्रीय बांड बाजार (10 - 30 वर्ष) बहुपक्षीय एजेंसियाँ (15 - 20 वर्ष) द्विपक्षीय सहायता एजेंसियाँ
<p>स्रोत: 'फाइनेंसिंग प्राइवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर : लेसन्स फ्रॉम इंडिया' (अहलुवालिया, 1997) से लिया गया।</p>	

बॉक्स VI.12

बुनियादी संरचना के लिए बैंक उधार : जोखिमों और अवसर

वाणिज्य बैंक अपने स्वरूप से ही, जिसमें वे अपना कारोबार चलाते हैं - जहाँ वे प्राथमिक तौर पर अल्पावधि उधारों (देयताएँ) और दीर्घावधि निवेशों (आस्तियों) के साथ कार्य करते हैं - बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के वित्तपोषण में गंभीर मीयादी असंतुलन का सामना करते हैं जिसमें 10-12 वर्षों और कभी-कभी 15 वर्षों का निधीयन संबद्ध है। अतः अपेक्षित मान पर बुनियादी संरचना की परियोजनाओं को वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण, प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक परिदृश्य के कारण अथवा बैंक जमाराशियों की अत्यधिक अवसर लागतों के कारण उधार देने के लिए बैंकों की अनिच्छा सहित कुछ सीमाओं के अधीन हो सकता है।

बैंक अपनी ओर से बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के बांड वित्तपोषण को वरीयता दे सकते हैं क्योंकि इससे बांडों के बाह्य रेटिंगों के कारण ऋण जोखिम का बेहतर अवबोधन हो सकेगा। इसके अलावा, ऋण बाजार में बांडों का व्यापार करने की क्षमता उन्हें एक निर्गम का भी विकल्प प्रदान करेगी। इस संदर्भ में हाल में परियोजना वित्त और परियोजना बांडों के आविर्भाव से बैंकों के पास उच्च जोखिम से युक्त, पूँजीप्रधान, लंबी अवधि वाली और एक पारदर्शी नकदी-प्रवाह से समन्वित बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के वित्तीयन में प्रवेश करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त, बुनियादी संरचना को बैंक द्वारा संवितरित ऋणों के मामले में उसे बढ़ाई गई अवधि के लिए अपने तुलन-पत्र में उक्त ऋणों को एक आस्ति के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह बुनियादी संरचना की परियोजनाओं को प्रदान किये गये अग्रिमों के प्रतिभूतिकरण का सहारा ले सकता है। एक अन्य तरीका जिसके द्वारा बैंक बुनियादी संरचना के क्षेत्र को अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, बुनियादी संरचना निधियों की स्थापना के माध्यम से रहा है।

अधिक महत्वपूर्ण तौर पर निजी बुनियादी संरचना वित्तीयन में बैंकों की भूमिका के अंतर्गत शामिल हैं, परियोजना मूल्यांकन और अभिकल्पन, निधियों और ऋण वित्त की व्यवस्था और स्थापन, अधिक निधियों उपलब्ध कराते हुए और संगठनात्मक नवोन्मेष को प्रकट करते हुए कार्यकुशलता को सुधारने में नई परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाने के लिए बैंक के विशेषज्ञों के कौशल का प्रयोग (लिंच, 1996)। अतः बैंकों द्वारा सफल बुनियादी संरचना वित्तीयन अथवा परियोजना वित्तीयन के साथ न केवल ऋण की व्यवस्था, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण तौर पर परियोजना वित्त के लिए सलाहकारों के रूप में उनकी भूमिका भी संबद्ध है क्योंकि उनके पास कानून, लेखांकन, कर और बैंकिंग का कौशल रहता है।

प्रवर्तन, हमीदारी और जोखिम वितरण के माध्यम से बैंक बुनियादी संरचना के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बुनियादी संरचना की परियोजनाएँ सामान्यतः अपने निर्माण के कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए तथा परियोजना के समापन पर अपने स्थायी दीर्घावधि वित्तपोषण के लिए बैंकों की ओर अभिमुख होती हैं। निर्माण वित्त की अपेक्षाएँ 2 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होती हैं जिनके लिए बैंक एक अस्थिर दर पर ब्याज लगा सकते हैं। स्थायी वित्त की आवश्यकताएँ 10 से 15 वर्ष की अवधि के लिए होती हैं जो नियत ब्याज-दर पर हो सकती हैं।

निर्माण के स्तर पर वित्तपोषण करते समय बैंकों के सामने विशेष रूप से बिजली और सड़कों से संबंधित परियोजनाओं में निर्माण जोखिम उपस्थित होती है। यहाँ निर्माण जोखिम से आशय समय और लागत के अत्यधिक बढ़ जाने से है जो निर्माण के चरण में अप्रत्याशित स्थितियों के कारण घटित हो सकता है। एक और जोखिम जिसका परीक्षण बैंकों को निर्माण के स्तर पर करना होगा, ब्याज दर जोखिम है जो अस्थिर दरों पर ब्याज लगाने के कारण उत्पन्न हो सकती है। ब्याज दर जोखिम खास तौर से बुनियादी संरचना की उन परियोजनाओं के साथ संबद्ध है जिनकी पूँजी की मात्रा अत्यधिक है और चुकौती की अवधि लंबी है। ऐसे परिदृश्य में ब्याज लागतों के अंतर्गत एक लंबी अवधि के लिए कुल लागतों का एक भारी अंश शामिल है तथा ब्याज दरों में भारी अंतरों के परिणामस्वरूप अपेक्षित स्तरों की तुलना में उल्लेखनीय रूप में लागत की मात्रा अत्यधिक बढ़ सकती है।

परिचालन के स्तर पर बुनियादी संरचना की परियोजनाओं को स्थायी बैंक उधार के संबंध में अनेक जोखिमों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस चरण पर जोखिमें प्राथमिक तौर पर अन्य जोखिमों के बीच बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम का रूप लेती हैं। बुनियादी संरचना की परियोजनाओं में बाजार जोखिमें तब उत्पन्न होती हैं जब परियोजना की सक्षमता निर्धारित करने में मानी गई बाजार की स्थितियाँ प्राप्त नहीं की जाती। उन मामलों

में जहाँ निजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता सीधे उपयोगकर्ताओं के साथ लेनदेन करता है, बाजार जोखिम निवेशक/बैंक द्वारा वहन की जाती है। बुनियादी संरचना की परियोजनाओं में परिचालन जोखिमों से आशय परियोजना की वितरण निष्पादन के स्तरों की जोखिमों से है जो पहले किये गये व्यवहार्यता के अध्ययन द्वारा प्रत्याशित स्तरों से कम हैं। ऐसी जोखिमें दूरसंचार में अधिक संकेद्रित हैं जहाँ प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अंततः विदेश में बुनियादी संरचना की परियोजनाओं में उधार देनेवाले बैंकों के मामले में विदेशी मुद्रा जोखिमें विद्यमान हैं जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। जिस देश में बुनियादी संरचना की परियोजना का वित्तपोषण किया जाता है तथा जिस मुद्रा में परियोजना के राजस्वों का मूल्यवर्गीकरण किया जाता है, उस देश में मुद्रा का मूल्य-हास होने की स्थिति में यदि परियोजना के नकदी प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि प्राप्त नहीं की जाती, तो उसके कारण अंतरराष्ट्रीय उधारदाताओं को उक्त परियोजना के लिए भुगतानों की देशी मुद्रा लागत में भारी वृद्धि हो सकती है।

इन जोखिमों के बावजूद बुनियादी संरचना आनेवाले वर्षों में वित्त के लिए, विशेष रूप से दीर्घावधि वित्त के लिए दोनों विकसित एवं उभरते बाजारों में माँग के एक बृहत्तम स्रोत के रूप में उभरेगी। यदि सही तौर पर कार्य किया जाए, तो बुनियादी संरचना का वित्तपोषण विशेष रूप से परियोजना वित्त में सहभागिता के माध्यम से बैंकों के लिए अपने परिचालनों के दायरे को बढ़ाने के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करता है। बुनियादी संरचना के वित्तपोषण में बैंकों की संबद्धता को इस तथ्य से सहायता मिलती है कि मिश्रित परियोजना वित्तीयन संबंधी लेनदेनों का मूल्यांकन करने और बुनियादी संरचना की परियोजना के अलग-अलग चरणों में विभिन्न जोखिमों की पहचान करने में अधिकांश अन्य बाजार सहभागियों की तुलना में उनका स्थान बेहतर है।

सर्वप्रथम, बुनियादी संरचना में संवर्धित वित्त की आवश्यकता को देखते हुए एक विचारणीय विषय वह प्रकार है जिसमें बैंकों को बुनियादी संरचना वित्त में संबद्ध दीर्घ अवधि और उच्च जोखिमों का ध्यान रखते हुए सामान्यतः बैंकिंग क्षेत्र की कार्यकुशलता के साथ समझौता किये बिना बुनियादी संरचना के वित्तपोषण में सहभागिता करनी चाहिए। प्रायः बुनियादी संरचना के वित्त में बैंकों की संबद्धता बुनियादी संरचना के वित्त से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जोखिमों का उचित विचार किये बिना रही है। अतः ऋण जोखिम के अतिरिक्त, वाणिज्य बैंकों के लिए बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के वित्तपोषण में संबद्ध बाजार जोखिमों से भी अवगत होने की आवश्यकता है। राजस्व की कमी होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि राजस्व उत्पादन व्यवस्था, विवाद निपटान व्यवस्थाओं तथा सहायता व्यवस्था की स्पष्ट समझ और उचित परिकल्पना हो। दूसरे, बुनियादी संरचना की कई परियोजनाओं से प्राप्त सामाजिक हित और उनके सार्वजनिक हित के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह तथ्य भी सामने आएगा कि निजी क्षेत्र की सहभागिता और विशेष रूप से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना का वित्तपोषण केवल ऐसे ही परिदृश्य में व्यवहार्य होगा जहाँ निरंतर बने रहनेवाले पारदर्शी नकदी प्रवाह की गारंटी दी जा सकती है। गारंटीकृत नकदी प्रवाहों के अभाव में इस क्षेत्र में निजी सहभागिता को व्यवहार्य बनाने के लिए लक्षित सब्सिडियों अथवा पूरक राजस्व व्यवस्थाओं के रूप में सरकार के हस्तक्षेप को प्राप्त करने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

अहलूवालिया, एम. एस्. 1997। 'फाइनेंसिंग प्राइवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर : लेसन्स फ्रॉम इंडिया'। इन चॉइसेज फ़र एफ़ीशिएन्ट प्राइवेट प्रॉविजन ऑफ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन ईस्ट एशिया, (संपादक) हरिंदर कोहली, अशोका मोदी और माइकेल वाल्टन; विश्व बैंक।

गालिक, सोनिया. 2007। 'पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स : ए फाइनेंसियर्स पर्सपेक्टिव'। एशिया और दी पैसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), संयुक्त राष्ट्र संघ।

लिंच, डेविड. 1996। 'फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स- ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्सपेरिमेंट्स', एपीईसी वित्तदाताओं की बैठक के लिए तैयार किया गया आलेख, टोक्यो, जापान, फरवरी 1996।

बॉक्स VI.13

बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना का वित्तपोषण : विभिन्न देशों के अनुभव

आस्ट्रेलिया में बुनियादी संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की सहभागिता बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के प्रायः समूचे दायरे को सम्मिलित करती है जिसमें सामाजिक बुनियादी संरचना - अस्पताल, जेल एवं परिवहन, बिजली और संचार में वाणिज्यिक उद्यम शामिल हैं। आस्ट्रेलिया सफल रियायत आधारित बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के मॉडलों की रू परेखा बनाने में पथप्रदर्शक के रूप में उभरा है। आस्ट्रेलिया में स्थित बैंकों ने पहले बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के लिए वित्त के स्रोत के रूप में कार्य करते हुए तथा दूसरे परियोजना का मूल्यांकन उपलब्ध कराते हुए, बुनियादी संरचना की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक संबद्धता को सुनिश्चित करने में दुहरी भूमिका निभाई। आस्ट्रेलिया में बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना का वित्तपोषण इक्विटी की हामीदारी का रूप लेता है, जहाँ आस्ट्रेलिया के बैंक विश्व में पहले बैंक हैं जिन्होंने किसी सड़क परियोजना (रोड प्रॉजेक्ट) के लिए इक्विटी की सफल हामीदारी और स्थापन किया है एवं बांड बाजार के माध्यम से ऋण जुटाया है (लिंग, 1996)।

हाल के समय में बुनियादी संरचना के विकास में आश्चर्यजनक सफल वृत्तांतों में से एक चीन का है। चीन में बुनियादी संरचना के वित्त के विभिन्न स्रोत हैं प्रांतीय और स्थानीय सरकारें, राज्य विकास बैंक, चीनी अंतरराष्ट्रीय निगम और बहुपक्षीय एजेंसियाँ। प्राथमिक रूप से बुनियादी संरचना के भारी वित्तपोषण में देशी ऋणों और स्व-निर्मित निधियों का अंशदान है। बुनियादी संरचना के वित्तपोषण में प्रधान भूमिका चाइना डेवलपमेंट बैंक द्वारा अदा की जाती है जो राज्य द्वारा परिकल्पित बुनियादी संरचना की प्रमुख परियोजनाओं को उधार देने के प्रयोजन के लिए 1994

में स्थापित तीन विकास बैंकों में से एक है। चाइना डेवलपमेंट बैंक के लिए वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत सर्वप्रथम विशिष्ट बुनियादी संरचना की परियोजनाओं का कार्य करने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त बजट संबंधी विनियोजन हैं। वित्त का दूसरा स्रोत बांड हैं, जिन्हें विशेषीकृत और प्रांतीय वाणिज्य बैंकों के पास उनके पास स्थित अधिक आरक्षित निधियों के आधार पर रखा जाता है जिससे डेवलपमेंट बैंक बुनियादी संरचना के वित्त के लिए वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों का उपयोग कर सकता है। वह बांडों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में एवं सामूहिक ऋणों द्वारा भी निधियाँ जुटाता है (स्पियर, ऐण्डू और अन्य, 1997)। 1994 से 2005 के अंत तक की अवधि के दौरान चाइना डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिये गये उधार के 88.9 प्रतिशत को आठ मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों, अर्थात् बिजली, सड़क निर्माण, रेलवे, पेट्रो-रसायन, कोयला खनन, दूरसंचार, सार्वजनिक सुविधाएँ तथा कृषि और संबंधित उद्योगों की दिशा में निर्दिष्ट किया गया।

संदर्भ :

लिंग, डेविड, 1998. “फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स - आस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्सपीरिएन्स”, एपीईसी वित्तदाताओं की बैठक, टोक्यो, जापान के लिए तैयार किया गया आलेख, फरवरी 1996।

स्पियर, ऐण्डू और अन्य 1997 “चाइना इन्फ्रास्ट्रक्चर : सेक्टरल प्लान्स, रिफार्म्स एण्ड फाइनेंसिंग”, ईस्ट एशिया एनलिटिकल यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ फारिन एफेयर्स एण्ड ट्रेड, कॉमनवेल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया।

6.96 चूँकि बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना की परियोजनाओं को वित्तपोषण से कुछ गंभीर जोखिमें उत्पन्न होती हैं, अतः बैंकों ने संबद्ध जोखिमों के प्रति अपने आपको अधिक अरक्षित रखे बिना बुनियादी संरचना की परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ की हैं। आस्ट्रेलिया और चीन के विदेशी अनुभव यह दर्शाते हैं कि बैंक बुनियादी संरचना की परियोजनाओं को आगे उधार देने के लिए दीर्घावधि निधियाँ जुटाने के लिए बांडों का प्रयोग करते हैं (बॉक्स VI.13)।

भारत में बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना क्षेत्र का वित्तपोषण

6.97 1990 के दशक के प्रारंभ में बुनियादी संरचना का क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था। अतः बैंकों को बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के लिए कार्यशील पूँजीगत अपेक्षाओं के अतिरिक्त मीयादी ऋण और गारंटियाँ देने के लिए अनुमति दी गई थी। बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुसाध्य बनाने के लिए बैंकों को एक्सपोजर के मानदंडों का अतिक्रमण 10 प्रतिशत तक करने की अनुमति दी गई (बॉक्स VI.14)। एक सुविकसित निजी कंपनी ऋण बाजार के अभाव में बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के लिए बैंक निधियों के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरे हैं।

6.98 बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिया गया बकाया सकल ऋण मार्च 1998 के अंत के 3,163 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर मार्च 2001 के अंत में 11,349 करोड़ रुपये तथा आगे और बढ़कर मार्च 2007 के अंत तक 1,42,975 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् वह 1998-2007 के दौरान 52.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर बढ़ गया। कुल बैंक ऋण में बुनियादी संरचना के वित्तपोषण का अंश मार्च 1998 के अंत के 1.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 7.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 6.20)।

6.99 1998 और 1999 में बैंक वित्त में सबसे बड़ा अंश दूरसंचार क्षेत्र का रहा। फिर भी, मार्च 2000 के अंत में बिजली क्षेत्र का अंश सबसे अधिक रहा और यह स्थिति बाद के वर्षों में जारी रही। वास्तव में, 2002 से आगे बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण में बिजली क्षेत्र का अंश लगभग 50 प्रतिशत रहा (सारणी 6.21)।

6.100 बुनियादी संरचना को बैंकों द्वारा निवल ऋण (चुकौतियों को घटाकर), जो 2002-03 में (मुख्य रूप से आइसीआइसीआइ बैंक के साथ आइसीआइसीआइ के प्रति विलय के कारण) और पुनः 2004-

बॉक्स VI.14

बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना के वित्तपोषण पर रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश : मुख्य-मुख्य बातें

रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2003 में जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को इस बात की स्वतंत्रता दी गई थी कि वे निम्नलिखित शर्तों पर दोनों सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा प्रारंभ की गई तकनीकी दृष्टि से संभाव्य, वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य और बैंकयोग्य परियोजनाओं को वित्त प्रदान करें :

- मंजूर की गई राशि बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंडों की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होनी चाहिए ।
- परियोजनाओं की तकनीकी संभाव्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और बैंकयोग्यता का जोखिम और संवेदनशीलता के विशिष्ट संदर्भ में निर्धारण करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास अपेक्षित विशेषज्ञता होनी चाहिए ।
- सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं के संबंध में मीयादी ऋण केवल कारपोरेट संस्थाओं (अर्थात् कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा संबंधित संविधि के अंतर्गत स्थापित निगम) के लिए ही मंजूर किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे मीयादी ऋण परियोजना के लिए परिकल्पित बजट संसाधनों के बदले या उन्हें स्थानापन्न करने के लिए नहीं होने चाहिए ।
- बैंक बुनियादी संरचना की ऐसी परियोजनाओं को सीधे प्रारंभ करने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, निजी क्षेत्र के विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) को भी उधार दे सकते हैं जो वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हों और केवल वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए न हों । बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा है कि मूल/प्रवर्तक संस्था का दिवालियापन अथवा वित्तीय कठिनाइयाँ एसपीवी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित न करें ।

बुनियादी संरचना की परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए बैंक ऋण सुविधा कार्यशील पूँजीगत वित्त, मीयादी ऋण, परियोजना ऋण, परियोजना वित्त के पैकेज के भाग के रूप में उपार्जित बांडों और डिबेंचरों/अधिमान शेयरों/इक्विटी शेयरों में अभिदान के रूप में प्रदान कर सकते हैं जिसे 'माना गया अग्रिम' (डीमड एडवांस) समझा जाएगा तथा निधिक या गैर-निधिक सुविधा के किसी अन्य रूप में उपलब्ध करा सकते हैं ।

बैंक आइडीएफसी/अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ अंतरण (टेक आउट) वित्तपोषण की व्यवस्था कर सकते हैं अथवा आइडीएफसी/अन्य वित्तीय संस्थाओं से चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

बैंकों को बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के संबंध में अन्य ऋणदात्री संस्थाओं के नाम गारंटियाँ जारी करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि गारंटी जारी करनेवाला बैंक में निधिक अंश परियोजना लागत के कम से कम 5 प्रतिशत की सीमा तक लेता है तथा परियोजना का सामान्य ऋण मूल्यांकन, निगरानी और अनुवर्तन करता है ।

रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया कि किसी कंपनी की इक्विटी पूँजी के लिए प्रवर्तक का अंशदान उनके अपने स्वयं के संसाधनों से होना चाहिए तथा कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत बुनियादी संरचना के क्षेत्र को दिये गये महत्व को देखते हुए अन्य कंपनियों के शेयर लेने के लिए बैंक सामान्यतः अग्रिम प्रदान न करें, इस नीति के अंतर्गत अपवाद केवल भारत में बुनियादी संरचना की किसी परियोजना को कार्यान्वित या परिचालित करने में लिफ्ट किसी मौजूदा कंपनी में प्रवर्तक के शेयरों के अभिग्रहण के वित्तपोषण के लिए हो सकता है ।

एक समूह के उधारकर्ताओं को ऋण एक्सपोजर के संबंध में बैंक की पूँजीगत निधियों के 40 प्रतिशत के एक्सपोजर मानदंड को, अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक अतिक्रमित करने (अर्थात् 50 प्रतिशत तक) की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि अतिरिक्त ऋण एक्सपोजर बुनियादी संरचना की परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के कारण हो। एकल उधारकर्ता को ऋण एक्सपोजर के संबंध में बैंक की पूँजीगत निधियों के 15 प्रतिशत के एक्सपोजर मानदंड को अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक अतिक्रमित करने (अर्थात् 20 प्रतिशत तक) की अनुमति दी गई है बशर्ते कि अतिरिक्त ऋण एक्सपोजर बुनियादी संरचना के कारण हो ।

बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे बुनियादी संरचना सुविधा से संबंधित प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश पर पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए 50 प्रतिशत का एक रियायती जोखिम भार अन्य मानदंडों के अनुपालन के अधीन समनुदेशित करें । उक्त बुनियादी संरचना सुविधा आय/नकदी प्रवाह उत्पन्न करनेवाली हो जिससे प्रतिभूतिकृत पेपर की चुकोती/वापसी सुनिश्चित की जा सके ।

बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के दीर्घकालिक वित्तपोषण के कारण आस्त-देयता असंतुलन उत्पन्न हो सकते हैं, विशेष रूप से तब, जब ऐसा वित्तपोषण बैंक की देयताओं के परिपक्वता अवधि विन्यास के अनुरूप न हो । अतः बैंकों से अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी परिसंपत्ति-देयता की स्थिति के संबंध में उचित सतर्कता बरतें कि ऐसी परियोजनाओं को उधार देने के कारण उन्हें चलनिधि के असंतुलनों का सामना न करना पड़े ।

05 में (मुख्य रूप से एक बैंक के रूप में आइडीबीआई के परिवर्तन के कारण)तेजी से बढ़ा, ने मुख्य रूप से उच्च आधार के कारण 2005-06

में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की । तथापि, 2006-07 के दौरान भी, बुनियादी संरचना क्षेत्र को निवल ऋण में वृद्धि ऋणात्मक थी (सारणी 6.22)।

सारणी 6.20 : बुनियादी संरचना क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत में										
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
बुनियादी संरचना	3,163	5,941	7,243	11,349	14,809	26,297	37,224	78,999	1,12,853	1,42,975	
वार्षिक वृद्धि दर	..	87.8	21.9	56.7	30.5	77.6	41.6	112.2	42.9	26.7	
निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में :											
सकल बैंक ऋण	1.0	1.6	1.7	2.2	2.5	3.6	4.4	7.2	7.5	7.4	
सकल देशी पूँजी निर्माण	0.8	1.5	1.4	2.2	2.8	4.2	4.8	8.0	9.4	..	

..: उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी : मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुरुवार को बकाया ।

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की पुस्तिका, 2006-07 ।

सारणी 6.21 : बुनियादी संरचना को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण : क्षेत्र-वार - बकाया

(राशि करोड़ रुपये)

क्षेत्र	मार्च के अंत में									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिजली	697 (22.0)	2,109 (35.5)	3,289 (45.4)	5,246 (46.2)	7,373 (49.8)	15,042 (57.2)	19,655 (52.8)	38,235 (48.4)	60,157 (53.3)	72,816 (50.9)
दूरसंचार	2,045 (64.7)	2,273 (38.3)	1,992 (27.5)	3,644 (32.1)	3,972 (26.8)	5,779 (22.0)	8,408 (22.6)	15,705 (19.9)	18,455 (16.4)	19,446 (13.6)
सड़कें और पत्तन	421 (13.3)	1,559 (26.2)	1,962 (27.1)	2,459 (21.7)	3,464 (23.4)	5,476 (20.8)	9,161 (24.6)	14,500 (18.4)	19,695 (17.5)	24,941 (17.4)
अन्य बुनियादी संरचना*	10,559 (13.4)	14,546 (12.9)	25,772 (18.0)
कुल बुनियादी संरचना	3,163	5,941	7,243	11,349	14,809	26,297	37,224	78,999	1,12,853	1,42,975

.. : उपलब्ध नहीं
* : अन्य बुनियादी संरचना में अन्यो के साथ-साथ शहरी बुनियादी संरचना को अग्रिम शामिल है ।
टिप्पणी : 1. मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को बकाया ।
2. कोष्ठक में आंकड़े कुल में से प्रतिशत हैं ।
स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की पुस्तिका, 2006-07 ।

6.101 विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) ने मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है । बुनियादी संरचना क्षेत्र को निजी क्षेत्र को लिए खोलने के बाद यह प्रत्याशा की गई कि विकास वित्त संस्थाएँ अपने परियोजना वित्त कौशल के कारण बुनियादी संरचना की

परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी । 1997 में आइडीएफसी की स्थापना से यह भी आशा की गई कि वह बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्रोत्साहित करेगी । तथापि, बैंकों के रूप में दो प्रमुख डीएफआइ के परिवर्तन तथा आइएफसीआइ और आइआइबीआइ की भूमिका में उनकी कमजोर स्थिति

सारणी 6.22 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना क्षेत्र को निवल ऋण की उपलब्धता*

(राशि करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बुनियादी संरचना	2,778	1,302	4,106	3,460	11,488	10,927	41,775	33,854	30,122
वार्षिक वृद्धि दर	..	-53.1	215.4	-15.7	232.0	-4.9	282.3	-19.0	-11.0
जिसमें से :									
बिजली	1,412 (50.8)	1,180 (90.6)	1,957 (47.7)	2,127 (61.5)	7,669 (66.8)	4,613 (42.2)	18,580 (44.5)	21,922 (64.8)	12,659 (42.0)
दूरसंचार	228 (8.2)	-281 (-21.6)	1,652 (40.2)	328 (9.5)	1,807 (15.7)	2,629 (24.1)	7,297 (17.5)	2,750 (8.1)	991 (3.3)
सड़कें और पत्तन	1,138 (41.0)	403 (31.0)	497 (12.1)	1,005 (29.0)	2,012 (17.5)	3,685 (33.7)	5,339 (12.8)	5,195 (15.3)	5,246 (17.4)
अन्य बुनियादी संरचना**	10,559 (25.3)	3,987 (11.8)	11,226 (37.3)

.. : उपलब्ध नहीं ।
* : निवल ऋण चुकौतियों को घटाकर है ।
** : अन्य बुनियादी संरचना में अन्यो के साथ-साथ शहरी बुनियादी संरचना को अग्रिम शामिल है ।
टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े कुल में से प्रतिशत हैं ।
स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की पुस्तिका, 2006-07 ।

सारणी 6.23 : बुनियादी संरचना क्षेत्र को विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) द्वारा संवितरित ऋण

(राशि करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	मार्च 2004 के अंत तक संचयी
1	2	3	4	5	6	7	8
बुनियादी संरचना	6,421	7,513	9,649	7,990	2,901	5,882	64,227
वार्षिक वृद्धि दर	-	17.0	28.4	-17.2	-63.7	102.7	
बिजली उत्पादन	3,843	5,403	5,532	4,121	1,264	2,183	41,416
	(59.8)	(71.9)	(57.3)	(51.6)	(43.6)	(37.1)	(64.5)
दूरसंचार	1,201	1,635	3,266	2,444	563	2,166	13,837
	(18.7)	(21.8)	(33.8)	(30.6)	(19.4)	(36.8)	(21.5)
सड़कें और पत्तन	1,350	450	726	385	670	655	5,946
	(21.0)	(6.0)	(7.5)	(4.8)	(23.1)	(11.1)	(9.3)
शहरी बुनियादी संरचना	28	26	126	1,039	405	879	3,027
	(0.4)	(0.3)	(1.3)	(13.0)	(13.9)	(14.9)	(4.7)

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल में से प्रतिशत हैं ।
2. सम्मिलित विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) में आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइसीआइसीआइ (2001-02 तक), आइआइबीआइ, आइडीएफसी और सिडबी शामिल हैं ।

स्रोत : भारत में विकास बैंकिंग संबंधी रिपोर्ट, विभिन्न अंक, आइडीबीआइ ।

के कारण आई तीव्र गिरावट ने बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के वित्तपोषण में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका को उल्लेखनीय रूप में कम कर दिया । विकास वित्त संस्थाओं के कुल ऋण संवितरण 2003-04 के दौरान 5,882 करोड़ रुपये के थे । डीएफआइ के मामले में भी बिजली क्षेत्र का अंश सबसे अधिक रहा (सारणी 6.23) ।

6.102 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं द्वारा बुनियादी संरचना के ऋण में उनके अग्रिमों के तौर पर बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के निधीयन की तुलना से यह विदित होता है कि 2001-02 तक विकास वित्त संस्थाएँ (डीएफआइ) बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के लिए निधियों का मुख्य स्रोत थीं । फिर भी, 2002-03 से लेकर आगे बैंक बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरे । यह अंशतः दो प्रमुख डीएफआइ

(आइसीआइसीआइ लिमिटेड और आइडीबीआइ) के बैंकों के रूप में परिवर्तन के कारण था ।

6.103 चयनित देशों में बुनियादी संरचना को बैंक ऋण का विदेशी सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि बुनियादी संरचना के वित्तपोषण में वाणिज्य बैंकों की भूमिका हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप में कम हो गई है । तथापि, भारत में बुनियादी संरचना की परियोजनाओं को वाणिज्य बैंकों के ऋण में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई (सारणी 6.24) ।

6.104 सारांश के रूप में, बुनियादी संरचना में निजी सहभागिता के बढ़ने के साथ ही, बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के वित्तपोषण में बैंकों की भूमिका उल्लेखनीय रूप में बढ़ गई है । यद्यपि बैंक बुनियादी संरचना की सभी प्रकार की परियोजनाओं का वित्तपोषण करते रहे हैं, तथापि बिजली और दूरसंचार क्षेत्रों ने बैंकों के निधीयन में सबसे बड़ा अंश प्राप्त किया है ।

सारणी 6.24 : बुनियादी संरचना क्षेत्र को वाणिज्य बैंक ऋण : चयनित देशों का सर्वेक्षण

(कुल ऋण का प्रतिशत)

देश	1991	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जर्मनी	5.3	4.0	4.2	4.0	4.1	4.1	4.2	4.1	4.1	4.4
भारत	1.7	2.2	2.5	3.6	4.4	7.2	7.5	7.4
मलेशिया	5.0	3.8	4.0	3.6	2.9	2.8	2.6	..
न्यूजीलैंड	3.9	3.8	3.7	3.2	3.3	2.9	3.3	3.4
युनाइटेड किंगडम	3.1	4.6	1.3	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4

.. : उपलब्ध नहीं ।



स्रोत : 1. संबंधित देशों की केंद्रीय बैंक वेबसाइटें ।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की पुस्तिका, 2006-07 ।

VII. खुदरा ऋण

6.105 खुदरा या घरेलू ऋण जिसमें मुख्य रूप से आवास ऋण, मीयादी जमाराशियों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम, क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक ऋण और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण शामिल हैं, अनेक देशों में बैंकों के ऋण संविभाग का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार प्रारंभ करने तक खुदरा ऋण के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ आवास ऋण की कुल राशि, व्यक्तियों को ऋणों ब्याज दर, मार्जिन की अपेक्षा और अधिकतम चुकौती अवधि के निर्धारण के संबंध में सीमाओं के रूप में बहुत सारे प्रतिबंध थे। फिर भी, 1990 के दशक में बैंकों को खुदरा ऋणों की मात्रा, ब्याज दर, मार्जिन की अपेक्षा, चुकौती अवधि और अन्य संबंधित शर्तें तय करने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर इन छूटों का वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

6.106 वैयक्तिक ऋणों ने 1990 के दशक में विद्यमान 25.2 प्रतिशत की तुलना में 1992-93 से 2006-07 तक की अवधि के दौरान 28.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की; इस अवधि में समग्र बैंक ऋण 19.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। 1992-93 से वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि 1998-99 और 2006-07 को छोड़कर सदैव समग्र ऋण की वृद्धि से अधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप, कुल बैंक ऋण में वैयक्तिक ऋणों का अंश मार्च 1993 के अंत में विद्यमान 8.3 प्रतिशत से लगातार बढ़ते हुए मार्च 2007 के अंत में 22.3 प्रतिशत हो गया (चार्ट VI.24)।

6.107 कुल बैंक ऋण में आवास ऋणों का अंश 1998-99 के 3.2 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 2006-07 में 11.8 प्रतिशत हो गया



(चार्ट VI.25)। वैयक्तिक ऋणों के अंतर्गत आवास ऋणों का अंश मार्च 1993 के अंत के 37.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 1998 के अंत में 27.7 प्रतिशत रहा, परंतु उसके बाद तेजी से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 52.8 प्रतिशत हो गया (सारणी 6.25)।

सारणी 6.25 : आवास ऋणों की वृद्धि

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	कुल बैंक ऋण	आवास ऋण	(प्रतिशत)
			कुल वैयक्तिक ऋणों में आवास ऋणों का अंश
1	2	3	4
1992-93	18.8	25.2	37.3
1993-94	8.3	6.7	35.5
1994-95	19.9	9.2	31.1
1995-96	20.7	20.9	30.1
1996-97	11.7	11.7	28.2
1997-98	16.0	21.2	27.7
1998-99	15.9	28.5	31.3
1999-00	20.3	49.7	35.9
2000-01	17.0	37.2	38.5
2001-02	21.8	29.2	39.8
2002-03	15.2	49.5	43.1
2003-04	16.4	73.9	47.7
2004-05	30.9	48.6	49.5
2005-06	31.4	43.7	51.6
2006-07	28.6	25.7	52.8

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूल सांख्यिकीय विवरणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक।

6.108 घरेलू क्षेत्र को बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि कई तत्वों के कारण थी। हाल के वर्षों में उच्च आर्थिक वृद्धि के चलते शहरी क्षेत्रों में काम के अवसरों का विस्तार हुआ और आय के स्तरों में तेजी से उन्नति हुई। विशेष रूप से युवा आयु में आय के बढ़ते हुए स्तरों ने खर्च वहन करने की क्षमता को बढ़ा दिया। इसके साथ ही, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) में आई तेजी ने ग्राहकों के लिए आवास ऋण प्राप्त करके आवास का स्वामित्व हासिल करने के लिए अवसर प्रदान किये। आवास के बाजार में तीव्र वृद्धि को सक्रिय समर्थन अन्य बातों के साथ-साथ वर्धमान व्यावसायिक केंद्रों के रूप में अनेक द्वितीय स्तर के शहरों के आविर्भाव से मिला। मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिगत अनुमानों के सुनियंत्रित होने के साथ ही, मुद्रास्फीति जोखिम प्रीमियम कम हुआ जिसके परिणामस्वरूप दोनों सांकेतिक और वास्तविक ब्याज दरों में गिरावट आई। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) और आइटी से संबंधित कार्यकलापों में वृद्धि का आवास के लिए माँग पर सकारात्मक प्रभाव रहा। इसके अलावा, वेतन अर्जकों के लिए प्रदत्त कर प्रोत्साहनों ने प्रभावी ब्याज दर को नीचे लाते हुए आवास ऋणों को अधिक आकर्षक बनाया। इन सभी कारकों ने आवास ऋणों के लिए माँग की वृद्धि में अंशदान किया। खुदरा बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि बदलती हुई उपभोक्ता जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक्स) द्वारा भी सुसाध्य हुई जो दोनों मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से उपभोग में वृद्धि की विपुल संभावना को सूचित करती है। भारत युवा आबादी (35 वर्ष से कम आयु की) के अधिकतम अनुपात (70 प्रतिशत) वाले देशों में से एक है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट और फोन-बैंकिंग, कहीं भी और कभी भी (एनीव्हेयर एण्ड एनीटाइम) बैंकिंग के रूप में सुविधापरक बैंकिंग ने अनेक नये ग्राहकों को बैंकिंग के दायरे में आकर्षित किया। एटीएम जैसे प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेषों ने भी भारत में खुदरा बैंकिंग की वृद्धि में अंशदान किया।


6.109 क्रेडिट कार्डों ने विभिन्न व्यापारी प्रतिष्ठानों में विक्रय स्थलों (पीओएस) के माध्यम से लेनदेन के प्रयोग के माध्यम के रूप में बड़े पैमाने पर स्वीकृति प्राप्त की है। इसने देश के प्रमुख नगरों में, विशेष रूप से चार महानगरों में जहाँ बड़ी मात्रा में लेनदेन होते हैं, प्रयोग के तौर पर अधिक स्वीकृति पायी है। कुल ऋणों और अग्रिमों एवं कुल खुदरा ऋण में क्रेडिट कार्ड की प्राप्य राशियों का अंश मार्च 2004 के अंत में स्थित क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 की समाप्ति पर क्रमशः 1.0 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत हो गया। क्रेडिट कार्ड के लेनदेनों में वृद्धि सूचना प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, विकासशील समष्टि-आर्थिक परिवेश और अनेक व्यष्टि-स्तरीय माँग और पूर्ति संबंधी तत्वों के कारण है। प्रौद्योगिकी ने उधारकर्ताओं के लिए बाह्य वित्त की लागत में उल्लेखनीय कमी को संभव बनाया, जबकि बैंक उत्पाद नवोन्मेषों एवं वसूली, प्रसंस्करण और सूचना के प्रयोग से संबद्ध लेनदेन की निम्नतर लागत से लाभान्वित हुए हैं। प्रौद्योगिकी ने बैंकों को जोखिम प्रबंध और उत्पादों के कीमत-निर्धारण के लिए बेहतर तकनीकें प्रदान की हैं।

6.110 आपूर्ति की ओर, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा ऋण के लिए माँग में विशेष रूप से 1996-97 और 2001-02 के बीच मंदी आई जिसके

परिणामस्वरूप बैंकों ने उधार देने के वैकल्पिक मार्गों के लिए तलाश करना शुरू किया। बैंकों ने अपने ऋण संविभाग के विविधीकरण की दृष्टि से भी खुदरा ऋणों को देखा, विशेष रूप से इसलिए कि सुधारों की प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले कंपनी क्षेत्र को उधार के कारण बैंकों के तुलन-पत्र गंभीर रूप से क्षत हुए थे। इसके अलावा, बैंकों की राजकोषीय आय, जिसने 2002-03 और 2004-05 के बीच उनकी लाभप्रदता को मजबूत करने में सहायता की, हाल के वर्षों में कम हो गई। खुदरा और वैयक्तिक ऋणों के मामले में औसत आकार बहुत छोटा है तथा ऋण बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं को व्यापक तौर पर वितरित किये गये हैं। तदनुसार खुदरा ऋणों के साथ संबद्ध औसत जोखिम भी काफी कम है। बंधक ऋणों के मामले में खास तौर से आवास और ऑटो ऋणों के लिए पर्याप्त समर्थक (कॉलेटरल) संरचना है। स्टॉक एवं संयंत्र और उपकरणों की अपेक्षा आवास ऋणों के यथार्थपरक विक्रय-मूल्य का निर्धारण करना भी ज्यादा आसान है। साथ ही, खुदरा ऋणों पर जोखिम समायोजित प्रतिफल सामान्यतः कंपनी ऋणों से उल्लेखनीय रूप में अधिक है। अतः बैंकों ने अपने खुदरा ऋण संविभाग का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। उपर्युक्त के अलावा, बैंकों के पास सुविधाजनक चलनिधि की स्थिति, जिसने आसान ऋण स्थितियों का निर्माण किया, ने उन्हें नये ग्राहकों की ओर अभिमुख होने के लिए प्रोत्साहित किया।

6.111 खुदरा ऋण में उच्च वृद्धि का परिदृश्य सभी बैंक समूहों में देखा गया। फिर भी, चूँकि विदेशी बैंकों की बैंक शाखाएँ सीमित हैं और अधिकांशतः शहरों और महानगरों में स्थित हैं, अतः वे विशेष रूप से शहरी वेतनभोगी वर्ग के उधारकर्ताओं के बीच वैयक्तिक ऋणों के संवर्धन में अधिक आक्रामक रहें। तदनुसार कुल ऋण में वैयक्तिक ऋणों का अंश मार्च 2000 की समाप्ति पर विदेशी बैंकों के मामले में सबसे अधिक था। फिर भी, हाल के वर्षों में भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक भी खुदरा ऋण खंड को बढ़ावा देने में अधिक आक्रामक बने। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2007 के अंत में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण में वैयक्तिक ऋणों का अंश सभी बैंक समूहों के बीच सबसे अधिक रहा (चार्ट VI.26)।

6.112 हाल के वर्षों में केंद्रीय यूरोप, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी खुदरा ऋण में तीव्र वृद्धि देखी। उल्लेखनीय रूप में कोरिया, मलेशिया, चीन और इंडोनेशिया जैसे अन्य एशियाई देशों में भी इसी प्रकार की बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई। विदेशी अनुभवों से यह विदित हुआ कि घरेलू ऋण में तेजी से वृद्धि दोनों माँग और आपूर्ति संबंधी तत्वों के कारण थी। इसके साथ ही, इनमें से अधिकांश देशों में उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन तथा आवास और उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए बैंक उधार को प्रतिबंधित करनेवाले विनियामक उपायों में छूट ने भी इस प्रवृत्ति के प्रति अनुकूल रूप में अंशदान किया। इन गतिविधियों के साथ अंतर्निहित माँग ने मूर्त रूप धारण किया (बैचेटा और गेरलैच, 1997)। कई देशों में प्राधिकारियों ने आवासीय निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं अनेक प्रोत्साहक उपाय किये जिन्होंने घरेलू माँग का पुनरुत्थान



करने के लिए कार्यनीति के भाग के रूप में उधार-प्रेरित घरेलू उपभोग को आकर्षित किया। आपूर्ति संबंधी कारकों के विषय में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कई नवोन्मेष उत्पाद/उपाय और साधन लागू किये गये जो घर-परिवारों हेतु पर्याप्त लचीलेपन और सुविधा के साथ अधिकांश उपभोक्ताओं के

लिए उपयुक्त रहे जिन्होंने संवर्धित बैंक ऋण प्रवाहों को आकर्षित किया। उदाहरण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न ब्याज दर वाले बंधकों एवं लचीले भुगतान के विकल्पों से युक्त क्रेडिट कार्ड ने भारत सहित अधिकांश देशों में उपभोक्ता अथवा खुदरा ऋण में तेजी का संवर्धन करने में वास्तव में सहायता प्रदान की। निम्नतर और स्थिर मुद्रास्फीति के साथ ब्याज दरों में सामान्य गिरावट ने भी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में क्रय-शक्ति को बढ़ा दिया। उपर्युक्त कारकों की वजह से कई देशों में घरेलू क्षेत्रों में ऋण की वृद्धि के लिए एक असाधारण मजबूत माँग थी (मोहंती और अन्य, 2006)(सारणी 6.26)।

6.113 खुदरा ऋण अमरीका के बैंकिंग उद्योग में भी कार्यनीति के तौर पर बल दिया जानेवाला एक मुख्य क्षेत्र बन गया। बैंक स्तर पर अमरीका में किये गये एक अध्ययन में यह बताया गया है कि खुदरा बैंकिंग का प्रधान आकर्षण यह विश्वास है कि इसका राजस्व स्थिर है और इस प्रकार खुदरा से इतर व्यवसायों में अस्थिरता को वह प्रतिसंतुलित कर सकता है। बैंकिंग उद्योग के कुछ विश्लेषकों ने यह तर्क दिया कि खुदरा बैंकिंग ने कम जोखिम के साथ अधिक प्रतिलाभ दिये हैं। साहित्य यह संकेत करता है कि जैसे ही बैंक खुदरा बैंकिंग कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे ही दोनों जोखिम और प्रतिलाभ कम हो जाते हैं जोकि उस पारंपरिक वित्त सिद्धांत के अनुरूप है जो यह विचार करते समय कि व्यावसायिक कार्यनीति में व्यापक परिवर्तनों द्वारा जोखिम और

सारणी 6.26 : बैंक ऋण की संरचना : विभिन्न देशों के बीच तुलना@

(प्रतिशत)

देश	आवास ऋण			उपभोक्ता ऋण			व्यावसायिक ऋण		
	1994	1999	2004	1994	1999	2004	1994	1999	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लातीन अमरीका									
अर्जेन्टीना	..	18	7	..	15	7	..	38	17
चिली	13	17	21	8	9	12	79	74	67
कोलंबिया	..	7	11	..	15	14	..	56	39
मेक्सिको	17	16	9	7	4	13	62	36	28
वेनेजुला	..	4	1	..	18	7	44	55	47
एशिया									
हांगकांग एसएआर	7	15	15	2	3	3	86	76	73
भारत	3	3	10	9	10	20	48	49	38
इंडोनेशिया	..	5	6	..	7	18	..	60	37
इजराइल	8	15	10	9
कोरिया	..	9	33	..	18	17	..	69	47
मलेशिया	10	18	28	..	8	16	..	64	45
थाईलैंड	9	7	10	4	3	6	64	71	68
तुर्की	2	2	3	6	76	58	39
सिंगापुर	14	20	26	13	12	15	60	51	39
केंद्रीय यूरोप									
चेक गणराज्य*	..	10	16	..	4	5	..	41	37
हंगरी	..	3	17	..	6	8	..	62	46
पोलैंड	..	2	10	..	21	23	..	44	35

.. : उपलब्ध नहीं।

@ : वाणिज्य बैंकों के कुल देशी ऋण में अंशों को दर्शाता है।

* : स्तंभ 3, 6 और 9 में दिये गये आंकड़े 2002 से संबंधित हैं।

स्रोत : एम.एस.मोहंती और अन्य (2006) से गृहीत। भारत के लिए आंकड़े मूल सांख्यिकीय विवरणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये हैं।

प्रतिलाभ कैसे प्रभावित होते हैं, एक अपेक्षाकृत दीर्घावधि के परिप्रेक्ष्य को ग्रहण करने के महत्व को रेखांकित करता है (क्लार्क और अन्य, 2007)। अमरीका में कई बड़ी बैंक होल्डिंग कंपनियों में 50 से 75 प्रतिशत तक का राजस्व खुदरा बैंकिंग के कारण है। उससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि संगठनात्मक तौर पर अमरीका में कई बड़ी बैंकिंग कंपनियों के पास उनके अपने प्रबंध और वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के साथ केवल खुदरा बैंकिंग की इकाइयाँ हैं।

6.114 अमरीका में कई बड़े बैंकिंग संगठनों के लिए खुदरा बैंकिंग राजस्व और लाभ का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बड़े बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों और सार्वजनिक वित्तीय विवरणों के नमूने से प्राप्त आंकड़े यह संकेत करते हैं कि इनमें से अधिकांश संस्थाओं में निवल परिचालन राजस्व (निवल ब्याज आय में ब्याजेतर आय को जोड़कर) के 50 और 75 प्रतिशत के बीच खुदरा बैंकिंग कार्यकलापों से प्राप्त किया जाता है। बैंकिंग उद्योग के विश्लेषक और स्वयं बैंक एकमत से खुदरा बैंकिंग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण और आधुनिक हित के लिए एक मुख्य प्रेरक के रूप में राजस्व और लाभ की स्थिरता की ओर निर्दिष्ट करते हैं। बड़ी संख्या में छोटे, प्रायः अधिकतर संपार्श्विकीकृत ऋणों से युक्त खुदरा उधार संविभाग का अर्थ यह है कि ग्राहकों के बीच विविधीकरण के कारण समय के चलते उधार से प्राप्त होनेवाली आय कम अस्थिर हो सकती है। क्लार्क और अन्य 2007 ने यह टिप्पणी की कि ‘... यह प्रतीत होता है कि उद्योग के पर्यवेक्षकों के बीच सैद्धांतिक साक्ष्य द्वारा समर्थित मतैक्य है कि

खुदरा कार्यकलाप अन्य बैंकिंग गतिविधियों की तुलना में अधिक स्थिर होने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं...’। तथापि एक धारणा इसके विपरीत भी रही है। हर्टल और स्टिरोह (2007) ने टिप्पणी की कि जबकि खुदरा बैंकिंग अपेक्षाकृत एक स्थिर गतिविधि हो सकती है, वह अपेक्षाकृत कम प्रतिलाभ देनेवाला भी है। खुदरा ऋणों के कारण बैंकिंग प्रणाली को कुछ जोखिमों का सामना भी करना पड़ता है (बॉक्स VI.15)।

6.115 सारांश के रूप में बैंक ऋण के स्वरूप में एक उल्लेखनीय और पहचानने योग्य परिवर्तन खुदरा या घरेलू ऋण के अंश में तीव्र वृद्धि थी जिसमें मुख्य रूप से आवास ऋण, मीयादी जमाराशियों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम, क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण और संबंधित मदें शामिल हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप बैंकों को खुदरा ऋणों के संबंध में मात्रा, ब्याज दर, मार्जिन की अपेक्षा, चुकौती अवधि और अन्य संबंधित शर्तें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई थी। समग्र खुदरा ऋण की वृद्धि के पीछे ये छूटें एक प्रेरक शक्ति थीं। दोनों माँग और पूर्ति संबंधी कारकों ने आवास को ऋण में तीव्र वृद्धि में अंशदान किया जो खुदरा बैंक ऋण का मुख्य आधार बन चुका है। माँग की ओर, दोनों समष्टि और व्यष्टि स्तरीय कारकों, विशेष रूप से जीडीपी में तीव्र वृद्धि ने ऋण के लिए बड़ी हुई माँग में अंशदान किया। मध्यवर्गीय जनता के आकार में वृद्धि के साथ ही, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए माँग भी बढ़ी जिससे बैंक वित्तीयन के लिए नई माँग

बॉक्स VI.15 खुदरा उधार की जोखिमें

उपभोक्ता क्षेत्र का आघात खुदरा फ्रैन्चाइज को दोनों आस्ति और देयता की ओर हानि पहुँचा सकता है। बैंकिंग प्रणाली स्वयं इस प्रकार उपभोक्ता क्षेत्र में एक समष्टि-आर्थिक गिरावट के सामने अधिक (एक्सपोज्ड) हो सकती है, और संभवतः इसके निहितार्थ अर्थव्यवस्था-व्यापी होंगे। उदाहरण के लिए बेर्नार्नके (1983) यह चेतावनी देते हैं कि बैंक सूचनात्मक तौर पर अपारदर्शी छोटे व्यवसायों, जिनमें खुदरा बैंकिंग भी शामिल है, को ऋण उपलब्ध कराने की अपनी क्षमता के चलते अर्थव्यवस्था में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। तथापि, उपभोक्ता क्षेत्र में गिरावट की स्थिति में यह क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है जो क्रमशः एक मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया की सीमा को प्रभावित कर सकता है।

जहाँ तक उपभोक्ता क्षेत्र का संबंध है, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह क्षेत्र अपने आप में कई समष्टि-आर्थिक कारकों के प्रति अतिसंवेदनशील है, जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) की कीमतों में वृद्धि, रोजगार में कमी जिससे उपभोक्ता क्षेत्र की व्यय-शक्ति घट जाती है, मुद्रास्फीति में सामान्य वृद्धि आदि। यही एक ऐसा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था में किसी भी अन्य क्षेत्र से अधिक प्रभावित हो जाता है। अतः इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर एक्सपोजर के प्रणालीगत निहितार्थ हैं।

एक अति तीव्र संपत्ति बाजार जोखिम का एक और स्रोत हो सकता है। उदाहरण के लिए आवास ऋणों की दोनों माँग और पूर्ति अति-आशावादी अनुमानों और संपत्ति की कीमतों, आवास की संपार्श्विक जमानत के उदार मूल्यांकन और

मूल्य की तुलना में ऋण के उच्च अनुपातों, संपत्ति की कीमतों में गिरावट के प्रति एक्सपोजर होनेवाले घर-परिवारों और बैंकों द्वारा कायम रखी जा सकती हैं।

एक और संभाव्य असुरक्षिता घर-परिवारों को उधार देते समय बैंकों द्वारा जोखिमों के संभावित कम आकलन से उत्पन्न हो सकती है। हाल में कई देशों में यह देखा गया कि अत्यधिक चलनिधि, खुदरा ऋण बाजारों में प्रतियोगिता और मजबूत आय वृद्धि प्रचक्रिय उधार व्यवहार को प्रेरित कर सकती हैं जिसके द्वारा बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए या तो अत्यधिक मात्रा में कम ब्याज दरें लगाकर या समर्थक जमानत (कॉलेटरल) की अपेक्षाएँ कम करके उधार के मानकों को आसान कर देते हैं (मोहंती और अन्य 2006)। ऐसी कम ब्याज दरें सभी संभव जोखिमों की सही तौर पर क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती हैं।

कुछ देशों में प्रणालीगत रूप में बहुत बड़े बैंक बड़े पैमाने पर खुदरा बैंकिंग में लिप्त हैं। यह संभव है कि गिरावट की स्थिति में अंततः यह समग्र रूप में प्रणाली को प्रभावित कर सकता है जिससे ऐसी गिरावटों के प्रति प्रणाली को असुरक्षित स्थिति में रहना पड़ सकता है।

संदर्भ :

मोहंती, एम. एस., गेट स्कनैबल और पाब्लो गार्सिया-लूना, 2006। “बैंक्स एण्ड एग्रिगेट क्रेडिट : व्हाट इज न्यू?” *बीआइएस पेपर्स सं. 28*।

निर्मित हुई। आपूर्ति की ओर, अनुभव किये गये उच्चतर प्रतिलाभों, कम और विविधीकृत जोखिम (लेनदेनों के छोटे आकार के कारण) और प्रायः संपार्श्विकीकृत उधार ऐसे कुछ मुख्य तत्व थे जिन्होंने समूचे बैंकिंग स्पेक्ट्रम में घरेलू क्षेत्र के लिए ऋण की वृद्धि को प्रेरित किया। भारतीय संदर्भ में हाल के वर्षों में खुदरा उधार बैंकों के लिए एक मुख्य लाभ-प्रेरक के रूप में उभरा है। निजी क्षेत्र के नये बैंकों के प्रवेश से भी खुदरा ऋणों को लाभ हुआ जिन्होंने अपने संविभागों में खुदरा ऋण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। प्रसंगवश, कई अन्य देशों में भी, विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों के ऋण संविभाग में तेजी से वृद्धि हुई।

VIII. बैंकों के निवेश कार्य

6.116 वाणिज्य बैंकों के निवेश तीन प्रकार के हैं, अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियाँ। इन तीनों को मोटे तौर पर एसएलआर निवेशों (सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) और गैर-एसएलआर निवेशों (जिनमें कंपनी क्षेत्र द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक पत्र, शेयर, बांड और डिबेंचर शामिल हैं) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत का निवेश सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में करें।

6.117 वित्तीय क्षेत्र सुधारों से पहले, बैंकों के परिचालनगत लचीलेपन को संकुचित करनेवाला और बैंकों की आय अर्जन क्षमता को मंद करनेवाला एक प्रमुख तत्व न्यूनतम सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रूप में निर्देशित निवेश का तंत्र था जिसे 22 सितंबर 1990 तक 38.5 प्रतिशत के उच्च स्तर तक बढ़ाया गया था। फिर भी, एसएलआर को क्रमशः 25 अक्टूबर 1997 तक कम करके 25 प्रतिशत के तत्कालीन सांविधिक न्यूनतम स्तर तक ला दिया गया था। इसने बैंकों को अपने निवेश संविभाग का चयन करने के लिए अधिकाधिक लचीलापन उपलब्ध कराया।

6.118 एक लंबे समय तक भारत में वाणिज्य बैंकों को मिश्रित पूँजी कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश करने से निरुत्साहित किया गया था। तथापि, इस संबंध में नीति को 1985 से उदार बनाया गया था। पात्र निवेशों की सीमा को बढ़ाया गया था ताकि उसमें वाणिज्यिक पत्रों (सीपी), म्युच्युअल फंडों की यूनिटों, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (पीसीयू) के शेयरों और डिबेंचरों को सम्मिलित किया जा सके जो सबके सब गैर-एसएलआर निवेशों के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार, पूँजी बाजार में निवेशों संबंधी सीमा को भी समय-समय पर संशोधित किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक्सपोजरों के अंतर्गत सभी रूपों में पूँजी बाजार में बैंकों का कुल एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) 15 दिसंबर 2006 को जारी और 1


अप्रैल 2007 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार निवल मालियत (नेट वर्थ) के 40 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया।



बैंकों के निवेश कार्यों की प्रवृत्तियाँ

6.119 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निवेश 1970 के दशक में 22.3 प्रतिशत, 1980 के दशक में 19.9 प्रतिशत और 1990 के दशक में 17.0 प्रतिशत बढ़े। तथापि, निवेश 2000-07 की अवधि के दौरान मंद होकर 14.8 प्रतिशत रह गए (चार्ट VI.27)।

6.120 सांविधिक चलनिधि अनुपात को चरणबद्ध रूप में फरवरी 1992 के 38.5 प्रतिशत से घटाकर अक्टूबर 1997 में 25 प्रतिशत कर दिया गया। फिर भी, बैंकों ने अपने जोखिम निवारक व्यवहार और औद्योगिक क्षेत्र की मंदी के कारण सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना जारी रखा (चार्ट VI.28)।

6.121 प्रसंगवश, ऋण के प्रति कम माँग की अवधि उस अवधि के साथ मेल खाती है जब बैंक अपनी पूँजी के स्तरों को बढ़ाने और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को कम करने के लिए प्रयास कर रहे थे। पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के कार्यान्वयन, जिसके अनुसार बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे 31 मार्च 1996 से पूँजी के रूप में अपनी जोखिम-भारित अस्तियों का 8 प्रतिशत बनाये रखें, तथा अपने एनपीए स्तरों को नीचे लाने के लिए बैंकों पर दबाव ने बैंकों को जोखिम के प्रति कुछ विमुख बनाया। यह वह समय भी था जब उद्योगों के कुछ खंडों, जैसे मूलभूत धातु और मिश्र धातु उद्योग, रसायन, सीमेंट, लोहा और इस्पात, और वस्त्रों ने विफलता का सामना किया जिससे बड़े पैमाने पर एनपीए बन गए। इस स्थिति के होते हुए सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों






में निवेश, जिन पर शून्य-जोखिम भार लागू हुए, बैंकों द्वारा निवेशों का वरीयता-प्राप्त रूप बन गए। यह भी संभव है कि एक विकासशील ऋण बाजार की उपस्थिति में गिरती हुई ब्याज दर के परिदृश्य में यह एक युक्तिसंगत, लाभ को अधिकतम करनेवाली कार्यनीति थी (मोहन, 2004)। यह गतिविधि इस सहजानुभूत तर्क के अनुसार थी कि जोखिम-आधारित पूँजी की अपेक्षा में वृद्धि, बैंक को ऋणों से प्रतिभूतियों में निवेश में अंतरण के लिए प्रेरित कर सकती है। जब भी विनियामक आरक्षित निधि की अपेक्षा में वृद्धि हुई तब अन्य देशों में भी इसी प्रकार का बैंक व्यवहार पाया गया। बैंक व्यवहार के संबंध में ठाकोर (1996) एवं पैसमोर और शैर्प (1994) द्वारा किये गये अनुभवमूलक शोध से भी ऐसे ही निष्कर्ष निकले।

6.122 कुल जमाराशियों की वृद्धि 2003-04 के 16.4 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 15.4 प्रतिशत रह गई क्योंकि बैंकों ने अन्य बचत लिखतों से बढ़ी हुई प्रतियोगिता का सामना किया। फिर भी, ऋण की माँग पहले घरेलू क्षेत्र से और उसके बाद अन्य क्षेत्रों से तेजी से बढ़ी। इन कारकों के समुच्चय ने बैंकों के निवेश संविभाग में उल्लेखनीय समायोजन को प्रेरित किया। बैंकों ने 2004-05 में सरकारी प्रतिभूतियों में नये निवेशों को सीमित करते हुए तथा उसके बाद 2005-06 में सरकारी प्रतिभूतियों का परिसमापन करते हुए बढ़ी हुई ऋण की माँग पूरी करने का प्रयास किया। सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश में पुनः वर्ष 2006-07 में बढ़ोतरी हुई (चार्ट VI.29 और चार्ट VI.30)।

6.123 गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेशों में वृद्धि में 1997-98 और 2001-02 के बीच कमी आई, परंतु उसके बाद उसका एक अनियमित स्वरूप देखा गया जो मुख्य रूप

से बैंकों के ऋणों और अग्रिमों एवं एसएलआर निवेशों के मुख्य संविभाग की प्रतिक्रिया में समायोजन के कारण था। 2006-07 के दौरान कारपोरेट क्षेत्र द्वारा जारी की गई गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों (अर्थात् बांड/डिबेंचर/शेयर और वाणिज्यिक पत्र) में बैंकों के निवेशों में पिछले वर्ष के 15.2 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो जमाराशियों में तीव्र वृद्धि और ऋण में मंदी को सूचित करता है। जबकि बांडों/डिबेंचरों में निवेश तेजी से घटे, वहीं शेयरों और वाणिज्यिक पत्र में निवेश बढ़ गए।



6.124 बैंकों की कुल आस्तियों में गैर-एसएलआर निवेशों का अंश 1998 के 5.4 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2001 में 7.6 प्रतिशत हो गया, परंतु उसके बाद मार्च 2007 के अंत तक वह कम होकर 2.9 प्रतिशत रह गया (सारणी 6.27)।

6.125 लिखतों के तौर पर बांड/डिबेंचर गैर-एसएलआर निवेशों का सबसे बड़ा घटक रहे, यद्यपि कुल गैर-एसएलआर निवेशों में उनका अंश 1998 के 85.4 प्रतिशत की तुलना में घटकर मार्च 2007 के अंत में 67 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर इक्विटियों का अंश विशेष रूप से 2004-05 से लगातार बढ़ा। कुल गैर-एसएलआर निवेशों में वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) का अंश वर्षों से घटता-बढ़ता रहा।

6.126 बैंक-समूहवार निवेश-जमा अनुपात के विश्लेषण से कुछ दिलचस्प विशेषताओं का पता चलता है। 1992 से 2007 तक अधिकांश वर्षों में सभी बैंक-समूहों के बीच विदेशी बैंकों का जमाराशियों की तुलना में निवेशों का (आइडी) अनुपात सबसे अधिक था (चार्ट VI.31)।


6.127 पारंपरिक रूप से अग्रिमों पर अर्जित ब्याज के रूप में नापा गया अग्रिमों पर प्रतिलाभ निवेशों पर प्रतिलाभ की तुलना में अधिक था। फिर भी, दोनों के बीच का अंतर 1990 के दशक के प्रारंभ में क्षीण होने लगा, जब सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों को मुक्त किया गया। निवेशों पर प्रतिलाभ की दर अब अग्रिमों पर प्रतिलाभ की दर से भिन्न हो गई है (चार्ट VI.32)।

सारणी 6.27 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश


मार्च के अंत में	कुल गैर-एसएलआर निवेशों में अंश (प्रतिशत)			कुल गैर-एसएलआर निवेश		बैंकों की कुल आस्तियों में अंश (प्रतिशत)
	वाणि-ज्यिक पत्र	शेयर	बांड/डिबेंचर	राशि (करोड़ रुपये)	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7
1998	7.5	7.1	85.4	32,461	74.8	5.4
1999	8.3	8.1	83.7	48,376	49.0	6.9
2000	8.2	7.8	84.0	61,408	26.9	7.3
2001	10.6	7.5	81.9	75,844	22.9	7.6
2002	10.5	7.3	82.2	80,999	6.8	7.1
2003	4.3	9.7	86.0	92,854	14.6	6.6
2004	4.2	9.7	86.0	88,985	-4.2	5.4
2005	4.2	12.7	83.1	93,664	5.3	4.7
2006	6.1	16.1	77.9	79,464	-15.2	3.4
2007	11.0	22.0	67.0	83,466	5.0	2.9

टिप्पणी : आंकड़े वित्तीय वर्ष के अंतिम रिपोर्टिंग शुरुवार पर आधारित हैं। आंकड़ों में वित्तीय संस्थाओं और म्यूचुअल फंडों निधियों की लिखतों में बैंकों के निवेश शामिल नहीं हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।



6.128 भारत में बैंकों ने एसएलआर के निर्धारण के कारण निवेशों के एक उल्लेखनीय अंश को ऐतिहासिक रूप से बनाये रखा है। उनके गैर-एसएलआर निवेश उनकी कुल आस्तियों का एक छोटा प्रतिशत (मार्च 2007 के अंत में 2.9 प्रतिशत) रहे हैं। तथापि, यह पाया गया है कि अन्य देशों में भी बैंक अपनी आस्तियों के काफी बड़े अंश को निवेशों के रूप में बनाये रखते हैं। इटली, मेक्सिको, चिली, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और रूसी महासंघ की तुलना में भारत में निवेशों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक रहा है, परंतु कई अन्य देशों की तुलना में यह कम है (सारणी 6.28)।



सारणी 6.28 : कुल आस्तियों में निवेश का अंश : चयनित देश

(प्रतिशत)

देश	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ							
कनाडा	31.8	30.6	32.9	33.2	34.6	36.9	36.4
फ्रांस	17.1	16.7	22.1	24.4	47.7	48.5	47.3
जर्मनी	31.1	33.1	36.7	39.5	40.7	41.9	39.3
इटली	12.1	9.6	8.8	10.5	18.6	24.1	22.0
जापान	26.7	25.8	28.9	32.1	33.7	33.5	33.3
युनाइटेड किंगडम	38.3	36.2	29.6	45.3	28.6	31.9	31.5
अमरीका	25.5	28.4	30.5	31.0	30.7	29.1	29.2
उभरती अर्थव्यवस्थाएँ							
ब्राजील	40.1	40.2	37.2	35.6	35.9	34.8	36.0
चीन	13.2	15.8	21.1	22.7	25.2	30.6	31.2
चिली	19.9	21.4	23.0	21.7	19.9	18.0	14.7
भारत	38.6	39.0	41.4	41.1	37.3	31.3	27.6
इंडोनेशिया	57.0	48.8	45.0	37.6	30.6	27.3	24.3
मलेशिया	17.5	17.7	17.5	17.8	17.9	17.5	18.8
मेक्सिको	13.8	18.5	16.7	21.7	23.5	22.3	20.7
फिलिपीन्स	13.9	24.1	10.9	10.5	36.4	35.4	32.2
रूसी महासंघ	14.5	13.4	18.9	19.2	16.8	15.8	13.4
दक्षिण कोरिया	26.5	26.0	21.4	19.5	19.7	20.4	18.6
थाईलैंड	19.7	23.2	25.8	26.3	19.8	16.6	15.2

स्रोत : बैंकस्कोप । भारत के लिए आंकड़े भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ, विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये हैं।

6.129 सारांश के रूप में, 1990 के दशक के मध्य से बैंकों के लिए उनके निवेश संविभाग में अधिकाधिक लचीलापन प्रदान किया गया है। बैंकों ने इस लचीलेपन का उपयोग प्रतिलाभों को अधिकतम बनाने के लिए किया है। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना उस समय भी जारी रखा जब 1990 के दशक के मध्य में एसएलआर को उल्लेखनीय रूप में नीचे लाया गया। यह मुख्य रूप से इसलिए था कि ऋण की माँग मंद हो गई थी और बैंकों ने भी सरकारी प्रतिभूतियों पर जोखिम-समायोजित प्रतिलाभ को अधिक आकर्षक पाया था। तथापि, बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों के अधिक स्टॉक की तब बिक्री (ऑफलोड) कर दी जब ब्याज दरें नरम हुईं (और प्रक्रिया में बड़े व्यापारिक लाभ अर्जित किये) तथा ऋण की माँग में वृद्धि हुई। बैंकों की एसएलआर संविभाग की अपेक्षा और ऋण की माँग की प्रतिक्रिया में बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर निवेशों का तेजी से समायोजन किया गया। बैंकों द्वारा धारित निवेशों पर प्रतिलाभ अब उनके ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिलाभों के साथ समरूप हो गये।

6.130 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के उधार और निवेश कार्यों के समग्र विश्लेषण से विदित होता है कि 1990 के दशक के प्रारंभ से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण के तीन सुस्पष्ट चरण देखे गये हैं। पहले चरण (1990-91 से 1995-96) में बैंक ऋण की वृद्धि ने अनियमित व्यवहार दर्शाया। दूसरे चरण (1996-97 से 2001-02) में बैंक ऋण की वृद्धि में तेजी से गिरावट हुई और वह दायरा-बद्ध रह गई। तीसरे चरण

(2002-03 से 2006-07) में ऋण की वृद्धि उच्च रही है। बैंकों के ऋण संविभाग ने मुख्य रूप से वास्तविक अर्थव्यवस्था में गतिविधियों तथा उनकी अपनी स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाई। बैंक ऋण की वृद्धि में 1996-97 से 2001-02 तक कमी रही जब औद्योगिक क्षेत्र में मंदी आई और बैंकों की स्थिति कमजोर हो गई थी। तथापि, ऋण की वृद्धि ने 2002-03 से आगे गति पकड़ी जब ऋण की माँग बढ़ गई और बैंकों की स्थिति में सुधार आया। भारत में जीडीपी की तुलना में ऋण के अनुपात में भी वर्तमान दशक में उल्लेखनीय रूप में वृद्धि हुई। फिर भी, भारत में जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उल्लेखनीय रूप में कम था जैसा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए प्रत्याशित है।

6.131 बैंक ऋण 2002 से आगे एक प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन से गुजरा। कृषि को ऋण में वृद्धि ने 2003-04 से आगे उल्लेखनीय रूप में गति पकड़ी। यद्यपि कुल बैंक ऋण में कृषि ऋण के अंश में वर्षों से कमी रही है, तथापि यह आवश्यक है कि इसे जीडीपी में कृषि के अंश में गिरावट के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऋण-प्रधानता (क्षेत्रीय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण) उल्लेखनीय रूप में बढ़ी। वास्तव में, 2006-07 में कृषि की ऋण प्रधानता अब तक के सर्वोच्च स्तर पर थी। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने से यह संकेत मिलता है कि भारत में स्थित बैंकों के मामले में कुल बैंक ऋण में कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण का अंश अन्य

देशों की तुलना में अधिक था। हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र को वाणिज्य बैंकों के ऋण की प्रधानता जर्मनी, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे कुछ देशों से अधिक थी, परंतु यूके, आस्ट्रेलिया और अमरीका से कम।

6.132 उद्योग को बैंक ऋण में 2000-01 और 2005-06 के बीच तेजी रही। भारतीय कंपनियों के वित्तीयन के स्वरूप ने भी कंपनियों की निधियों के कुल स्रोतों में बैंक उधारों के अंश में तीव्र वृद्धि का संकेत किया है। परिणामस्वरूप, उद्योग के ऋण की प्रधानता 2001-02 के बाद उल्लेखनीय रूप में बढ़ गई। फिर भी, इस वृद्धि का एक अंश बुनियादी संरचना क्षेत्र को बैंकों के एक्सपोजरों और कंपनियों के लिए परियोजना ऋणों में तीव्र वृद्धि के कारण था जैसा कि कुल ऋण में मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के अंश में वृद्धि में प्रतिबिंबित हुआ है। यद्यपि कुल ऋण में उद्योग को बैंक ऋण के अंश में वर्षों से कमी रही है, तथापि भारत में बैंकिंग क्षेत्र पर उद्योग की निर्भरता आस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूके, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और अमरीका जैसे कई अन्य देशों की तुलना में उल्लेखनीय रूप में अधिक थी। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के ऋण की प्रधानता भी कई अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक थी। फिर भी, बुनियादी संरचना क्षेत्र के लिए संवर्धित एक्सपोजर को इसके लिए पूर्णतः कारण नहीं माना जा सकता। यह इसलिए क्योंकि यद्यपि भारत में कुल बैंक ऋण में बुनियादी संरचना क्षेत्र को ऋण का अंश अन्य देशों की तुलना में अधिक था, तथापि अंतर इतना ज्यादा नहीं था कि कुल बैंक ऋण में उद्योग के उच्चतर अंश को स्पष्ट किया जा सके। उद्योग के ऋण की उच्च प्रधानता कुछ आश्चर्यजनक थी, इस बात के होते हुए कि उद्योग को कुल ऋण में लघु उद्योग क्षेत्र का अंश वर्षों से बराबर कम रहा। यह स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि भारत में बड़ी कंपनियों ने बैंकिंग क्षेत्र पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है और यह कई अन्य देशों में विद्यमान प्रवृत्ति के विपरीत है। लघु उद्योगों के वित्तीयन के स्वरूप के संबंध में चयनित देशों के सर्वेक्षण से भी यह विदित हुआ कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र पर लघु उद्योग क्षेत्र की निर्भरता अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, और अमरीका जैसे अनेक अन्य देशों से काफी कम है। बैंकिंग क्षेत्र पर लघु उद्योग क्षेत्र की निर्भरता केवल चीन, फ्रांस और युनाइटेड किंगडम में ही भारत की तुलना में कम है।

6.133 हाल के वर्षों में बैंक ऋण की एक महत्वपूर्ण विशेषता वैयक्तिक ऋणों के रूप में ऋण में तीव्र वृद्धि थी जो मार्च 2007 के अंत में कुल बैंक ऋण का लगभग एक चौथाई भाग था। इस वृद्धि का अधिकांश भाग आवास ऋणों में वृद्धि से संबंधित है। विदेशी साक्ष्य से सूचना मिलती है कि भारत के मामले में कुल बैंक ऋण में आवास ऋण का अंश अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इजराइल, मेक्सिको, और तुर्की से अधिक था, परंतु चिली, कोलंबिया, चेक गणतंत्र, हंगरी, कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर से कम था।

6.134 इस प्रकार, हाल के वर्षों में बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि से कृषि, बुनियादी संरचना, बड़ी कंपनियों और घर-परिवार लाभान्वित हुए। छोटे

और मझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र की ओर बैंकिंग क्षेत्र ने उचित से कम ध्यान दिया। बैंकों ने अपने ऋण संविभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप एसएलआर (न्यूनतम सांविधिक अपेक्षा को छोड़कर) और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने निवेशों को समायोजित किया।

IX. भावी दिशा

6.135 यह स्वीकार करते हुए कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ाने में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, रिजर्व बैंक ने सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो। बुनियादी संरचना के क्षेत्र द्वारा अपेक्षित विपुल मात्रा में निधीयन, सेवा क्षेत्र के बढ़ते आकार, छोटे और मझौले उद्यमों (एसएमई) और ग्रामीण उद्यमों द्वारा संवर्धित निधीयन तथा घर-परिवारों की बढ़ती हुई आय और अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक मुद्राकरण को देखते हुए बैंक ऋण के लिए माँग के मजबूत रहने की संभावना है। वित्तीय समावेशन पर बल देने से भी ऋण के लिए माँग में वृद्धि को प्रेरणा मिलेगी। बैंकिंग प्रणाली को इन नये अवसरों के प्रति पर्याप्त रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी। भंडारण, मालगोदाम, प्रसंस्करण और खेत से बाजार तक परिवहन को शामिल करते हुए, संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला वित्तीयन को सम्मिलित करते हुए, इन नई ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण वितरण हेतु नवोन्मेष माध्यमों का पता लगाना होगा। बुनियादी संरचना, उद्योग और सेवाओं में निवेश में आरंभिक तेजी से सर्वोत्तम परिणाम केवल तभी प्राप्त होंगे जब कम लागत पर बहुत बड़े संसाधन प्रवाहों की मध्यस्थता सफलतापूर्वक की जाएगी। यह सूचना का समुचित रूप में और कुशल तरीके से प्रसंस्करण करने की वित्तीय क्षेत्र की क्षमता पर निर्भर होगी।

6.136 एक ओर जहाँ समय-समय पर किये गये विभिन्न उपायों का अनुकूल प्रभाव रहा है, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऋण सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि एवं छोटे और मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिए सुचारु रूप से उपलब्ध हो। अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है।

6.137 हाल में बैंक अधिक परिष्कृत जोखिम प्रबंध तकनीकों का प्रयोग करने की दिशा में अग्रसर हैं। वर्तमान में बैंक कुल मिलाकर नये एक्सपोजरों को सीमित करने, मौजूदा निधि-आधारित एक्सपोजर की एकमुश्त बिक्री करने, ऋण गारंटी सुरक्षा प्राप्त करने, और अभी हाल ही में प्रतिभूतिकरण करने का सहारा लेते हुए ऋण जोखिमों के बचाव (हेजिंग) की पारंपरिक विधि पर अधिक आधारित हैं। भारत में भविष्य में ऋण डेरिवेटिव जैसे कुछ और उत्पादों का आविर्भाव हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 मई 2007 को भारत में ऋण डेरिवेटिव के प्रारंभ के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रारूप जारी किया था। तथापि, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों, खास तौर से ऋण बाजारों में देखी गई कुछ प्रतिकूल गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया

गया है कि भारत में ऋण डेरिवेटिव प्रारंभ करने के संबंध में अंतिम मार्गदर्शी सिद्धांतों के निर्गम को स्थगित किया जाए।

कृषि वित्त

6.138 कृषि ऋण में जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना किया गया है वे न केवल छोटे और सीमांत कृषकों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने से, बल्कि कृषि उत्पादों के लिए उत्पादन और माँग के रूप में वर्तमान परिदृश्य के लिए संगत नीतियों और ऋण वितरण प्रणालियों को तैयार करने से भी संबद्ध हैं। देश में कृषि ऋण की भावी दिशा से संबंधित किसी भी नीति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फसल के विविधीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखने की जरूरत है (मोहन, 2006)। कृषि विस्तार सेवाओं के वित्त की संरचना जरूरत को पूरा करने के लिए वर्तमान 'बहु एजेंसी' दृष्टिकोण अपर्याप्त साबित हो रहा है। व्यापक दायरे में संबद्ध गतिविधियों के विकास को निधि प्रदान करने के लिए प्रश्न यह है कि वाणिज्य बैंकों, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के संसाधनों को एक धारणीय और व्यवहार्य ढंग से कैसे सरणीबद्ध किया जाए।

6.139 भारत में कृषि ऋण के निष्पादन की समीक्षा से विदित होता है कि यद्यपि वर्षों से संस्थागत वित्त की समग्र उपलब्धता बढ़ गई है, तथापि ग्रामीण वित्तीय बाजारों में भारी अंतर अभी भी बने हुए हैं। ये अंतर छोटे किसानों को औपचारिक कृषि ऋण की दुर्लभ व्यवस्था और संभवतः अपर्याप्त मध्यावधि और दीर्घावधि उधार से संबंधित हैं। इसके अलावा, वर्तमान कानूनी ढाँचे और काशकारी (टिनैसी) कानूनों से संबंधित कुछ मुद्दों ने भी ऋण की उपलब्धता एवं मजबूत और कुशल कृषि ऋण संस्थाओं के विकास को बाधित किया है। वित्तीय सेवाओं के लिए कृषि क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में एक अधिक व्यापक प्रणालीगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ऋण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादक संसाधनों के वितरण, उनके उपयोग को नियंत्रित करनेवाली कानूनी और सामाजिक संरचनाओं, फसल के प्रतिमानों, ग्रामीण बाजारों की मौजूदा और उभरती हुई तकनीकों और गति सिद्धांत सहित, उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता और वितरण की सीमा को समझने की जरूरत है। इससे कृषि को, विशेष रूप से छोटे किसानों को ऋण की उपलब्धता में सुधार होगा। फिर भी, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कृषि ऋण की सही आवश्यकताओं का अनुमान लगाना कठिन है, यद्यपि अध्ययनों की प्रवृत्ति सामान्यतः ग्रामीण वित्तीय बाजार के विकास और अधिक कृषि वृद्धि के बीच एक मजबूत परस्पर संबंध दर्शाने की रहती है। कृषि ऋण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व जीवन-निर्वाह के लिए खेती करनेवाले कृषकों का वाणिज्यीकरण है। कुशल बाजार व्यवस्था के विकास के परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि के लिए बिक्री केंद्र (आउटलेट) और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के द्वारा जीवन-निर्वाह के लिए खेती करनेवाले कृषकों का वाणिज्यीकरण होगा (मोहन, 2006)। अतः कृषि ऋण एक मददगार के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु वह स्वयं कृषि की वृद्धि पर तब तक

उल्लेखनीय प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक ग्रामीण कृषि की बुनियादी संरचना और संबद्ध संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता।

समर्थकारी स्थितियाँ बनाते हुए कृषि को ऋण की धारणीयता में सुधार लाना

6.140 कृषि कार्य में ऋण एक महत्वपूर्ण निविष्टि है। फिर भी, जब तक कृषि को अर्थक्षम नहीं बनाया जाता, तब तक वह इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए सिंचाई की सुविधाएं, ग्रामीण सड़कें और अन्य बुनियादी संरचना अपेक्षित है। इस संदर्भ में एक प्रमुख समस्या बिजली, पानी और ऋण जैसी निविष्टियों के गलत कीमत-निर्धारण के कारण संसाधन के उपयोग में अकुशलता की भी है। इस क्षेत्र को अधिकाधिक बाजार-उन्मुख बनाने की भी आवश्यकता है। किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है कि वे निविष्टियाँ प्राप्त करने एवं स्वायत्त सहकारी संस्थाओं और अन्य प्रकार के संगठनों के माध्यम से उत्पादन के विपणन के लिए बाजार आधारित समाधान अपनाएँ। इसके अलावा, यदि निवेश और उत्पादन ऋण को एकीकृत किया जाता है और जिला स्तर पर प्रयुक्त मानों की समीक्षा करके उन्हें अपेक्षाकृत नई प्रौद्योगिकियों और बेहतर निविष्टियों का प्रयोग करते हुए आधुनिक, बाजार-उन्मुख पूँजीगत प्रोत्साहन प्राप्त कृषि की अपेक्षाओं के अनुरूप पुनः समायोजित किया जाता है तो ऋण अवशोषण में काफी वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया जाए जिसमें कृषि एक व्यवसाय के रूप में बनी रह सके तथा दोनों सरकारी और निजी संस्थाएं एक धारणीय आधार पर कृषि को वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था करने में स्वेच्छा से सहभागिता कर सकें।

बैंकों को सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है

6.141 कुल कृषि ऋण में कृषि को मीयादी ऋणों ने 1990 के दशक के प्रारंभ से उल्लेखनीय रूप में गिरावट दर्ज की है। यह चिंता की बात है क्योंकि यह तब घटित हुआ जब कुल ऋण में कृषि ऋण के अंश में भी कमी आई (पिछले कुछ वर्षों तक)। यह गिरावट इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि बैंकों के संविभाग में समग्र मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों का अंश हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ गया है। दीर्घावधि ऋणों की वृद्धि में कमी कृषि उधारकर्ताओं की ऋण अवशोषण क्षमता को बाधित करती है, जो अंततः फसल ऋणों की वृद्धि को भी प्रभावित करती है। कृषि को निवेश ऋण की उपलब्धता अन्य बातों के साथ-साथ उच्च लेनदेन लागतों, ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली में विद्यमान संरचनात्मक कमियों, ऋण-पात्रता से संबंधित समस्याओं, किसानों के निम्न आर्स्ति आधार को देखते हुए समर्थक जमानतों (कॉलेटरल्स) के अभाव, संबद्ध उच्चतर जोखिमों से युक्त ऋणों की कम प्रमात्रा और अधिक श्रम-शक्ति की अपेक्षाओं द्वारा बाधित है। बैंक भी अल्पावधि ऋण प्रदान करने में अधिक उत्सुक हो सकते हैं क्योंकि इसमें कम ऋण जोखिम है, पर्यवेक्षण और निगरानी की

अपेक्षाकृत कम लागतें हैं, तथा इससे आस्ति-देयता प्रबंध में सुविधा होती है। चूँकि कृषि को दीर्घावधि ऋण के अंश में गिरावट से कृषि में निवेश के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि बैंक कृषि को मध्यावधि और दीर्घावधि निधीयन के अंश को क्रमिक रूप से बढ़ाएँ। उल्लेखनीय रूप में 2007 में कृषि के लिए मीयादी ऋण तेजी से बढ़े हैं तथा आवश्यकता इस वृद्धि को बनाये रखने की है।

छोटे और सीमांत कृषकों के लिए सहायता बढ़ाने की आवश्यकता

6.142 छोटे और सीमांत किसान कृषक समुदाय का सबसे बड़ा खंड बनाते हैं। उनके पास प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कोई सुरक्षा नहीं है और वे आसानी से इनके शिकार हो जाते हैं। फिर भी कुल कृषि ऋण में छोटे और सीमांत कृषकों के अंश में कमी आई है यद्यपि वह मामूली है। छोटे और सीमांत किसानों के साथ संबंध रखनेवाली कृषि ऋणों की एक श्रेणी छोटे ऋणों (2 लाख रुपये तक के ऋण सीमा आकार वाले ऋण) की है। ब्याज दर जोखिम का प्रबंध करने के लिए छोटे उधारकर्ताओं की सीमित क्षमता के कारण तथा छोटे उधारकर्ताओं को उचित दरों पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख रुपये तक के छोटे ऋणों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) के साथ संबद्ध किया गया है। सामान्यतः बैंक बीपीएलआर से कम दरों पर उधार देते रहे हैं तथा मार्च 2007 के अंत में बीपीएलआर से कम दरों पर (सब-बीपीएलआर) उधार का अंश कुल उधार का लगभग चार बटा पाँच रहा (भा.रि.बैं., 2007बी)। जब कि इस प्रकार का उधार ऋण-पात्रता रखनेवाली बड़ी कंपनियों तक सीमित है, सामान्य तौर पर कृषि क्षेत्र के लिए बीपीएलआर अथवा कुछ मामलों में उच्चतर ब्याज दरें प्रभावरित की गई हैं ((भा.रि.बैं., 2007ए)। ऐसे परिदृश्य में जहाँ बैंकों का उधार अधिकाधिक बीपीएलआर से कम दरों पर है, कृषि को कुल ऋणों में छोटे ऋणों के अंश में गिरावट चिंता का कारण है।

कृषि में जोखिम प्रबंध पर व्यापक सरकारी नीति

6.143 2008-09 के लिए बजट में केंद्र के वित्त मंत्री ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं और स्थानीय क्षेत्र बैंकों द्वारा 31 मार्च 2007 तक संवितरित किये गये और 31 दिसंबर 2007 को अतिदेय प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की माफी की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत सीमांत कृषकों (अर्थात् 1 हेक्टेअर तक की धारिता वाले) अथवा छोटे कृषकों (1-2 हेक्टेअर) के लिए उन सभी पात्र ऋण राशियों की संपूर्ण माफी की घोषणा की गई जो 31 दिसंबर 2007 को अतिदेय थे और जो 29 फरवरी 2008 तक अदत्त रहे थे। अन्य किसानों (2 हेक्टेअर से अधिक) के संबंध में उन सभी ऋणों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) की योजना भी घोषित की गई जो 31 दिसंबर 2007 को अतिदेय थे और जो 29 फरवरी 2008 तक अदत्त रहे थे। चूँकि किसानों को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते डाला जाएगा, अतः बैंकों से यह

अपेक्षा होगी कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि को और अधिक ऋण प्रदान करें। बैंक भी प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि सरकार उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। तथापि, वर्तमान ऋण माफी योजना के लिए संस्थागत ऋण के एक वास्तविक पुनरुद्धार तक पहुँचने के लिए पर्याप्त निगरानी, उचित प्रबंध सूचना प्रणालियों की स्थापना और अच्छी तरह अभिकल्पित उत्पादों के साथ इसका अनुवर्तन किया जाना चाहिए ताकि बैंक एक व्यवहार्य तरीके से कृषि क्षेत्र को पर्याप्त रूप से ऋण संवितरित कर सकें। अंततोगत्वा, संभवतः यह वांछनीय होगा कि कृषि में जोखिम प्रबंध के संबंध में एक व्यापक सरकारी नीति लागू की जाए। ऐसी नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तीन तत्व शामिल किये जा सकते हैं। पहला, प्रतिकूल मानसून स्थितियों के प्रभाव का एक सुस्पष्ट, वस्तुपरक और स्वतंत्र मूल्यांकन एवं एक सुनिश्चित आधार पर किसानों के लिए उचित राहत की व्यवस्था। दूसरा, बीज, कीटनाशक दवाओं, बिजली और पानी जैसी महत्वपूर्ण निविष्टियों में गुणवत्ता या आश्वस्त आपूर्ति में किसी भी कमी के लिए आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व की स्थापना और कार्यान्वयन। तीसरा, कीमत-सब्बिडियों को क्रमशः हटाना और उनके स्थान पर व्यापकतम अर्थ में किसानों के लिए जोखिम न्यूनीकरण संबंधी परिचालनों की स्थापना करना।

माँग से संचालित ऋण के माध्यम से कृषि और ग्रामीण संस्थाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना

6.144 कुछ अन्य देशों में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों, जैसे सामान्य रूप से ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने में बीआरआइ-यूडी (इंडोनेशिया) और कृषि ऋण उपलब्ध कराने में बीएएसी (थाईलैंड) की सफलता का अनुभव यह दर्शाता है कि यद्यपि कृषि संस्थाओं की विशिष्ट योजनाओं में विभिन्नता हो सकती है, तथापि विकेंद्रीकृत निर्णयन, परिचालनों में कुशलता, कम लागत वाले परिचालनों पर बल और मजबूत संस्थागत समर्थन के संयोजन का परिणाम वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद परिचालनों में हो सकता है, जबकि इसके साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित करने में भी यह सफल हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में बल आपूर्ति द्वारा निर्दिष्ट दृष्टिकोण की अपेक्षा माँग द्वारा निर्दिष्ट दृष्टिकोण पर दिया गया था। माँग-केंद्रित मॉडल में नीतियों की दिशा आकर्षक वित्तीय उत्पाद निर्मित करने की ओर निर्दिष्ट होगी और इसके साथ ही, विशेष रूप से किरायायती सही प्रबंध सूचना प्रणालियों को बनाये रखने में नई वित्तीय तकनीकों के प्रयोग और अंगीकरण को प्रोत्साहित करने की ओर भी निर्दिष्ट होगी। भारत में आपूर्ति द्वारा संचालित ऋण, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुँचने में कम असरदार रहा है। अतः भारत में कृषि क्षेत्र में माँग द्वारा संचालित फोकस का अन्वेषण किया जाना चाहिए। ऋण, जमाराशियों और अन्य वित्तीय उत्पादों के लिए एक माँग-केंद्रित दृष्टिकोण के अंतर्गत प्राथमिक केंद्रबिंदु प्रधानतः अनुकूल समष्टि-आर्थिक, कृषि और ऋण क्षेत्र की नीतियों के समुच्चय द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए मजबूत संस्थागत रूपरेखा सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थकारी वित्तीय

परिवेश निर्मित करने पर होगा। इस प्रकार के दृष्टिकोण के अंतर्गत छोटे और सीमांत कृषकों का प्रभावी समावेश करने के लिए विकेंद्रीकृत शाखाओं का एक नेटवर्क अस्तित्व में होना चाहिए जो लाभकारी केंद्रों के रूप में कार्य करे। विशेष रूप से ऋण की चुकौती के तौर पर किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों का आविष्कार करना महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए समयबद्धता और ऋण की आश्चर्य उपलब्धता ब्याज की सब्सिडी से अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में, अनेक व्यष्टि-ऋण प्रणालियों के अनुभव प्रायः चिंतन की इसी दिशा में हैं।

नवोन्मेष लिखतों के साथ वित्तपोषण

6.145 नवोन्मेष वित्तीय तकनीकों को अपनाने से किसानों के लिए ऋण तक पहुँच में सुधार हो सकता है। परंपरागत ऋण वित्त को छोड़कर जो वित्तीय प्रौद्योगिकियाँ कृषि संबंधी गतिविधियों के वित्तपोषण में सहायता प्रदान कर सकती हैं, उनमें खेती की मशीनरी और उपकरणों को पट्टे पर देना/लेना (लीजिंग) शामिल है। किसी परिसंपत्ति के प्रयोक्ता अधिकारों से स्वामित्व के अधिकारों को अलग करने के सिद्धांत के मुख्य रूप से दो संभावित लाभ हैं। पहला, वह अतिरिक्त समर्थक जमानत (कॉलेटरल) के लिए स्थानापन्न हो सकता है और दूसरा, वह कर लाभ उपलब्ध करा सकता है। इसके अलावा, नकदी या वस्तु रूप में ऋण के संवितरण की उत्पादन के विपणन के साथ अंतर-संबद्धता का भी प्रयास किया जा सकता है। इससे परंपरागत ऋण कॉलेटरल की आवश्यकता कम होगी और विशेषतः बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रों में ऋण वसूली से संबंधित लेनदेन की लागतें भी घट जाएँगी। इसका व्यापक उपयोग व्यापारियों, विपणन बोर्डों, सहकारी संस्थाओं और संविदागत कृषि योजनाओं जैसी गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा उत्पाद से कटौतियों के माध्यम से वसूल की जानेवाली ऋण संबंधी मौसमी निविष्टियाँ उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

ऋण मूल्यांकन के लिए स्कोर-कार्डिंग का प्रयोग

6.146 बैंक और अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ ऋण आवेदन-पत्रों से प्राप्त सीमित सूचना का उपयोग करते हुए स्कोर-कार्डिंग पर विचार कर सकती हैं। इसके माध्यम से वित्तीय संस्था पिछले अनुभव से कृषि ऋणों के संबंध में सफल निष्पादन/चुकौती के निर्धारक तत्वों का अनुमान लगाने तथा ऋण आवेदनपत्रों का तीन श्रेणियों : (1) स्वीकार करें, (2) अस्वीकार करें, और (3) एक ऋण अधिकारी द्वारा और विश्लेषण कराए जाने की आवश्यकता है, में वर्गीकरण करने के लिए उन निर्धारक तत्वों का उपयोग (एक मशीनी, प्रयोग के लिए सुलभ स्कोरिंग कार्यविधि में) करने का प्रयास कर सकती है। इस प्रक्रिया का उपयोग ऋण संबंधी निर्णयों की गति बढ़ाने और उनकी लागत को कम करने दोनों के प्रयोजनों के लिए एवं जिन ऋणों के लिए और अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है उनकी ओर ऋण अधिकारी के समय और ऊर्जा को निर्दिष्ट करने के लिए किया जा सकता है।

कंप्यूटरीकृत भू-अभिलेख

6.147 कृषि को ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने में एक प्रमुख बाधा उपयुक्त समर्थक जमानत (कॉलेटरल) का अभाव है। बहुधा भूमि ही किसानों के पास उपलब्ध एकमात्र परिसंपत्ति होती है। तथापि, भूमि पर कमजोर स्वत्वाधिकार और उचित भू-अभिलेखों का अभाव भूमि को कॉलेटरल के रूप में प्रयुक्त करने में एक प्रमुख अवरोध के रूप में साबित हो रहे हैं। कंप्यूटरीकृत भू-अभिलेखों की उपलब्धता कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने में दूरगामी तौर पर सहायक सिद्ध होगी।

कृषि को औपचारिक और अनौपचारिक वित्त के बीच समन्वय

6.148 दोनों औपचारिक और अनौपचारिक संस्थागत व्यवस्थाओं के एकस्थ होने की आवश्यकता है। चुनौती विभिन्न वर्तमान सक्षम वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय करने की है जो ग्राहक उन्मुख हैं, जो कुशलतापूर्वक जमासंग्रहण करती हैं और एक व्यापक दायरे में किसानों, कृषि-व्यवसाय उद्यमियों और अन्य ग्रामीण ग्राहकों को कृषि ऋण की माँग के विशिष्ट स्वरूप के कारण ऋणों तक पहुँच उपलब्ध कराती हैं। कृषि उधार की एक खास मीयादी संरचना (मौसमी और दीर्घावधि) है। तदनुसार दोनों अनौपचारिक और औपचारिक ऋण क्षेत्रों से ऋण की उपलब्धता का समन्वय करने से कृषि की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

छोटे और मझौले उद्यम (एसएमई) वित्त

6.149 छोटे और मझौले उद्यम (एसएमई) रोजगार उत्पादन और निर्यातों में उनके उल्लेखनीय अंशदान को देखते हुए भारत में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण खंड बनते हैं। एसएमई को उत्पादनोत्तर और उत्पादन पूर्व सुविधाओं के साथ ग्रामीण खंड में कृषि-क्लिनिकों, संविदा खेती और ग्रामीण आवास जैसी नई गतिविधियों के आविर्भाव के साथ ही, एसएमई को उधार देना बैंकों के लिए एक लाभप्रद राजस्व साध्य है। फिर भी, इस संभाव्यता को साकार करने के लिए एक उचित लागत पर इस क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता है। तथापि, जैसा कि पिछले खंड में रेखांकित किया गया है, एसएमई संस्थागत व्यवस्था से पर्याप्त ऋण प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसे बदलने की जरूरत है। निम्नलिखित विशिष्ट सुझावों से एसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने में दीर्घकालिक सहायता मिल सकती है।

वृद्धि समूह

6.150 एसएमई को उधार देने के लिए समूह (क्लस्टर) दृष्टिकोण का प्रयोग अनेक देशों में उपयोगी पाया गया है तथा भारत में भी यही देखा गया है जैसा कि कई अनुभवसिद्ध अध्ययनों से विदित हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पद्धति भारत में बड़े पैमाने पर अनुसरण करने योग्य है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), लुधियाना और

तिरुपुर जैसे अनेक मौजूदा एसएमई समूह काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। व्यापार का रिकार्ड, प्रतिस्पर्धात्मकता अथवा वृद्धि की संभावनाओं के आधार पर मान्यताप्राप्त एसएमई समूहों को उधार को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार के समेकन को प्रोत्साहित करने और इस संरचना के माध्यम से वितरण करने से एसएमई की सौदा-शक्ति बढ़ सकेगी एवं उधारदाताओं के लिए बेहतर जोखिम निर्धारण के लिए सूचना तक पहुँचने और निगरानी प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए लेनदेन लागतें कम करने में सहायता मिलेगी। क्रिसिल और आइबीए जैसी संस्थाएँ औद्योगिक समूहों के लिए एक श्रेणी-निर्धारण (रेटिंग) तंत्र विकसित कर सकती हैं जो एसएमई को अधिक प्रभावी व्यावसायिक प्रथाओं और श्रेष्ठ गुणवत्ता नियंत्रण को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है तथा उधारदाताओं को भी अधिक प्रभावात्मक रूप में बाजार में पैठ करने में समर्थ बना सकता है।

ऋण सूचना ब्यूरो की भूमिका

6.151 अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शाता है कि व्यापक तौर पर ऋण इतिहासों की उपलब्धता ऋण के प्रवाह को अधिकाधिक विस्तृत कर देती है क्योंकि संभावित उधारकर्ता अपने स्थानीय ऋणदाताओं के साथ अब और बंधे नहीं रहेंगे (मोहन, 2005)। ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच तथा निवेशकों और निर्गमकर्ताओं के बीच परस्पर पारदर्शिता उधारकर्ता के वास्तविक जोखिम निर्धारण के लिए एक मुख्य अपेक्षा है। दरअसल, पारदर्शिता मुख्य रूप से वित्तीय और लेखांकन के प्रकटीकरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है। एसएमई से उत्पन्न होनेवाली सूचना की गुणवत्ता में अवश्य सुधार लाना चाहिए तथा उसकी प्रस्तुति को और अधिक सुसंगत बनाया जाना चाहिए। बासेल II मानदंडों के संदर्भ में सूचना और पारदर्शिता को बनाये रखना पूर्णतः अनिवार्य हो जाता है। ऋण सूचना ब्यूरो को विकसित करने के लक्ष्य से नया कानून बनाने जैसी सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा हाल में की गई पहलों से सूचना और लेनदेन लागतें कम करने में मदद मिलनी चाहिए और उससे फिर एसएमई क्षेत्र को ऋण की लागत कम करने के लिए मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। विधि-निर्माण किया जा चुका है। आवश्यकता तो सूचना केंद्रों/कंपनियों के निर्माण को प्रोत्साहित करने की है।

लघु व्यवसाय साख-गणना (एसबीसीएस)

6.152 विदेशों में साख-गणना (क्रेडिट स्कोर्स) का व्यापक तौर पर उपयोग उपभोक्ता ऋण बाजारों (उदाहरण के लिए बंधक, क्रेडिट कार्ड, और ऑटोमोबाइल ऋण) में कई वर्षों से किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कम लागत, एवं प्रायः गौण बाजारों में बेचे गए पण्यीकृत ऋण द्वारा उपभोक्ता ऋण की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की गई है। अमरीका जैसे विकसित देशों में बैंक एसएमई की ऋण-पात्रता का निर्धारण करने के लिए लघु व्यवसाय साख-गणना (एसबीसीएस) तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं। विकसित देशों में “व्यष्टि ऋणों” हेतु

आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए कई वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त एसबीसीएस को भारत में भी आजमाया जा सकता है। ऋण सूचना कंपनियों/केंद्रों से भी यह आशा की जा सकती है कि वे उक्त साख-गणना प्रणाली को विकसित करने के द्वारा एक उपयोगी भूमिका अदा करेंगे।

आस्ति आधारित उधार

6.153 एसएमई को आस्ति आधारित ऋण उपलब्ध कराना अमरीका में वाणिज्य बैंकों के बीच आम बात है। आस्तियों में शामिल हैं, वाणिज्यिक लेखे के संबंध में प्राप्य राशियाँ, स्टॉक (इन्वेंटरी), व्यावसायिक उपकरण और मशीनरी, आवर्ती राजस्व संविदाएँ, तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)। आस्ति आधारित उधार में बैंक एसएमई को अर्हताप्राप्त आस्ति वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के प्रतिशत पर आधारित एक परिक्रामी (रिवाल्विंग) ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। वृद्धिशील छोटे व्यवसाय, मझौले व्यवसाय और बड़ी कंपनियाँ मौसमी और चक्रीय अवधियों अथवा टर्नअराउंड की परिस्थितियों में वृद्धि और सहायता निधि को अवलंब देने के लिए कार्यशील पूँजी हेतु अपनी आस्तियों को काम में ला सकती हैं। आस्ति आधारित वित्त से प्राप्त निधियों का उपयोग एसएमई द्वारा दैनंदिन परिचालनों के लिए अथवा पुनर्संरचना/टर्नअराउंड के लिए पूँजी के रूप में किया जाता है। आस्ति आधारित ऋण सामान्यतः अन्य वित्तीय विकल्पों की अपेक्षा किफायती और प्रतिस्पर्धात्मक हैं। एसएमई जब भी आवश्यकता हो तब ‘ऋण व्यवस्था’ से आहरण कर सकते हैं और भावी उपयोग हेतु उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वापसी अदायगी कर सकते हैं। चूँकि ब्याज केवल आहरित की गई निधियों पर ही लगाया जाता है, अतः समग्र रूप में यह मीयादी ऋण की तुलना में कम खर्चीला है। एसएमई अपनी प्राप्य राशियों और स्टॉक की जमानत पर उधार ले सकते हैं तथा संपूर्ण ऋण और वसूली प्रक्रियाओं के साथ अपनी आस्तियों पर नियंत्रण और स्वामित्व रख सकते हैं।

एसएमई पर केंद्रीकृत सूचना

6.154 जोखिम निर्धारण अनिवार्य है तथा बैंक के जोखिम-मान पर एक्सपोजर के उचित स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी का सहयोग अपेक्षित है। सूचनात्मक अपारदर्शिता की समस्या, जो बैंक वित्त तक एसएमई की पहुँच में एक प्रमुख बाधा है, को दूर करने के लिए ‘बांक द फ्रांस’ बैंकिंग व्यवसाय के उपयोग के लिए ऑन-लाइन सूचना सेवाओं का एक सेट प्रस्तुत करता है। ये ‘‘कंपनी ऋण रेटिंग’’ एक तीन वर्षीय सीमा पर अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनियों की क्षमता के निर्धारण हैं। संपूर्ण लेखांकन के प्रलेखन के आधार पर कंपनियों का श्रेणी-निर्धारण (रेटिंग) किया जाता है। एसएमई के बारे में विभिन्न नीतियों और जागरूकता के बारे में सूचना के प्रसार के लिए, ‘बैंक नेगारा मलेशिया’ ने एक विशिष्ट वेबसाइट शुरू कर दी है। भारत में एसएमई की संख्या को देखते हुए भारत में यह कार्य करना रिजर्व बैंक के लिए शायद संभव नहीं होगा। फिर भी, यह आशा की जाती है कि सिबिल

अथवा भविष्य में स्थापित की जानेवाली ऋण सूचना कंपनियाँ उधारकर्ताओं के संबंध में इस प्रकार का मूल्यांकन करेंगी और बैंकों को सूचना उपलब्ध कराएँगी।

एसएमई शेयर बाजार की स्थापना द्वारा पूँजी बाजारों में प्रवेश

6.155 एसएमई द्वारा पूँजी बाजारों में प्रवेश को सुसाध्य बनाने के लिए फ्रांस में एसएमई के लिए उनकी आवश्यकता पर आधारित एक खंड के निर्माण के साथ, शेयर बाजार के वास्तविक सूचीबद्धता ढाँचे का यथेष्ट रूप में पुनर्कल्पन (ओवरहालिंग) किया गया। व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों के बीच मध्यवर्ती पूँजी वाली (मिड कैप) कंपनियों की दर्शनीयता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए विशिष्ट सूचकांकों का एक नया दायरा निर्मित किया गया तथा “छोटी और मध्यवर्ती पूँजी के (मिड कैप) विशेषज्ञ” की विशेष स्थिति स्थापित की गई। मध्यवर्ती पूँजी (मिड कैप) कंपनियों की आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम रूप में उपयुक्त समाधान उपलब्ध कराने के लिए यूरोनेक्स्ट 1 ने अपने सभी बाजारों के संबंध में सूचीकरण की संरचनाओं का पुनर्कल्पन किया। भारत में भी, हाल में एसएमई के लिए वैकल्पिक शेयर बाजार के यूरोपीय मॉडल के ही तरीके से पहले की गई हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने पहले ही एक एक्सचेंज का अनुमोदन किया है ताकि इक्विटी बाजार से पूँजी जुटाने में एसएमई को समर्थ बनाया जा सके। सेबी कैलेंडर वर्ष 2008 में एसएमई के लिए एक एक्सचेंज को सुसाध्य बनानेवाले समर्थक प्रावधान करने की व्यवस्था की प्रक्रिया में है। यह प्रतीत हुआ कि अनेक क्षेत्रीय शेयर बाजारों ने भी इस प्रकार के प्रयास में रुचि व्यक्त की है। अतः आवश्यकता एक एसएमई एक्सचेंज की स्थापना में शीघ्रता करने की है। यह सूचना मिली है कि परिचालन के लिए बाजार विनियामक द्वारा प्रारंभ में एक एसएमई एक्सचेंज की अनुमति दी जाने की संभावना है। वैश्विक प्रवृत्ति प्रतियोगिता का निर्माण करने के लिए अनेक एक्सचेंजों को कार्यरत रखने की है। अतः कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद अधिक एसएमई एक्सचेंजों का निर्माण करने की संभावना का पता लगाया जा सकता है।

जोखिम पूँजी का वित्तपोषण

6.156 एसएमई के वित्तपोषण में जोखिम पूँजी की भी एक भूमिका है (मोहन, 2008)। जोखिम पूँजी के वित्तपोषण ने विशेष रूप से उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों अर्थात् सॉफ्टवेयर और संचार फर्मों के वित्तपोषण में अमरीका की सिलिकॉन वैली, और कनाडा में एक महती भूमिका अदा की है। खुदरा उपभोक्ता, जैव-चिकित्सा, सेमी-कंडक्टर, व्यावसायिक सेवाएँ जोखिम पूँजी निधियों से लाभान्वित होनेवाले अन्य क्षेत्र हैं। यद्यपि जोखिम पूँजी के वित्तपोषण की लागत अपेक्षाकृत अधिक है, तथापि वह नवोन्मेष उच्च प्रौद्योगिकी आधारित फर्मों को अत्यावश्यक पूँजी उपलब्ध करा सकती है।

बुनियादी संरचना का वित्तपोषण

आस्ति देयता असंतुलन से सुरक्षा की आवश्यकता

6.157 बैंकों के कुल ऋण में मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों का अंश हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। अध्याय IV में यथा उल्लिखित जमाराशियों के परिपक्वता अवधि विन्यास संबंधी अंकड़ों से भी यह संकेत मिलता है कि मीयादी जमाराशियों का परिपक्वता अवधि विन्यास विशेष रूप से एक वर्ष तक की अल्पावधि जमाराशियों के पक्ष में उल्लेखनीय रूप में परिवर्तित हुआ है। बैंकों द्वारा दीर्घावधि आस्तियों के एक भाग का निधीयन बुनियादी संरचना के बांडों से किया गया है। फिर भी, अब भी आस्ति-देयता प्रबंध के लिए ऋणों और जमाराशियों की बदलती रूपरेखा के गंभीर निहितार्थ हैं तथा बैंकों के लिए किसी भी आस्ति-देयता असंतुलन से सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। एक विकल्प तो बैंकों के तुलन-पत्र से जोखिम का अंतरण वित्तीय प्रणाली के अन्य खिलाड़ियों को करने का है। बुनियादी संरचना क्षेत्र को ऋणों के प्रतिभूतिकरण के कारण जिसके द्वारा उक्त ऋणों को व्यापारयोग्य ऋण प्रतिभूतियों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, बैंक एक्सपोजर मानदंडों एवं बुनियादी संरचना के वित्तपोषण से संबद्ध जोखिमों के फैलने से संबंधित चिंताओं के साथ प्रभावी रूप में निपट सकते हैं। यद्यपि भारत में प्रतिभूतिकरण की अनुमति दी गई है, तथापि वह लोकप्रिय नहीं हुआ है। अतः ऐसे उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। फिर भी, अमरीका में बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) बाजार के विफल हो जाने तथा विशेष रूप से वित्तीय प्रणाली की स्थिति पर उसके प्रभाव और इस बात की बढ़ती हुई समझ कि जोखिमों अक्सर उनको अंतरित की गईं जो उन्हें बिलकुल नहीं समझ पाते थे, को देखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पूर्व-सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है कि भारत में इस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न न हों।

उद्योग की बैंकिंग क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता

6.158 औद्योगिक क्षेत्र का बैंकिंग क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर रहना जारी है। यद्यपि कुल बैंक ऋण में उद्योग का अंश घट गया है, तथापि उद्योग की ऋण - प्रधानता बढ़ गई है। साक्ष्य यह संकेत भी करता है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में औद्योगिक क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि उद्योग बैंकिंग क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को क्रमशः कम करे ताकि कृषि और एसएमई क्षेत्र, जो अन्य स्रोतों से निधियाँ प्राप्त करने में असमर्थ हैं, की आवश्यकताएँ बैंकिंग क्षेत्र द्वारा पूरी की जा सकें।

X. सारांश

6.159 अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए बैंक वित्त लगातार ऋण का एक प्रधान स्रोत है। भारत में ऋण उपलब्ध कराने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका दो विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) के बैंकों के रूप में

परिवर्तन के कारण बढ़ गई है। बैंक ऋण के लिए माँग भी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों की वृद्धि की लगातार बनी हुई उच्च दरों एवं माँग के नये स्रोतों के आविर्भाव के कारण बढ़ी है। बैंकों के उधार और निवेश कार्यों का स्वरूप अर्थव्यवस्था की बदलती हुई संरचना के प्रतिक्रियास्वरूप विकसित हुआ है।

6.160 1990 के दशक के प्रारंभ से बैंक ऋण के व्यवहार को मोटे तौर पर तीन चरणों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। पहले चरण (1990-91 से 1995-96) में बैंक ऋण की वृद्धि ने एक अनिश्चय का व्यवहार दर्शाया। दूसरे चरण (1996-97 से 2001-02) में बैंक ऋण में तेजी से गिरावट हुई और वह 10 से 18 प्रतिशत के बीच के दायरे में बद्ध रह गया। इस चरण में बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में अपना निवेश बढ़ाया, हालांकि ऐसी अपेक्षाओं को क्रमशः नीचे लाया गया था। इस प्रतिमान ने मुख्य रूप से विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुप्रयोग और औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के कारण जोखिम के प्रति बैंकों की विमुखता को प्रतिबिंबित किया। तीसरे चरण (2002-03 से 2006-07) में ऋण में वृद्धि सामान्यतः प्रबल रही। इस चरण के प्रारंभिक भाग में ऋण के लिए माँग, जो मुख्य रूप से खुदरा ऋणों के रूप में सामने आई, शीघ्र ही कृषि, उद्योग और बुनियादी संरचना क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए व्यापक आधार वाली बन गई। यह आंशिक रूप से अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि के कारण तथा अंशतः कृषि और एसएमई क्षेत्र को औपचारिक ऋण बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किये गये प्रयासों के कारण था। इस चरण के कई विशिष्ट लक्षण हैं। एक, घरेलू क्षेत्र बैंक ऋण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा। दो, कुल ऋण में मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण का अंश तेजी से बढ़ा जो मुख्य रूप से बुनियादी संरचना की परियोजनाओं और आवास परियोजनाओं के लिए ऋण के कारण था। तीन, जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात उल्लेखनीय रूप में बढ़ गया।

6.161 कुल उधार में संस्थागत स्रोतों से किसान परिवारों द्वारा उधार का अंश 1991 और 2002 के बीच घट गया। तथापि, यह संभवतः गैर-उत्पादक व्यय के लिए बढ़े हुए उधार के कारण था। 1991 और 2002 के बीच इसी अवधि के दौरान संस्थागत स्रोतों से किसान परिवारों द्वारा उधार उच्चतर दर से बढ़ा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को ऋण जो 1990 के दशक में कम हो गया था, ने 2003-04 से आगे उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी। कुल बैंक ऋण में कृषि को ऋण का अंश भी तेजी से बढ़ा। खाद्येतर बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में भी वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, कृषि क्षेत्र को ऋण की प्रधानता में उल्लेखनीय रूप में सुधार आया। फिर भी, कई चिंतित करनेवाले लक्षण भी देखे गये। एक, कृषि को कुल ऋण में दीर्घावधि ऋणों का अंश 1991 और 2006 के बीच लगभग लगातार घट गया; 2006 में उक्त अंश 1991 में विद्यमान अंश के आधे से भी कम था। फिर भी, कृषि को बकाया मीयादी ऋणों ने 2007 में एक उल्लेखनीय सुधार दर्शाया। दो, दोनों खातों की संख्या और कृषि को संवितरित ऋणों

के तौर पर किसानों को प्रत्यक्ष वित्त में छोटे और सीमांत किसानों के अंश में थोड़ा अवगम्य सुधार दिखाई दिया।

6.162 भारत में छोटे और मझौले उद्यमों (एसएमई) को बैंक ऋण, जो 1994-95 से 2002-03 तक की अवधि के दौरान घटा, में उसके बाद सुधार आया। तथापि विभिन्न नीतिगत पहलों के बावजूद एसएमई को बैंक ऋण इस क्षेत्र के महत्व और इसकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रहा है। विश्व भर में बैंक ऋण एसएमई के लिए वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। एसएमई सूचनात्मक तौर पर अपारदर्शी हैं और इस तत्त्व ने बैंक ऋण तक उनकी सुगमतापूर्वक पहुँच को बाधित किया है। अर्थव्यवस्था में ऋण की वृद्धि को धारणीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि और एसएमई को ऋण की उपलब्धता में विद्यमान विभिन्न बाधाओं को दूर किया जाए।

6.163 कृषि को ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि समर्थक स्थितियाँ निर्मित की जाएँ ताकि कृषि एक धारणीय व्यवसाय बन सके तथा सरकारी और निजी संस्थाएँ कृषि को उधार में स्वेच्छा से सहभागिता करें। कृषि में जोखिम प्रबंध के संबंध में एक व्यापक सरकारी नीति की भी आवश्यकता है। आपूर्ति द्वारा संचालित ऋण, जिसका अनुसरण वर्तमान में भारत और कई अन्य देशों में किया जा रहा है, उतना प्रभावी नहीं रहा है। अतः कुछ देशों ने माँग-केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है। इस मॉडल के अंतर्गत फोकस उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं के लिए योग्य नवोन्मेष वित्तीय उत्पाद निर्मित करने पर है। भारत में कृषि क्षेत्र में माँग-केंद्रित दृष्टिकोण का भी पता लगाया जा सकता है। चूँकि भूमि ही किसानों के पास उपलब्ध एकमात्र आस्ति है, अतः भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करने की आवश्यकता है ताकि एक संपार्श्विक जमानत (कॉलेटरल) के रूप में भूमि का उपयोग किया जा सके। एसएमई क्षेत्र के लिए समूहों (क्लस्टर) को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो एसएमई की सौदा-शक्ति को बढ़ाएगा और साथ ही, सूचना तक पहुँचने के लिए लेनदेन लागतों को कम करने में ऋणदाताओं की भी सहायता करेगा। भारत में एसएमई क्षेत्र के लिए आस्ति पर आधारित वित्तपोषण का पता लगाने की भी आवश्यकता है। यह मीयादी ऋणों की तुलना में अधिक किफायती वित्तपोषण का विकल्प है।

6.164 भारत में उद्योग लगातार बैंकिंग क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है। उद्योग के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को क्रमशः कम करने की जरूरत है ताकि बैंक कृषि और एसएमई की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी कर सकें जो अपनी आवश्यकताओं के लिए अन्य स्रोतों से निधियाँ प्राप्त नहीं कर सकते।

6.165 यह स्पष्ट है कि भारत में बैंकों ने देश की विकास-प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। तथापि, अभी कुछ अंतर विद्यमान हैं जिन्हें वृद्धि की प्रक्रिया को अधिक धारणीय और न्यायसंगत बनाने के लिए पाटने की आवश्यकता है। नवोन्मेष और वृद्धि को प्रोत्साहित

करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के लिए अपनी जोखिम निर्धारण प्रथाओं में सुधार लाने और साथ ही लेनदेन लागतों को कम करने की आवश्यकता है। इस संबंध में ऋण इतिहासों और ऋण सूचना की अधिकाधिक उपलब्धता से सहायता मिलनी चाहिए। ये सब, ऋण के संबंध में प्रामाणिक निर्णय

लेने के लिए वित्तीय प्रणाली में बेहतर क्षमता हेतु मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रश्न मूल रूप से कम जोखिमपूर्ण ऋणों से अधिक जोखिमपूर्ण ऋणों को अलग करने एवं उनका वित्तपोषण करने के उपयुक्त मार्ग तलाशने के तौर पर प्रामाणिक जोखिम प्रबंध करने का है (मोहन,2008)।